खण्ड-262, अंक-9
मंगलवार, 19 माघ, शक संवत् 1887
(8 फरवरी, 1966 ई0)

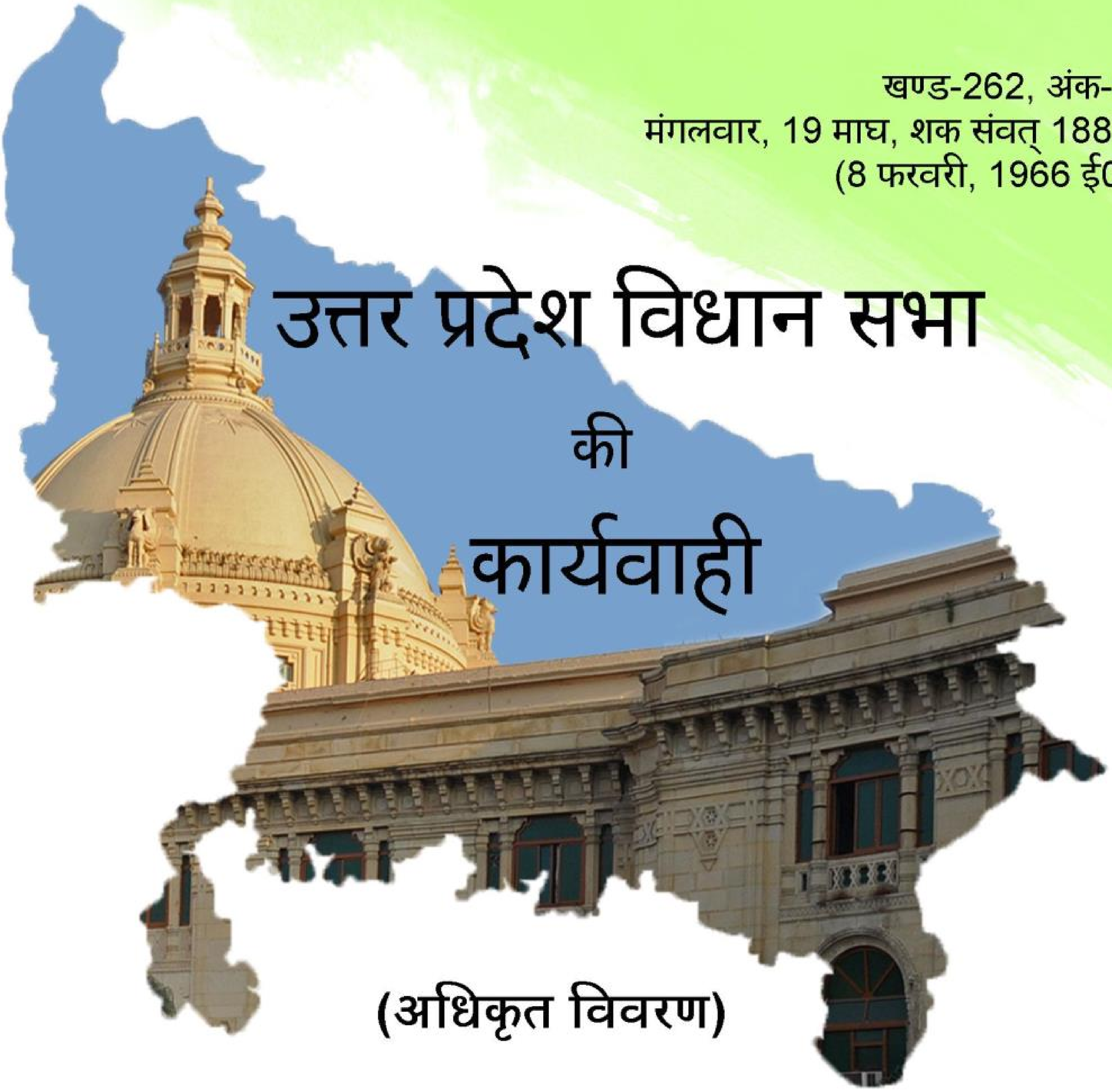

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 262 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७३७–७४१
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के विषय पर चर्चा (समाप्त) ..	७४१–७६७
विशेषाधिकार की अवहेलना एवं नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	७६७
हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ (विचारोपरान्तपारित)	७६७–७७२
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय तथा प्रस्ताव कि सदन उत्तर प्रदेश नगरमहापालिक (अल्पकालिका व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ का अननुमोदन करता है पर विचार (जारी) ..	७७२–८०१
वित्तीय वर्ष १९६५-६६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	८०२

विधान सभा प्रदेश उत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ८ फरवरी, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री

परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह राम, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंड्ड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कंधवार, श्री

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री

सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश भी उपस्थित थे।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में घटित घटना के विषय पर चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन है कि अब १०-१० मिनट से ज्यादा समय न लिया जाय, काफी लोग बोलने वाले हैं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, कल में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो दुखद घटना घटी, उस पर बोल रहा था। मैं समझता हूं यह हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जिसके जरिए से हिन्दुस्तान की तहजीब और सभ्यता का असर सारी दुनिया पर पड़ता है। तमाम दुनिया के विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आते हैं। वे यहां रह कर देखते हैं कि हमारे यहां की क्या तहजीब है, क्या सभ्यता है? आज अपनी तहजीब और सभ्यता के कारण ही हिन्दुस्तान का सर दुनिया में ऊंचा है। आज जब कि जगह-जगह डिक्टेटरशिप है, हमारे यहां प्रजातांत्रिक राज्य है और दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा प्रजातंत्र को मानने वाला देश है तो वह हिन्दुस्तान ही है। विदेशी विद्यार्थी जो वहां थे, उनके साथ भी पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया, उसको देख कर बड़ी लज्जा आती है। उन लोगों के दिमाग पर हमारे बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा। ३ तारीख की घटना ने हमें जलील किया है और हमारा सर नीचा हुआ है। आज प्रश्न यह है कि क्या आप पुलिस के बल पर प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं या इस सदन के चुने हुए नुमाइन्दों द्वारा?

---

†७ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

आज पुलिस का जो व्यवहार है चाहे वह राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ हो या जनता के साथ हो या विद्यार्थियों के साथ हो वह इस प्रकार है जिससे यह पता चलता है कि वह प्रजातंत्र की परम्पराओं को खत्म करने पर तुली हुई है। हिन्दुस्तान की तहजीब में औरतों के लिए उच्च स्थान दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश की प्रधान मंत्री आज महिला ही हैं जब हम ३ तारीख की घटना को देखते हैं, और पुलिस द्वारा वहां औरतों और लड़कियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है।

मान्यवर, अब मैं कुछ अपनी मांगें रखना चाहता हूं। वहां पर एक्सेस हुई है इसको तो तस्लीम कर लिया गया है। अब वहां पर एक जांच कमीशन नियुक्त करने की जरूरत है। आई० पी० सी० की जितनी भी धाराएं हैं उनके अन्तर्गत जो भी इसके दोषी हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। दूसरी मेरी मांग यह है कि जितने भी लोग हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचा है, चाहे वह माली नुकसान हो या उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा हो उनका कंपैन्सेशन अदा करें और उस कंपैन्सेशन में यह भी शर्त होगी कि आप अनक्वालिफाईड अपालाजी करें उन विद्यार्थियों के लिए जो इंटरनेशनल विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। वाईस चांसलर और प्राफेसर्स माने और एडमिट करें कि आईन्दा ऐसी बात नहीं होगी। इसके अलावा मेरा यह कहना है कि जैसा कि पहले भी मांग की गई है कि मिनिस्टर साहब से पोर्टफोलियों ले लिया जाय, कि इस्तीफा देने से तो मसला हल होने वाला नहीं है। ये नहीं होंगे तो कोई दूसरा उनके पद पर होगा। मैं यह जानता हूं कि माननीय मंत्री जो क्षत्रिय वंश से ताल्लुक रखते हैं। वे थोड़ी मजबूती के साथ यह करके दिखाएं कि वे किस तरीके से पुलिस को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह पुलिस का अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चौधरी चरणसिंह ने किया था और हम लोगों को मजबूर होकर कहना पड़ा था कि पुलिस का इंतजाम अच्छा है, उसी तरह यह भी करके दिखाए और हम कहने को मजबूर हों कि माननीय हरगोविंदसिंह भी उनसे कम नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, बनारस विश्वविद्यालय के एक होनहार विद्यार्थी की ट्रक के नीचे दबकर मृत्यु की जो दुर्घटना हुई और उसके संबंध में जो वाक्यात हुए, उसके बारे में मैंने अपने साथियों के विचार सुने। मान्यवर, मुझे खुशी इस बात की है कि इस दुर्घटना के संबंध में जैसी कि इच्छा या आकांक्षा विरोधी दल के नेता ने व्यक्त की थी और जो स्वाभाविक भी था कि इस प्रश्न को दलगत नीति से अलग उठकर उसके मैरिट पर सोचने की कोशिश की जाय वैसा ही हुआ। उन्होंने यह कहा था कि न विरोधी पक्ष चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर कहे और न हमारे पक्ष के लोग चीजों को घटाकर कहें। यह सही है कि दोनों के बीच चीजों को देखा जाय। मेरे विचार से जो कुछ जिले के अधिकारियों ने कहा है वह सब सच मान लिया जाय यह बात मुनासिब नहीं होगी। या जो दूसरी तरफ से कहा गया वह हन्ड्रेड परसेंट सही माल लिया जाय, वह भी ठीक नहीं है। सच्चाई दोनों के बीच में आकर पड़ती है। कुछ लोगों ने इतने जोश में आकर कह दिया कि वहां मशीनगन भी चली।

श्री नेकराम शर्मा (जिला गलीगढ़)—

श्रीमन्, मैंने मशीनगन नहीं कहा था, मैंने कहा था कि स्टेनगन चली थी।

श्री नवलकिशोर—

तो मान्यवर, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि उस विद्यार्थी की मृत्यु जिस प्रकार हो गई एक्सीडेंट से वह एक दुख की बात थी। उसके बाद विद्यार्थियों में जोश का आना भी स्वाभाविक बात थी, जो कि अननेचुरल बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि जिले के अधिकारियों ने इस एक्सीडेंट की बात काफी संजीदगी से सोची भी और जो उन्होंने फैसला किया कि वहां से पुलिस हट जाय, मैं समझता हूं कि वह फैसला ठीक हुआ। मगर उसके बाद उनके दिमाग में

जो चीज आई वह यह थी कि तीन चार पुलिस के आदमी और दो ट्रक शायद कैम्पस के अन्दर फंक गए हैं उनको निकालने के लिए वाईस चांसलर से उन्होंने अनुमति मांगी। मेरा विचार है कि वाईस चांसलर ने कहा कि चार बजे तक उनके कुछ आदमी आ जाएं। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कैम्पस में कोई ट्रक या पुलिस के आदमी नहीं है फिर भी वह आ सकते हैं, मगर चार बजे से पहले न आएं, चार बजे आएं। मगर तीन बजे काफी तादाद में पुलिस पहुंची। यह जरूर ऐसा वाक्या है जो आमतौर पर मेरे दिमाग में नहीं आया कि वाईस चांसलर से बात करने के बाद क्या जरूरत थी कि वे तीन तीन बजे पहुंचे। अगर चार बजे के बजाय तीन के ही बजे पहुंचे थे तो उनका फर्ज था कि पहले वाईस चांसलर का इंतजार करते। अगर वे नहीं थे.... यानी वाइस-चांसलर वहां नहीं थे तो किसी के द्वारा उन्हें बुलवाना चाहिए था और गेट का ताला नहीं तोड़ना चाहिए था। यह सही है कि कभी-कभी पुलिस को विश्व-विद्यालय में घुसना पड़ता है मगर यह भी सही है कि आमतौर से इसकी मांग या निमंत्रण विश्व-विद्यालय के अधिकारियों की ओर से होता है। मगर इस मौके पर, जैसा कि वाइस-चांसलर महोदय कहते हैं, उनकी अनुमति के बगैर, सवा तीन बजे पुलिस अन्दर घुसी। यह बात सोचने की है कि जब पुलिस घुसती है और ताला तोड़कर घुसती है तो उसकी मनोवृत्ति क्या होगी। यह एक स्वाभाविक बात है। यह आशा करना कि उस समय पुलिस संजीदगी से काम करेगी, मेरी कल्पना की बाहर की बात है। तमाम वाकयात जानने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ बहुत ही निश्चित रूप से कि इस मामले में जिलाधिकारियों का जो रेस्ट्रेंट, रेसपांसिबिलीटी और मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी वह नहीं दिखाई। इस घटना से पहले भी बनारस विश्वविद्यालय में स्टुडेंट्स का स्ट्राइक हुआ था उसके नाम पर, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं मगर उस समय अथारिटीज ने जरूरत से ज्यादा रेस्ट्रेंट दिखाया, बल्कि लोगों को इस बात की शिकायत भी हुई कि कई दिन तक बनारस का शहर एट रेन्सम छोड़ दिया गया।

यह भी बात साथ में है कि सरकार की भी बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। जैसा कि कल कांग्रेस के अध्यक्ष, माननीय कमलापति जी, ने कहा, एक तरफ नौकरशाही है या ब्यूरोक्रैसी है और अगर ब्यूरोक्रैसी शब्द अच्छा नहीं है तो सर्विसेज कहिए, दूसरी तरफ जनता है और दोनों के बीच में सरकार बैठती है। यह बात भी सही है कि सरकारी अफसरों के जायज बोनाफाईडी कामों को सरकार डिफेंड नहीं करेगी तो सर्विसेज अपना काम नहीं कर सकती हैं। लेकिन सर्विसेज को अगर यह ख्याल हो जाय कि वे चाहे जो कुछ करें, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, यह बात भी मुनासिब नहीं है। जब मैं उप मंत्री था तो मेरा अपना अनुभव है कि मुझे यहां कई बार माफी मांगनी पड़ी उन गलत जवाबों के लिए जो कि जिलों से जिलाधिकारी और पुलिस अफसरान भेजा करते थे। कई बार मुझे यह करना पड़ा कि इन अधिकारियों को ज्यादा सजग रहना चाहिए और जो गलत जवाब भेजें उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी के साथ जवाब भेजा करें और तफरीहबाजी न हो। यह जहनीयत अफसरों की मुझे कई जगह दिखलाई दी। मैं बधाई देना चाहता हूं गृह मंत्री को और मुख्य मंत्री को कि जिस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बृटिश लाइब्रेरी का मामला हुआ तो उन्होंने बहुत टैक्टफुली हैंडिल किया। आजकल टेंडेंसी यह होती जा रही है कि हर बात में प्रेस्टीज का सवाल पैदा हो जाता है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं स्टुडेंट्स के इन्डिस्पिलिन का हामी नहीं हूं। साथ ही मैं उन्हें टिमिड बनाने या डिमोरेलाइज करने का भी हामी नहीं हूं। बीच का रास्ता हमको अख्तयार करना चाहिए और टैक्टफुली हैंडिल करना चाहिए।

एक भाई ने संकेत किया था कि मेरे पास स्टुडेंट्स आए थे, मैं नहीं जानता कि क्या बात थी, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आधे घंटे उन्होंने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर इस बात का इलजाम लगाया जाता है कि कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शान में गलत बातें कही हैं, हम सिर्फ अपनी सफाई देने का मौका चाहते हैं और उसके बाद जो चाहे ऐक्शन हो। मैंने उनसे कहा कि आपको

[श्री नवलकिशोर]

शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री से बात करनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि वे किसी से मिले और किससे नहीं मिले, लेकिन सुबह को मुझे पता चला कि वे गिरफ्तार हो गए।

हर चीज को दबाने से बहुत ज्यादा काम नहीं बनता है। मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं कि उस ट्रक के ड्राइवर ने जानबूझ कर विद्यार्थी को दबा दिया लेकिन अच्छा यह होता कि वह ड्राइवर इंतजार करता और उस विद्यार्थी को अपने ट्रक में पहले अस्पताल पहुंचा देता और उसके बाद अपने अफसरों के पास रिपोर्ट करता। लेकिन वह भी इस डर से कि उसको जान नहीं बचेगी, ट्रक छोड़ कर भाग गया। मगर मुझे इत्तिला यह मिली है कि उस जख्मी लड़के को पुलिस के दूसरे ट्रक से अस्पताल पहुंचाया। यह माधवप्रसाद जी को शायद ज्यादा मालूम होगा, वह वहां होकर आए हैं।

श्री अध्यक्ष—

फैक्ट्स पर ज्यादा समय न दें तो अच्छा है। वे बातें कमीशन के सामने आवेंगी।

श्री नवलकिशोर—

मैं आपकी बात मानता हूं कि हमें फैक्ट्स के मामले में ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तब सिर्फ २, ३ बुनियादी बातें ही रह जाती है। एक तो यह कि यूनिवर्सिटी में पुलिस का घुसना उचित था या अनुचित था। मेरा ख्याल है कि ताला तोड़कर जिस प्रकार वह घुसी, वह बात किसी माने में उचित नहीं थी। यह बात सही है कि इससे एक बहुत बड़ा मौका मिल गया उन लोगों को भी कहने का चूंकि वाइस-चांसलर की इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। यह भी एक दुख की बात थी कि वाइस-चांसलर को यह ख्याल पैदा हुआ कि उनकी इज्जत भी इन पुलिस के आदमियों के हाथ में महफूज नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे पहले सरकार ने एक सीनियर मेम्बर आफ बोर्ड आफ रेवेन्यु के जारिए जांच की बात की और उसके बाद एक रिटायर्ड जज के हाथ में इन्क्वायरी दी है। इससे भी अच्छा होता यदि किसी सिटिंग जज को इन्क्वायरी दी जाती।

अब एक ही प्रश्न रह गया है कि जिन अधिकारियों ने ये काम किए हैं या जो ताला तोड़ कर अन्दर घुसे हैं, उनके संबंध में क्या कार्यवाही होनी चाहिए। मेरा इरादा कोई सुझाव देने का नहीं है। लेकिन बेसिकली इस बात को मानना चाहिए कि कैम्पस में ताला तोड़कर घुसना अनुचित था और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

*श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

मुझसे पहले मेरे साथियों ने काफी प्रकाश इस पर डाला है। जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मेरे सामने २, ३ ही मुख्य बातें हैं, जिन पर मैं कहना चाहूंगा।

एक बात यह है कि यूनिवर्सिटी की सैंक्टीटी को धक्का पहुंचा। दूसरा है कमीशन आफ क्राइम। उसकी डिग्री में नहीं, बल्कि क्राइम एज सच वाज देयर आर नाट। क्या एट्रासिटीज हुई? क्या उन एट्रासिटीज की जिम्मेदार पुलिस है या जिलाधिकारी हैं या दोनों हैं, या विद्यार्थी हैं। हालांकि उसमें कुछ ह्यूमन फैक्ट्स भी हैं। इन तीन बातों पर ही मैं अपने को सीमित रखूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे साथी मेरी किसी भी बात को मिसअन्डरस्टैंड नहीं करेंगे। श्रीमन्, इसमें कोई शक नहीं कि जो एट्रोसिटीज हुई। वे बहुत ही अनफारचुनेट हुई इस ख्याल से कि यूनिवर्सिटी की एक बेसिक सैंक्टिटी है जिसको भारत सरकार ने भी मान्यता दी है। वह भले ही रिटिन ला न हो लेकिन कन्वेन्शन जरूर है। जब कभी पुलिस या सरकारी वर्ग किसी समय भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो वाइस चांसलर की परमीशन जरूर लेंगे। वह परमीशन, जसा कि यहां के भाषणों को सुनने से जाहिर होता है, नहीं ली गई।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी चीज इस में ह्यूमन फैक्टर की है। वह यह कि इतने बड़े पुलिस फोर्स को वहां ले जाने की क्या जरूरत थी? एक दफा जब माब इकट्ठा हो जाता है, तो उतना ही माब पुलिस का भी रखा जाता है। केवल फर्क इतना होता है कि माब अन आर्गनाइज्ड होता है और पुलिस आर्गेनाइज्ड होती है। लेकिन जब लाठी चार्ज का आर्डर दे दिया जाता है तब किसी इंडिविजुअल के लिये कितनी सख्ती अथवा माइल्डनेस बरती जाय, यह तय करना नामुमकिन होता है। हर आदमी उस समय तो अपने प्रति जिम्मेदार होता है। खुद ही आर्डर देता है और खुद ही उसका कमान्डर भी होता है। अब देखना यह है कि क्या स्टूडेन्ट्स इतने अनरूली थे जिनके लिये ६००–१,००० पुलिस के सिपाहियों की आवश्यकता थी या ५०–१०० से भी काम चल सकता था? यह डिस्ट्रिक्ट आथोरिटीज की गैर जिम्मेदारी थी जो यह तय नहीं कर सकी कि उसको कितने आदमियों की जरूरत थी। ताला तोड़ कर यूनिवर्सिटी में प्रवेश करना अच्छी चीज नहीं हुई। अगर हमारी ला की मशीनरी ही ला ब्रेक करे तो समझ में नहीं आ सकता कि आर्डिनरी आदमी का क्या हश्र होगा।

तीसरी बात भाषणों से यह साफ जाहिर हुई कि ऐसा पास्ट में कभी नहीं हुआ। जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह चाहे सुचेता कृपालानी की हो, चन्द्रभानु गुप्त की हो अथवा सम्पूर्णानन्द की हो, इस प्रकार की एट्रोसिटीज को ढ़हाना तो उसकी एक परम्परा ही बन गयी है। सन् ५८ में डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जमाने में बनारस यूनिवर्सिटी में ऐसी ही एट्रोसिटीज हुई। उस समय एक माननीय सदस्य ने यहां तक कह दिया था कि जान पड़ता है इस यूनिवर्सिटी को आग ही लगा देनी होगी। मालुम ऐसा होता है कि जिस प्रकार कुछ लोग यूनिवर्सिटी की सैंक्टिटी को कायम रखने का प्रयत्न करते हैं वहां सरकार उसको तोड़ने का प्रयत्न करती है। इस सिलसिले में विशेष रूप से हमें यह सोचना है कि हमें भविष्य के लिये प्रिसीडेन्स कायम करना है और ऐसी एट्रोसिटीज को रोकने के लिये कोई ठोस कदम उठाने हैं या नहीं? और यह होना है तो यह मिलजुल कर ही होना है, उसके लिये एक बड़ी हैल्दी परम्परा की आवश्यकता है। इसके लिये एक इंक्वायरी कमीशन नियुक्त हो गया है, इंक्वायरी होगी। इस सिलसिले में मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार कभी कभी वे पब्लिक इंटरेस्ट में ट्रांसफर के आर्डर देते हैं, उसी प्रकार इस समय अगर आप उन आफिसर्स को सस्पेंड न भी करें तो पब्लिक इंटरेस्ट में उनका तबादला कर दें। क्योंकि ससपेंशन के लिये अभी यह तय नहीं किया जा सकता कि उनका क्राइम किस डिग्री का था। इससे कमीशन को फ्री एवीडेन्स प्राप्त हो सकेगी और वह अपने राइट्स को ठीक प्रकार से एक्सरसाइज कर सकेगा। जनरल पब्लिक इसका लाभ उठा सके और आपके सामने एक सही और दुरुस्त तस्वीर आ जाय। इसके अलावा मेरे पास एक कम्युनिक भी यह है जो अभी आज मुझे अपने एक यहां के माननीय सदस्य से प्राप्त हुआ है, इसमें भी वाइस चांन्सलर महोदय का जो बयान है, बावजूद इसके कि वह अपनी जगह पर एक अहमियत रखता है, लेकिन उसके निकालने की कोई जल्दी नहीं थी और इसके लिये वह थोड़ा इंतजार कर सकते थे, आज की परिस्थिति में सदस्यों को यह किसी को भी एग्रेवेट करने से कोई लाभ किसी को नहीं होगा। हमें यही देखना चाहिये कि अब इस दुःखद घटना को हम किस कंटेक्स्ट में लें। हमें इसमें चीजों को प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस मामले को सरकार का प्रेस्टीज ईश्य न बनाकर जैसा कि होता रहा है, समस्त सूबे की ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन को सामने रख कर इस समस्या को वह स्टडी करें और इसमें एक्शन लें। आज इत्तिफाक ऐसा है कि माननीय मुख्य मंत्री एक स्त्री हैं, वह इस समय मौजूद नहीं हैं मुझे कुछ इस समय कहना नहीं चाहिये लेकिन आमतौर से लेडीज आर गवर्न्ड मोर बाई हार्ट देन बाई माइन्ड, हमारी मुख्य मंत्री जी बजाय इसके कि हमको कानफिडेन्स में लें उन्होंने प्रेस में ही कमीशन की नियुक्ति का बयान दिया, इससे प्रदेश का कल्याण नहीं होता। जब सदन बैठा हुआ था तो बजाय इसके कि उन्होंने यह चीज प्रेस को रिलीज की ज्यादा अच्छा होना तो कि वह इस चीज को हाउस में लातीं और उस पर यहां छोटा मोटा डिबेट होता और बात खत्म हो जाती। इस से इस तरह की फायरी स्पीचेज की जरूरत और मौका न होता। अन्त में मैं यही कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इसको प्रेस्टीज इश्यू न बनाकर ला एन्ड आर्डर की निगाह से सम्बन्धित अफसरों को जरूर वहां से ट्रांसफर कर दें।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा ही गम्भीर विषय इस सदन के सम्मुख आज उपस्थित है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसकी गम्भीरता आज और भी बढ़ गई है क्योंकि यहां पर आज जनता की चुनी हुई सरकार बैठी हुई है। हमारे सामने जो आज एक बड़ा मौलिक प्रश्न उपस्थित है और जैसा कि कल हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि क्या यह पापुलर सरकार जिसको कि जनता ने यहां चुनकर प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की इच्छाओं के प्रतिबिम्ब को, उसके फंडामेंटल राइट्स को, उसकी सिविल लिबर्टीज को वाच करने के लिये भेजा है और जिस विधान के अन्तर्गत हमारी यह सरकार चल रही है हमें देखना है कि क्या सही तरीके से हमारी जो सर्विसेज हैं वह हमारी सरकार की नीतियों का निरूपण करके उन फंडामेंटल राइट्स का, उन सिविल लिबर्टीज की रक्षा कर पा रही हैं। हमें इस कानटेक्स्ट में देखना होगा। मैं बड़े अदब से कहूंगा, कि मैं इधर ४ साल से इस सदन का सदस्य हूं और अभी साल भर चुनाव का और बाकी है, इन ५ सालों में अगर देखा जाय तो मैं बहुत साफ तरीके से अपने कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के बड़े जिम्मेदार मंत्रियों से कहूंगा कि आज आपका काबू जो हुकूमत का है वह आपके अफसरों पर से हट गया है, ब्यूरोक्रेसी खुल कर नाच रही है और वह आपके हुक्मों का पालन नहीं कर रही है। इसलिये उसके द्वारा प्रदेश के कोई भी कायदे कानून हों उसके द्वारा जनता की रक्षा नहीं हो सकती और यहां तक है कि आज हम आप भी उससे अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। आपने इसी सदन में सुना होगा कि गोरखपुर में हमारे भूतपूर्व सभा सचिव श्री इस्तफा हुसेन मारे गये। अभी एक मास नहीं हुआ देवरिया में यूथ कांग्रेस के वर्कर पुलिस दरोगा द्वारा मारे गये, आपने सुना होगा और आपके पास सूचना भी आयी होगी कि महाराजगंज में पुलिस की हिरासत में श्री सक्सेना को डिटेन किया गया। मैं आज कहता हूं कि जब ऐसी स्थिति है कि यहां पर जो ७१/२ करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठे हुये हैं और उन व्यक्तियों को जो देश में स्वराज्य को लाये उनके मान और मर्यादा की रक्षा नहीं है तो मैं कैसे मान सकता हूं कि आज इन सदस्यों की, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, सार्वजनिक जीवन में उनके जीवन की सुरक्षा हो सकती है। अगर नहीं, आपको और हमें सोचना पड़ेगा कि हम यहां पर बैठकर क्या करें ?

श्री अध्यक्ष—

यह पुलिस पर डिबेट नहीं है। आप अपनी बहस विश्वविद्यालय की घटना तक ही सीमित रखें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, ये पुलिस के काले कारनामों की बात ही तो कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अपना भाषण विश्वविद्यालय की घटना तक ही सीमित रखें अन्यथा बहस में बहुत समय लग जायगा क्योंकि यह पुलिस पर डिबेट नहीं हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। मैंने जो भी बात कही है वह मैंने इसी कन्टैक्स्ट में कही है और आज भी मैं कहता हूं कि बनारस विश्वविद्यालय के मामले में जब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि जिलाधीश, सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस और उनकी गारद यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़कर कैम्पस में घुसी है तो अगर यूनिवर्सिटी की अटोनौमी को बरकरार रखना है तो उसकी रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये। सरकार ने उनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा चलाया जैसा कि किसी साधारण व्यक्ति पर चलाया जाता है। जब वह किसी कानून को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तोड़ता है। जिलाधीश ने डाका डाला, युनिवर्सिटी आटोनामी, जो कि कानून में दी गयी है, उसको तोड़ा और गेट को तोड़ कर अन्दर घुसे तो सरकार ने अभी तक उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया ? क्या यही कायदे और कानून की बात है ? अगर इन मुल्जिमानों के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला है तो मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे एक आर्डिनरी सिटीजन के साथ होता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाय। आज प्रश्न यह नहीं है कि यूनिवर्सिटी में आप पुलिस ले कर चले गये। अगर जैसा कि बताया गया है कि ३ या ४ सिपाही यूनिवर्सिटी में पड़े रह गये थे, तो आपका फर्ज था कि जब कि वाइस चान्सलर ने आपको टेलीफोन किया कि आप आ जावें हम आपको रिसीव करेंगे तो आप जाते।

श्री अध्यक्ष—

मुझे टेलीफोन नहीं किया। जिसको टेलीफोन किया, उनको कहिये। आप स्पष्ट कर दीजिये कि किनको टेलीफोन किया ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वाइस चान्सलर ने जिलाधीश को टेलीफोन किया और कहा कि आप युनिवर्सिटी में आयें, हम आपको रिसीव करने के लिये तैयार हैं और सब जिम्मेवारी भी लेने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आपको हम प्लेन कपड़ों में उस स्थान पर भी ले जाने को तैयार हैं जहां पर आप पुलिस के कांस्टेबिलों को देखना चाहते हैं। वाइस चान्सलर ने जिस समय यह बात कही, एक मौका दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वहां पर आते, वहां पर अधिकारी आते, अन्दर जो उनकी व्यवस्था थी, जो उनके सामने, उनके विभाग के ऊपर असर था उस असर को वह दूर करते, वह अपनी चीजों को ले जाते, उसे सुरक्षित तरीके से अगर नहीं पाते तो कायदे कानून की कार्यवाही करते। लेकिन यह कहां हुआ ? ५०० से १,००० आदमियों को ले कर इसकी बिना वाइस चान्सलर की सूचना दिये हुये, उनके मांग करने के बाद आप गेट तोड़े और अन्दर घुसे और इस तरह से जाहिलाना कार्यवाही करें इसको कौनसा ऐसा आदमी होगा सभ्य संसार में जो उचित कहेगा। मैं आज कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी सबके ऊपर है। हमारी सरकार का फर्ज है, अगर यह जनता की चुनी हुयी सरकार यहां बैठी हुई है तो उसका फर्ज है कि उसके ऊपर नियंत्रण करे और इस तरह की जो घटनायें बराबर हो रही हैं यही इस बात का सबूत है, आज कोई एक मंत्री का सवाल नहीं है, सारी कैबिनेट की ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, और उस ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी को निभाते हुये आज यहां के एक-एक अधिकारी को जो इस तरह के जघन्य कार्य किये हैं, जो कायदे कानून को तोड़े हैं, उनको सस्पेंड होना चाहिये, सजा मिलनी चाहिये। इंक्वायरी कमीशन ऐक्ट के मुताबिक जो आपने कमीशन नियुक्त किया है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उस ऐक्ट के सेक्शन ३ के अन्दर आपने केवल कमीशन नियुक्त कर दिया लेकिन कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट की धारा ४ से ६ का भी सरकार को पालन करना चाहिये जिससे कि सही तरीके से इंक्वायरी कमीशन कार्य कर सके और सही तरीके से जनता का प्रतिनिधित्व कर सके और लोगों को न्याय और इंसाफ मिल सके।

*श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के तथ्यों पर उसके मामले पर आप लोग बहुत बयान सुन चुके। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता और मुझे बड़ा दुख है कि आज जिस बात के ऊपर बहस हो रही है वह बात क्या उधर के बैठने वाले सज्जनों को और अधिकारियों को और श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आपको भी इन घटनाओं की खबरें ४ तारीख के पहले पहल लग चुकी थी। क्या यह फर्ज नहीं था आपका कि जनता जनार्दन के ऊपर इस तरह से जुल्म ढाया जाय और आपको खबरें दी जायं और आप से प्रार्थना की जाय कि आप इसमें दखल दें और आप के कान पर जूं न रेंगे और आप चुप चाप बैठे कुछ न करें इसका मुझे हार्दिक दुख है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथप्रसाद]

उसके बाद जब आप ने कुछ नहीं किया तब मैंने काम रोको प्रस्ताव रखा, जिसको आपने ठुकरा दिया बहुत कहने सुनने पर आपने आधे घंटे की मोहलत दी और कहा कि माननीय मुख्य मंत्री और नेता, विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेता बात करके कुछ हल निकालें। आधा घंटा गुजर जाने के बाद हम सब यहां आये और आपने सदन की कार्यवाही को जारी रखने के लिये बहुत कोशिश की। मैंने इनका तीव्र विरोध किया और आपसे यह मांग की कि जब तक मुख्य मंत्री न आ जायं इस बात पर कुछ प्रकाश न डाल दें तब तक इस कार्यवाही को आप न चलायें। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त भी यह नौबत आ चुकी थी कि सदन के लोग मार-मार कर निकाल दिये जायं। मगर न मालुम फिर भगवान ने कहां से बुद्धि दी आपने आधे घंटे के लिये और सदन को स्थगित कर दिया। हम लोग सब चले गये और फिर आये। उसके बाद मुख्य मंत्री आई, थोड़ी देर करके आईं....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य विषय के सम्बन्ध में बात करें।। ये बातें तो सबके सामने हो चुकी हैं।

श्री विश्वनाथप्रसाद—

मैं उसी पर आ रहा हूं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मुझे नहीं मालुम कि आपकी क्या बात हुई ? इतनी जबरदस्ती, जो आप चाहें करें। जब कहा गया कि हमारी तीन मांगें हैं तो उन्होंने कह दिया कि मैं इसको नहीं मानती। हम लोगों के पास क्या चारा था ? हमने यह तय किया कि जो सरकार जानते बूझते इतना जुल्म करा रही है और कहने वालों की कुछ सुन नहीं रही है तो सिवा इसके कोई चारा नहीं है कि एक-एक करके सदन से चले जायं और जनता जनार्दन से अपील करें। फिर भी विधान परिषद् में हो हल्ला मचा तो आपने कह दिया कि न्यायिक जांच बिठायेंगे। यहीं यह बात कह दी होती तो यह हो हल्ला क्यों होता ? अपना जनता जनार्दन तथा इधर के बैठने वालों की जो अवहेलना की है, उसका जवाब आपको देना होगा। वह वक्त आने वाला है। उसके बाद हम एक एक करके निकल गये। क्या नवलकिशोर, गिरधारीलाल, बहुगुणा तथा कमलापति जी जो अब इस पक्ष में बोल रहे हैं, उस वक्त यहां नहीं थे जब हम लोग एक-एक करके पुलिस के जरिये निकाले जा रहे थे ? उस वक्त वह कहते यह बात ठीक नहीं है। इ स पर गौर होना चाहिये। आज आपको अहसास हो गया। मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि आपको थोड़ा होश तो आया।

मैं भी कमिश्नर से मिला। कमिश्नर ने जिस तरह का जवाब दिया और जो बतलाया वह यहां सब नहीं आया है। यह सब कांड हो रहा था। पहला जत्था और जा कर रिहर्सल किया। एक लड़का ट्रक से मर गया। पुलिस ने कहा कि उनके ४ आदमी वापस नहीं आ पाये हैं और ३ ट्रकें अन्दर हैं। डी० आई० जी० और कमिश्नर ने विजयानगरम की कोठी में बैठ कर मंत्रणा की और आदेश दिया जिससे मैं यही समझता हूं कि उन्होंने ही कलेक्टर को तथा डी० एस० पी० को आदेश दिया होगा कि इतनी तादाद ले जाकर अपने आदमी खोज लाओ। सिंघल ने ऐसा किया, कलेक्टर ने ऐसा किया कहना गलत है। कलेक्टर ने जो किया वह अपने आफिसर कमिश्नर के कहने के मुताबिक किया और अपनी ड्यूटी अदा की। अगर सारा दोष किसी का है तो कमिश्नर तथा डी० आई० जी० का है। कमिश्नर तथा डी० आई० जी० ने यह सब इस कारण किया कि पुलिस मंत्री कमजोर हैं, वह इस लायक नहीं हैं कि इस विभाग पर काबू रख सकें और काम ले सकें। पुलिस मंत्री से ज्यादा दोष माननीय मुख्य मंत्री का है जो आपस की गुटबाजी के चक्कर में पड़कर इस प्रदेश की जनता को कुचल रही हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कि वह सुचेता जी हैं अथवा कुचेता जी।

उनकी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं ? मैंने किस्सा सुना था। लोग कहते थे कि "जिसके पैर न फटी बिवाई वह क्या जाने पीर पराई"। उन्होंने कहा कि मैं वहां गई, यहां गई, मैंने यह किया वह किया, उन्होंने सब कुछ किया लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्या हुआ ?

तुलसीदास जी ने कहा है कि "प्रभुता पाहि काहि मद नाहीं" यह इतनी मदमस्त हो गई हैं कि यह जनता जनार्दन की बात नहीं सुनती हैं और ४० करोड़ जनता के ऊपर यह जुल्म करना कायम चाहती है। मैं आपसे नहीं बल्कि जनता जनार्दन से अपील कर रहा हूं कि वह आपको सबक सिखाने के लिये वह तैयार हो जिसने आप लोगों को यहां चुन कर भेजा है। वही आप लोगों के जुल्मों को बर्दाश्त कर रही है। मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आज हम ऐसी घटना के ऊपर विवाद कर रहे हैं जिससे इस आदणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को दुख होगा। यदि विद्यार्थियों ने गल्ती की या पुलिस ने गल्ती की तो उससे हमें शर्म आती है। और दुख होता है। घटना के विषय में काफी कहा जा चुका है इसलिये मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। सब माननीय सदस्यों ने इस बात को माना है कि जहां तक विश्वविद्यालय के अधिकारों का सवाल है, उनके ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिये। यदि किया जायेगा या हम उसकी इजाजत देंगे तो विश्वविद्यालय स्वतंत्रतापूर्वक नहीं चल सकेगा और हमारी अच्छी मान्यता या परम्परा खत्म हो जायेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात को मानना होगा कि यदि विश्वविद्यालय में पता चले कि वहां कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं या वहां पर बलात्कार हो रहा है तो अधिकारियों का कुछ कर्तव्य होगा कि वहां कुछ करें। लेकिन इस घटना में मैं देखता हूं जो कुछ बताया गया है, उससे स्पष्ट हो गया था कि ट्रक वहां पर नहीं हैं और जब वहां पर ट्रक नहीं थीं तो यह भी संभव हो सकता था कि तीनों सिपाही वहां पर न हों यानी जरूरी नहीं था कि सिपाही अन्दर ही होते, वह बाहर भी हो सकते थे। जब उपकुलपति ने कहा कि आप सफेद पोशाक में कुछ आदमियों को ले कर आ जाइये तो अधिकारियों को इतन सहनशील और समझदार होना चाहिये था कि वे वहां जाते।

श्रीमन्, इस तमाम वाकये में तीन घटनायें हुईं। एक तो यह हुई कि एक विद्यार्थी पुलिस ट्रक से कुचल कर मर गया। दूसरी यह हुई कि विद्यार्थियों ने दो ट्रक फूंक दिये और पुलिस वालों को मारा, तीसरी यह हुई कि पुलिस जबरदस्ती दरवाजा तोड़ कर यूनिवर्सिटी कैम्प्स में घुस गई और विद्यार्थियों के ऊपर जुल्म किये। ये तीनों घटनायें ऐसी हैं कि इनके ऊपर पूरी कार्यवाही सख्ती के साथ होनी चाहिये। जहां तक ट्रक से किसी विद्यार्थी के कुचलने का सवाल है, मैं समझता हूं कि उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है। ड्राइवर जेल में है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी। ट्रकों से दुर्घटनायें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसके लिये भी सोचना होगा कि क्या होना चाहिये। विद्यार्थियों ने ट्रक जला दिये या पुलिस वालों को मारा, यह भी बहुत बुरी बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि जिन विद्यार्थियों ने ऐसा किया, उनको छोड़ दिया जाय। अब हमारे प्रदेश में यह बड़ी समस्या हो गई है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। तीसरी घटना यह हुई कि पुलिस जबरदस्ती अन्दर आ गई। इसके विषय में जितना कहा जा चुका है, वह भी कम है, जितना सभी सदस्यों ने मिल कर कहा कम है और जितना भी आगे कहा जाए कम होगा। हमारे प्रदेश में तीन परिस्थितियां खास करके हैं, उनको सामने रखते हुये सरकार को विचार करना होगा, उसी आधार पर उसे कार्यवाही करनी होगी। एक तो यह है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ती चली जा रही है। मैं नहीं समझता कि किसी अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों में इतनी ज्यादा अनुशासनहीनता व्याप्त है, जितनी कि हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों में है। खास कर बदकिस्मती से हमारे जिले मुरादाबाद में जहां का मैं सदस्य हूं सब से ज्यादा विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता फैली हुई है, जिसका मुझे खूब कटु अनुभव है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश प्रसाद]

दूसरी परिस्थिति यह भी है कि आज हमारे प्रदेश की पुलिस का यह हाल है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताता हूं, ३–४ कत्ल हो जाएं, ३–४ डकैती हो जाएं, थानेदार से कहो केस खोल दो लेकिन वह नहीं खोलता है किसी में कुछ और किसी में कुछ बहाना लगा कर मामला टाल देता है। किसी में डाक्टर की रिपोर्ट नहीं, किसी में सबूत नहीं आदि कह करवह खोलता नहीं है उसे छोड़ देता है। मैं आपके द्वारा निवेदन सरकार से करूंगा कि आज की परिस्थिति ऐसी हो गयी है कि आज की पुलिस गोली चलने के लिये और डकैती पड़ने के लिये कार्यवाही नहीं करती है, वह कार्यवाही जहां पर करती है, जहां पर ऊपर से दबाव पड़ता है या फिर वह केवल रुपये के लिये काम करती है। उसको रुपया मिल जाए तो वह सब काम करने को तैयार है बिना उसके वह कुछ भी नहीं करती है चाहे कत्ल होते रहें और डकैतियां पड़ती रहें। एक बार मैं फर्स्ट क्लास में सफर कर रहा था, उस दर्जे में ३–४ पुलिस के आदमी और २–३ विद्यार्थी भी आकर बैठ गये, तो बताये मैं क्या करूं, और कौन किसको मना करे। एक बार मैंने डी० वाई० एस० पी० को लिखा कि मैं फर्स्टक्लास कम्पार्टमेंट में सफर कर रहा था और ४–६ पुलिस कनेस्टिबेल और सब इंस्पेक्टर हमारे कम्पार्टमेंट में आ गये और नीचे ऊपर की बर्थों पर लेट और बैठ गये और एक सब इंस्पेक्टर हमारी बर्थपर आकर बैठ गया। उन्होंने इसकी इन्क्वायरी किया और यह कह कि उन एम० एल० ए० साहब से हमारी पुरानी दुश्मनी है, इससे उन्होंने ऐसी झूठी शिकायत कर दी है। मुझे पता नहीं कि वह कौन से अधिकारी हैं जिनसे कभी मेरी दुश्मनी रही है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है और पुलिस का यह हाल है कि वह काम नहीं करना चाहती है, बलेकिन जब करने पर आमादा होती है तो दिल खोल कर करती है। तीसरी परिस्थिति यह है कि विद्यार्थियों और पुलिस वालों में एक स्वाभाकि वैमनस्यता फैलती चली जा रही है और यदि यह मनोवृत्ति हो गयी तो यह देश और समाज के लिये बड़ा हानिकर होगा। आज के विद्यार्थी ही भविष्य के नागरिक हैं और देश का नियंत्रण चलाने वाले हैं और यदि इन्हीं के दिमाग में पुलिस के प्रति ऐसी भावना घर कर गयी तो देश का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। इसका एक मात्र श्रीमन्, हल है—आन्दोलनकारियों का मस्तिस्क खराब हो सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को मस्तिष्क खराब नहीं होना चाहिये और यदि ऐसा हो गया है कहीं पर तो जो भी कानून की हद है, उसके अन्दर ऐसे अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी और आज भी इधर और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की बात सुनी। श्रीमन, प्रजातन्त्र में कुछ सिद्धान्त इस सरकार को बनाने चाहिये और जब तक प्रजातन्त्र की सरकार कोई सिद्धान्त नहीं बनायेगी, तब तक इस देश और प्रदेश में सफल रूप से प्रजातन्त्र चल नहीं सकता है। रोज-रोज लाठी और गोली देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में चलती रहती हैं। इसका कारण यह है यह सरकार प्रजातन्त्र की मान मर्यादाओं के प्रति निश्चित रूप से जागरूक नहीं है। इसका सिद्धान्त इस सरकार को तय करना चाहिये। श्रीमन्, हम तो इसके भुक्तभोगी हैं केरल में प्रजा समाजवादी दल की सरकार बनी। प्रजा समाजवादी और समाजवादी दल भिन्न हो गये और यह सरकार नहीं चली हमारे आदरणीय नेता डाक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा कि भारत के अन्दर यदि जनतन्त्र को चलाना है तो इसे तय करना पड़ेगा। १८ महीने बाद, मान्यवर, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहां पर लाठी और गोली चलाई गयी, ताकत के बल पर शासन करने का प्रयास किया गया और पार्टी का विघटन हुआ। मैं कहता हूं कि अगर यह सरकार सही तरीके से प्रजातन्त्र के लक्ष्य को लेकर चलना चाहती है तो कड़ाई के साथ तय करना पड़ेगा, कि लाठी और गोली कब चलानी चाहिये। इस नीति के सिद्धान्त को सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा। मान्यवर, भारतवर्ष में बड़े-बड़े दार्शनिकों की निगाह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में तीन सिद्धान्त हैं कि कब लाठी और गोली इस सरकार को चलानी चाहिये। और इस प्रकार से यदि लाठी और गोली चलाते हैं तो उसको मैं समझता हूं कितनी भी भर्त्सना की जाय उतनी थोड़ी है।

१—जब सशस्त्र भीड़ हिंसा पर उतारू हो चुकी हो और जान लेने पर आमादा हो चुकी हो या एक दो जाने जा चुकी हों।

२—जब सशस्त्र भीड़ लूट पाट, सरकारी इमारतों, बैंक कचहरी, कारखाने तथा यातायात व तार टेलीफोन की व्यवस्थाओं को नष्ट करने पर उतारू हो चुकी हो और इन्हें क्षति पहुंचानी आरम्भ कर दी हो।

३—जब सशस्त्र भीड़ उतनी उग्र हो चुकी हो कि उससे सारा नागरिक जीवन अस्त व्यस्त तथा ठप्प हो चुका हो तथा अन्य दूसरे रास्ते व हल निकालने के सभी प्रयास विफल हो चुके हों।

निहत्थी भीड़ पर तो गोली व अंधाधुन्ध लाठी चार्ज कभी करना ही नहीं चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रजातन्त्र में लाठी चलाना या गोली चलाना अन्याय की बात होगी। मेरे दिमाग में रात दिन यह बात चक्कर काटती रही कि बहुगुणा जी और कमलापति जी त्रिपाठी की बात का कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं है। यह बात स्वयं सिद्ध हो चुकी है कि पुलिस ताला तोड़कर विश्वविद्यालय के अन्दर घुस गई। हमारे दल के नेता रामसुन्दर जी पांडेय ने इस सम्बन्ध में सारी बातें सदन के समक्ष रखीं।

पुलिस मंत्री के लिये रोज यहां पर आवाज उठती है कि उनको इस्तीफा देना चाहिये। जबसे ये मंत्री बने हैं तब से ऐसे मामले हुये हैं कि जनता में उनके प्रति बहुत रोष पैदा हो गया है। ११३ विधायकों ने राज्यपाल महोदय को लिखकर दिया, रोज यहां पर सदन त्याग होता है कि पुलिस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये पर वे इस बात पर सोचते ही नहीं कि विधान सभा के सदस्य और यहां मंत्रिमंडल के सदस्य उनसे क्यों नाराज हैं। मैं यह समझता हूं कि जहां तक मैं जान पाया कि क्यों जनता और मंत्री उनसे नाराज हैं तो यह मालुम पड़ा कि वह काम करते वक्त कुछ ऐसी जबान का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत सख्त होती है। उससे ऐसा जान पड़ता है कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी बिना पढ़े लिखे आदमी हैं, इसी कारण प्रदेश की जनता में और विधान सभा के सदस्यों में उनके प्रति रोष फलता है। मैं यह जानता नहीं हूं क्योंकि मुझे उनसे कोई ऐसा वास्ता नहीं पड़ा। इस सदन के अन्दर उनके दो चार बयान ऐसे हो चुके हैं कि उनके दल के लोगों की तरफ से यह कहा गया कि आप फलां मामले की जांच कराइये लेकिन गृह मंत्री ने कहा कि हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इस कारण इनके खिलाफ ऐसी आवाज उठती है। हमारे सभी मित्र जानते हैं कि लोक सभा में कुछ लोगों की शिकायत करने पर वहां टी० टी० साहब ने इस्तीफा दे दिया। टी० टी० साहब ने कहा कि मेरा सम्बन्ध उन मामलों से हो या न हो लेकिन मैं इसलिये इस्तीफा देना चाहता हूं कि इस दल की महान परम्परा को बनाये रखना चाहता हूं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अगर मुझे तीन बार भी हद त्याग करना पड़े तो मैं करने के लिये तैयार हूं। हमारे देश के प्रधान मंत्री जो अभी स्वर्गीय हुये हैं जब वह रेल मन्त्री थे उन के समय में रेल दुर्घटना हो गई थी। उस दुर्घटना का सारा बोझ अपने सिर पर लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मेरे दल के सदस्य मेरे क्षेत्र में चलें और देखें अगर वहां पर १०० आदमी भी यह कहें कि राधेश्याम तुम विधानसभा से इस्तीफा दे दो तो मैं तुरन्त इस्तीफा दे दूंगा। यहां पर ८ करोड़ जनता के प्रतिनिधि रोज इस बात की चर्चा करते हैं और जनता में चर्चा होती है, उधर मंत्रसंडल के सदस्य आपस में कानाफूसी करते हैं तो मान्यवर इस दल की रक्षा के लिये, प्रजातंत्र की रक्षा के लिये और माननीय गृह मंत्री को स्वयं अपनी रक्षा के लिये इस्तीफा स्वयं वे देना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। मान्यवर कहा यह जाता है कि हम क्या करें? मुझे खुशी है कि इस

[श्री राधेश्याम शर्मा]

बहस में कम से कम सरकारी पार्टी के लोगों ने भी पुलिस की भर्त्सना की है। यह कहा जाता है कि पुलिस गोली चलाये तो गृह मंत्री का कसूर क्या ? उनका उस से ताल्लुक क्या? यह बातें कही नहीं जा सकती हैं। बनारस की घटना की तरफ में नहीं जाता। मैं समझता हूं कि वहां कि पुलिस शायद पागल हो गई थी और जैसे पागल अपनी बातों के सिवाये और कुछ नहीं सोचता, वैसे ही जो कुछ उसके मन मे आया उत ने कर दिया। आप को कुछ सिद्धांतर, कुछ बातें तय करनी चाहिए कि पुलिस को कब गोली चलानी चाहिए और कब गोली नहीं चलानी चाहिये। यदि गृह मंत्री जी के स्थान पर में होता तो शायद मुझे एक मिनट भी त्याग पत्र देने में न लगता। इससे आपकी मानमर्यादा बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह कड़ाई से इस संबंध में कदम उठाये तभी यह मामला साफ होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप काशीनाथ जी, अनधिकृत रूप से बहुत ज्यादा बीच-बीच में बोलते हैं। यह ठीक नहीं।

*श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, बनारस की इस दुर्घटना से सभी को दुख है और होना भी चाहिये। श्रीमन्, वस्तुस्थिति क्या है इस पर थोड़ा सा हम विचार कर लें तो हमारे मनों में जो तेजी है, वह नार्मल हो सकती है। वह स्थित दूसरी है,दुर्घटना दूसरी है, लेकिन जसे तिल का ताड़ बनाया जाता है, उसी तरह से हमारे कुछ मित्रों ने इसे बना दिया है और इस की महत्त को दलगत राजनीति में पड़ कर ऊंचा कर दिया है। हमारे विरोधी भाई तो हमेशा तलाश करते रहते हैं सरकार की कोई गलती मिले और उस के लिये उन को अधिकार है कि उसे वह सदन के भीतर और बाहर कहते रहें, लेकिन हमारे कुछ मित्र भी आज कल इस होड़ में हैं कि एक बात को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखा जाय और चीप पापुलेरिटी किस तरह से गेन की जाय। हमें उस से दुख है। श्रीमन्, घटना यह थी कि प्रेसीडेंट की आमद में पुलिस इंतजाम करने के लिये यूनिवर्सिटी गयी हुई थी। अभाग्य से एक लड़के की मृत्यु पुलिस की बस से हो गयी। पुलिस की बस का पहिया उस पर आ गया और चक्के के वह अंदर आ गया और इसके कारण....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, बार-बार एक ही बात नहीं दोहरायी जानी चाहिये।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य--

श्रीमन, यह तो उन की आदत है। मैं तो बोलता ही रहूंगा जितनी स्पीचेज हुई हैं, वह एक चीज पर केंद्रित हैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब इस्तीफा दे दें यदि वे इस्तीफा तो फिर उनको कोई शिकायत नहीं है चाहे फिर हजारों लड़कों की मृत्यु इसी प्रकार से हो। श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि यदि यह होम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे तो फिर कोई दूसरा होम मिनिस्टर आयेगा और इंतजाम किसी दूसरे के हाथ में आ जायगा। मेरी जो राय है कि बिनोवा जी से पूछा जाय और उन की सलाह से हमारे साथी पुलिस का विभाग ही समाप्त कर दें। लाखों करोड़ो रुपया जो पुलिस पर खर्च किया जाता है, यदि वह इतनी गैर जरूरी संस्था है तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिये। विनोबा जी, नरसिंह नारायण जी, उग्रसेन जी, त्रिपाठी जी मिल कर एक कमेटी बना ले और पुलिस, का सारा काम उनके जिम्मे सौंप दिया जाय और सरकार इस विभाग को बिलकुल समाप्त कर दे। श्रीमन्, देखें कि पुलिस ने बड़ी ज्यादती की। बिना वाइस चांसलर की इजाजत के यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ कर अन्दर दाखिल हो गयी। हमारे कुछ मित्र नेता विरोधी दल के साथ बनारस गये थे। उन्होंने यहां आकर अपने-अपने बयान दिये हैं और हर एक बयान कंट्राडिक्टरी है। नेता विरोधी दल के बयान से कुछ और नेकराम शर्मा जी के बयान से कुछ और बात मालूम होती है। शर्मा जी के अनुसार तो पता नहीं वहां क्या क्या हो गया। जो होशियार होता है वह अपनी कमजोर बात को भी बहुत बुद्धिमानी से रखता है और इससे उसका रूप बड़ा भयंकर हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मुझे याद है, १९५८ में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की सरकार में भी होम मिनिस्टर थे और उस जमाने में डेढ़ साल तक यह यूनिवर्सिटी बंद रही। उस समय इस यूनिवर्सिटी से ३००० से ज्यादा विद्यार्थियों को बाहर निकाल दिया गया था और जितनी ज्यादती और सख्ती बरती गयी थी, उसके मुकाबले यह कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी होम मिनिस्टर हो, पुलिस उसके अन्दर होगी और पूरे ५ साल में कहीं न कहीं लाठी चार्ज होगा, कहीं न कहीं गोली चलेगी, किसी नेता को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह तो सब होता ही रहता है। अफसोस इस बात का है कि असलियत को तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है और इससे जनता में बड़ा भ्रम पैदा होता है। विरोधी दल के मित्रों को अधिकार है कि एलेक्शन नजदीक हैं, वे इस फिक्र में पड़े हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकार को बदनाम किया जाय और अपनी पापुरलैरिटी गेन की जाय, लेकिन इधर के कुछ नये मित्र जो नये-नये मुसलमान हैं, जो ज्यादा प्याज खाते हैं, वह जोश में इतना आगे चले जाते है कि उनको खयाल ही नहीं रहता कि वे इधर बैठे हैं अथवा उधर बैठे हैं और उन्हें ध्यान नहीं रहता कि क्या कहना चाहिये, क्या नहीं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जनता और अध्यक्ष के बीच ब्यूरोक्रेसी है और मेरा खयाल है कि जब तक डेमोक्रेसी रहेगी यह रहेगा। इसमें कोई नयी बात नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि जो बातें हो रही हैं, वे केवल होम मिनिस्टर के खिलाफ हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे भी इस कमेटी में आ जायं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, बैजनाथसिंह जी यह बतला दें कि जब उनकी पार्टी के चौधरी चरण सिंह जी पुलिस मंत्री थे, तो विधान सभा में कब ऐसा समय आया कि उनके इस्तीफे की मांग की गयी हो और दूसरे क्या कमलापति त्रिपाठी जी, बहुगुणा जी, गिरधारी लाल जी नये मुसलमान हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह जवाब दें या न दें, उनके अख्तियार की बात है।

*श्री खेम चन्द (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आज यहां पर पुलिस राज्य है या जनता राज्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन आदमियों पर जन तंत्र की जिम्मेदारी की सबसे बड़ी पोस्ट है, जो अपने आप को सरकार के हाकिम कह कर कहते हैं कि हम जन-हितों की रक्षा कर रहे हैं, उनका दबदबा है या उनकी नौकरशाही जो मनमानी बर्बता के साथ जनता के साथ खिलवाड़ करती है। इन दो बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो यह जो घटना बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अन्दर घटी है वह समझ में आती है। घटना तथ्यों के बारे में माननीय सदस्यों ने जो वहां पर गये थे, जिनके पास सूचनाएं आयीं थीं उन्होंने और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इस बात को स्पष्टतया व्यक्त किया और खेद प्रकट कर दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्या यह एक मात्र खेद प्रकट करने का विषय है। क्या इसको हम यह कह कर टाल सकते हैं कि हम को बड़ा दुख है कि ऐसी घटना घट गयी। यूनिवर्सिटीज की पवित्रता, मान्यताओं और आस्था पर कुठाराघात हो जाय तो उसको भी हम इसी प्रकार टाल सकते हैं कि हमें बड़ा खेद है, ऐसा नहीं होना चाहिये था। यह ठीक बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिये था, मगर हो गया है, तो सरकार का कौन-सा कदम आता है। मुझे तो ऐसा खयाल आता है कि शायद यहां पर डायर के उस ऐक्शन को दहराया जा रहा है जो कभी निहत्थी जनता पर ब्रिटिश सरकार के जमाने में हुआ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द्र]

था। निहत्थे विद्यार्थी शान्तिपूर्ण अपने कैम्पस में हैं। वहां के वाइस चांसलर इस बात का जिमबा लेते हैं कि कोई अशान्ति नहीं होगी—और आज भी अशान्ति वहां नहीं है, पूर्ण अनुशासन है। मैं मानता हूं कि एक विद्यार्थी मर गया तो उनके अन्दर स्वाभाविक उत्तेजना आ सकती है, किन्तु कानून के रक्षक, जिनके ऊपर जनता की शान्ति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है वह अशान्तिपूर्ण तरीके से जब आगे बढ़ते हैं और इस बात की चेष्टा करते हैं कि बर्बतापूर्वक तरीके अपनाये जायं तो उनका कर्त्तव्य कहां रह जाता है ?

सरकार की मान्यताओं और जनतांत्रिक मान्यताओं की दुहाई दी गयी। वह इस प्रकार के कृत्यों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि शासन अर प्रशासन का क्या संबंध है, जनता और सरकार का क्या संबंध है, इन दोनों बातों को आधार मान कर हम जान सकते हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली काम कर रही है, वहां भी ऐसे उदाहरण उपस्थित हैं और विरोधी दल द्वारा वहां भी इस प्रकार की बातें चल रही हैं जैसी कि यहां आज परिस्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि जिस समय यहां पर विरोधी दल द्वारा जनता की भावनाओं को यहां पर व्यक्त किया जा रहा था तो उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री थंपिंग कर रहे थे, मुस्करा रहे थे और हंस रहे थे ? क्या यह ऐसी बात थी जिसको जनता का प्रतिनिधि—इतने गम्भीर प्रश्न को—इतनी हंसी के साथ उड़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि जनता की मान्यताओं और हितों की बात होने पर गृह मंत्री हंसें, तालियां बजायें अर टांट करें हाउस में, इससे बढ़ कर लज्जा की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात यह कि माननीया मुख्य मंत्री और नेताओं की आपस में बात चीत हुई और उन्होंने इस बात को माना कि जुर्म हुआ है, गलती हुई है और हम इस पर ऐक्शन लेंगे। उन्होंने अपनी तरक से न्याय करने की कोशिश की और रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर के अधीन एक कमीशन मुकर्रर कर दिया। लेकिन जब सदन में यह घटना हुई कि अपोजीशन के एक एक माननीय सदस्य निकाले गये तब उन्होंने एक रिटायर्ड जज को उस स्थान पर बैठाने की घोषणा की। क्या प्रजातंत्र की यही मान्यता थी कि एक सरकार जो अपने को जिम्मेदार कहती है वह इस प्रकार सारे अपोजीशन के विरोध प्रदर्शन करने के बाद ही उस पर कोई कार्यवाही करे। अपोजीशन की मांग थी आप कि जो कमीशन नियुक्त करें, उसमें हाई कोर्ट का जज होना जरुरी है लेकिन आपने जो कमीशन बनाया है वह एक ऐसे आदमी का है जिसको हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह पूरे अपोजीशन की अमान्यता है और इससे बढ़ कर लोकतंत्र के ऊपर कोई धक्का नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में इधर या उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, कल पालीवाल जी कह रहे थे कि सारी बातों को कहते हुये मैं कोई पुलिस की सिफारिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछता हूं कि उसके ऊपर सरकार की ओर से क्या ऐक्शन हुआ ? जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ तत्काल ऐक्शन होना चाहिये। और जो स्वयं सिद्ध बात है कि पुलिस की ज्यादती है, कांग्रेस के अध्यक्ष वहीं के हैं, उन्होंने कहा, कांग्रेस के जेनरल सेक्रेटरी मानते हैं, कांग्रेस के और सदस्य मनाते हैं और यह स्वयंसिद्ध घटना है फिर उसके ऊपर क्यों ऐक्शन नहीं लिया गया ? क्या यही प्रजातंत्र की मान्यता है और क्या इसी तरह से जनता की रक्षा की जा सकती है ? जो हमारे इस सदन की सर्व सम्मत राय है उसको ध्यान में रखते हुये सरकार को उचित कदम उठाना चाहिये तभी जनतंत्र की रक्षा हो सकती है।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुखद घटना है, जिसके ऊपर आज इस सदन में चर्चा हो रही है। एक ऐसे युवक की मृत्यु हो गयी, जिसको अभी अपने जीवन में बहुत से बसन्त देखने थे, खामख्वाह जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उसकी प्रतिक्रिया जनता में और जो उससे सम्बन्धित हैं उस समूह में पड़ना स्वाभाविक है। और ऐसी घटनाओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में जो विवादग्रस्त पक्ष बन जाते हैं, फिर उनके सम्बन्ध में भावनाओं के ऊपर, भावुकता के ऊपर हम असन्तोष के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो हममें से कुछ आदमियों में ऐसी क्षमता रह जाती है कि हम क्षमता पूर्वक उसके ऊपर कुछ सोच सकें। पुलिस के लिये बहुत बुरा भला कहा गया, उसके अत्याचारों व कुकृत्यों का वर्णन किया गया है, इस तरह से पुलिस तो एक अनिवार्य पार्टी की स्थिति में है। जब कहीं शांति भंग होने की आशंका हो जाती है, जब जनता की सुरक्षा संकट में पड़ती है तो पुलिस अनिवार्यतः एक पार्टी बन जाती है। जब राष्ट्रपति के आगमन के सिलसिले में सिक्योरिटी एरेंजमेंट देखने के लिये अधिकारियों और पुलिस का दल वहां गया, उसी समय यह घटना घट गयी। अनेक ऐसे दृष्टान्त हैं जबकि मैनेजमेंट और विद्यार्थियों के बीच में झगड़े हुए अगर उनमें पुलिस को हस्तक्षेप करने पड़े हैं। अध्यापकों और उनके बीच में जब कभी विवाद होता है तो बीच में पुलिस को आना पड़ता है। विद्यार्थियों के बीच भी बहुत से दल होते हैं, वे तरह-तरह के राजनीतिक दलों में विभक्त होते हैं। जब उनका कभी आपस में क्लैश होता है तो पुलिस को उनकी रक्षा के लिये बीच में आना पड़ता है। जब कभी प्रतिक्रियावादीयों और साम्प्रदायिकतावादियों में झगड़े की नौबत आती है तो बीच में पुलिस को आना पड़ता है। जब पुलिस के ऊपर शान्ति और सुरक्षा की जिम्मेदारी रखी गयी है तो अनिवार्यतः वह एक पार्टी बनती है और बनेगी। जो भी हमारे सामने घटना घटी, हमें उसके सभी पहलुओं पर विचार करने जरूरत है विचार करना चाहिये। एक अपराध हुआ है, तो वह किन परिस्थितियों में हुआ और उस पर हमें विचार करना चाहिये। अधिकारियों ने जो कार्य किया है वह किस भावना से किया है, हमें यह भी देखना चाहिये। अगर वे उस कार्य को न करते तो क्या होता यह, भी विचार करना चाहिये। मान्यवर, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके परिवार की जो प्रतिक्रिया होगी वह दूसरी होगी, अन्य समुदायों की जो प्रतिक्रिया होगी वह भिन्न होगी। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी हमें अपने ध्यान में रखना है। हमें तो देखना यह होगा कि जो घटना घटी है वह क्या थी? एक सज्जन ने अपने भाषण में कहा कि पुलिस की ट्रक विद्यार्थी को कुचल कर भाग गयी। उनके कथन से ऐसा मालूम होता है जैसे कि जानबूझ कर पुलिस ने उसको कुचल दिया। मान्यवर, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा समूह है छात्रों का। उन सब में एक बहुत बड़ा असंतोष था। फिर जिस तरह के वक्तव्य उधर से दिये जाते हैं वे भी आग में घी का काम करते हैं। टेन्शन को और पैदा करते हैं। अगर हम किसी समुचित कार्यवाही की मांग करें तो ठीक है, न मगर एक असंतोष जो फैला है, जो आग फैली है, उसमें घी डालने लगें तो ठीक नहीं हैं। देखना होगा कि जो अधिकारी वहां थे उनके सामने क्या परिस्थितियां थीं, किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या कार्य किया। सैकड़ों परिस्थितियां ऐसी हमारे सामने आयी हैं जब कि पुलिस को ऐसे मामलों में दखल देना पड़ा है। तरह-तरह की घटनायें घटी हैं और पुलिस को दखल देना पड़ा है। जो तरह-तरह की भ्रान्तियां यहां पैदा हुई हैं वे कदापि न होतीं यदि भ्रान्तियां पैदा करने वाले भाषण यहां पर न दिये जाते। (व्यवधान) (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ समय और दे दिया जाय.....

श्री अध्यक्ष—

एक मिनट और है आपका।

श्री बेचनराम—

यह कहा गया कि पुलिस ने घुस कर यह कार्यवाही की। मेरी जानकारी यह है कि जिस वक्त यह हत्या हुई, लड़का अस्पताल में दाखिल हुआ, डी० एम० ने डी० वाई० एस० पी० को जांच के लिये भेजा। एक इन्स्पेक्टर, इन्द्रजीतसिंह उसकी खून की जांच के लिये गये क्योंकि जो सी० आर० पी० सी० के नियम हैं उनके अनुसार कार्यवाही तो होना है। उसको वहां रोका गया। यह कार्यवाही कितना औचित्य रखती है?

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, चार तारीख को घटना के दूसरे दिन ही मैं विश्वविद्यालय में गया था। मैंने जिलाधीश को फोन किया, एस० पी० को फोन किया, कमिश्नर को फोन किया। परन्तु

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

मेरा दुर्भाग्य है कि वे मुझ से मिल न सके क्योंकि जो ब्योरोक्रेसी का स्टैन्डर्डउत्तर है वही उत्तर मुझे मिला और जहां तक मुझे जानकारी हुई वही उत्तर माननीय नेता विरोधी दल के साथ जो गये थे, उनको भी मिला था जब कि स्वयं उपस्थित थे। स्वयं भी होने की कला जो है, उससे वे प्रकट हो गये। मुझे उत्तर मिला कि वे नहीं हैं। मैं जानता था कि बंगले पर बैठने के माने होते हैं कि बंगले पर बैठ कर क्या बनाया जाय। मुझे मालूम हुआ कि वे तीनों महापुरुष वहां बैठे वार्तालाप कर रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता इस बात की हुई कि कल से मैं देख रहा हूं कि इस विषय पर आज सारा हाउस सर्वसम्मत है। यूनिवर्सिटी की अटानामी नष्ट हुई,भ्रष्ट की गई। महामना मालवीय जी की साधनास्थली में विद्यार्थियो का रक्त बहा। पुलिस ने संतुलन खोया। मुझे आशा थी कि जब इतने बड़े सदन में सब दलों के मतभेद, विचारों की भिन्नता होने के बावजूद सब तरफ से, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, प्रान्त के कांग्रेस अध्यक्ष, माननीय कमलापति त्रिपाठी ने स्वयं कहा, जब इतनी बड़ी सर्वमान्य सीख और जिस बात को मैं समझता हूं सरकार ने भी अब तक इन्कार नहीं किया, मुझे आशा थी कि कल के और आज के इस विवाद में माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री भाग लेंतीं तो सरकार का दृष्टिकोण भी सामने आता और उनके मौन रह जाने के कारण मैं समझता हूं कि ये तीन बातें उन्होंने भी निर्विवाद मान लीं। जब यह निर्विवाद मान लिया गया, क्योंकि यह सत्य है कि ताला तोड़ते समय सिंहद्वार पर कलेक्टर और एस० पी० पुलिस के हजूम को लीड कर रहे थे, जब यह बात मान ली गई तो कितना ही सुन्दर होता कि जिस जनतन्त्र की रोज दुहाई दी जाती है और माननीय मुख्य मंत्री हमको सद्भावना और सद्व्यवहार की सीख देती हैं अगर थोड़ा-सा उस सीख को खुद आचरण करतीं। आज सुबह इस हाउस में खड़े होकर कह देतीं कि जिन ब्योरोक्रेट अधिकारियों ने ऐसा काम किया है उनको सस्पैन्ड किया गया है और उनको ये ये दंड दिया जा रहा है। अगर यह घोषणा हुई होती तो मैं समझता हूं कि यह जनतंत्र का पोषण कर रही हैं। यह घोषणा न करने का अर्थ क्या है कि ब्योरोक्रेसी के मत में यह बराबर छाप पड़ेगी कि हम जो भी करते हैं जैसा भी करते हैं यह सरकार हमारा पृष्ठपोषण करेगी और इसी मनोभावना का परिणाम है और इसी नीति का परिणाम है कि उसकी कमजोर नीति ही आज ब्योरोक्रेसी का पृष्ठपोषण कर रही है।

आज ब्योरोक्रेसी के इतने मन बढ़ गये हैं कि वह सब कानून का उल्लंघन करती हैं, मानवता का उल्लंघन कर रही हैं, सौजन्यता का उल्लंघन कर रही है और जिस सब प्रकार के अत्याचार करने के लिये तत्पर रहती हैं। आज इस प्रकार के उद्घोष सरकार की तरफ से नहीं होने चाहिये। आज संख्यासुर के बल पर चाहे वे जो कर लें लेकिन वह दिन दूर नहीं कि जैसे विश्व-विद्यालयों के ताले तोड़े गये वैसे ही इस सदन के ताले और उनके बंगलों के ताले भी तोड़े जा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी एक घोड़ा है जिस पर चढ़ने के लिये एक सतर्क और अच्छा सवार चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि घोड़ा आज इस सरकार रूपी सवार पर सवार है। मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं। इसी सदन में घटनाओं की एक श्रृंखला आई और बार बार जो कहा गया उससे पुलिस का पृष्ठपोषण ही किया गया। न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी के विरुद्ध स्ट्रिक्चर्स पास किये और जब सरकार से पूछा गया तो कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करें। जौनपुर के स्वनामधन्य डी० एस० पी० के विरुद्ध स्ट्रिक्चर्स पास हुए जिनके ऊपर माननीया मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया, अगस्त के महीने में कि तबादला किया जा रहा है। दिसम्बर तक तबादला नहीं हुआ तो मैंने उनको एक पत्र लिखा कि आपके आश्वासन का मूल्य ही क्या है। तब उनका तबादला हुआ और उनको सहारनपुर के सिटी डी० एस० पी० के पद पर प्रमोट कर दिया गया। जिसके विरुद्ध स्ट्रिक्चर्स पास हुये और जिसके लिये माननीया मुख्य मंत्री ने तबादले का एश्योरेन्स दिया, उसका तबादला इस प्रकार प्रेस के साथ किया जाना क्या प्रमाणित करता है? उससे यही प्रमाणित होता है कि पुलिस चाहे जो करे, उसका सदैव पृष्ठपोषण ही किया जाता रहेगा सरकार की तरफ से। भगवान के लिये इस प्रकार का पृष्ठपोषण न कीजिये। भले ही आज कुछ विद्यार्थियों के हाथ टूट जायं, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का आज अपमान हो जाय, कल वही पुलिस आपके सिर भी फोड़ सकती है। जिस प्रकार

कुरु वंश शकुनि की सलाह से डूब गया था उसी प्रकार यह ब्यूरोक्रेसी रूपी शकुनि की सलाह पर आप न चलिए नहीं तो डूब जायेंगे। अगर आप डेमोक्रेटिक मान्यताओं को मानना चाहते हैं तो सब दलों के नेताओं ने सर्वसम्मति से जो प्रश्न सदन के सामने रखा है, उसको आपको मान लेना चाहिए।

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए मैं माननीया मुख्य मन्त्री का आभारी हूं कि उन्होंने इस विषय के ऊपर सदन में खुले तरीके से बहस होना स्वीकार कर लिया, इससे पता चलता है कि इस मसले पर वह सदन की आवाज, सदन के लोगों के अनुभव जानना चाहती हैं, उनके विचारों से अवगत होना चाहती हैं। यह खुद बहुत अच्छा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, जो सराहनीय है। मैं इस इश्यू को दूसरे और इश्यू से मिलाना नहीं चाहता क्योंकि उससे उस विषय का रंग दूसरा ही हो जाता है। मेरे लिए तो बनारस यूनिवर्सिटी के कांड में मुख्य दो ही इश्यू हैं। एक तो यह कि पुलिस ने एक्सेसेज की या नहीं की और दूसरे यह कि क्या पुलिस और जिले के अधिकारियों को यूनिवर्सिटी के अन्दर घुसना चाहिए था। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है यह खुशी की बात है कि सरकार ने जुडीशियल इंक्वायरी की बात को मान लिया है। अच्छा होता अगर इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया जाता। मैं पुराने हाई कोर्ट के जज अथवा किसी की नीयत में नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि जब आपने एक अच्छा काम किया है तो अगर उसको और अच्छा किया जा सकता है तो किया जाय। जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, वह मेरे लिए बहुत महत्व का प्रश्न है, इसलिए कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी के पीछे एक परम्परा होती है। मैं समझ नहीं पाया, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ चर्चा की और पता नहीं वह क्या कहना चाहते थे और पुराने मुख्य मन्त्रियों के जमाने की बात को कह रहे थे लेकिन मोटी बात यह है कि विश्वविद्यालयों की एक परम्परा अंग्रेजी जमाने में भी सुरक्षित रही है और वह परम्परायें चाहे कानूनी न हों लेकिन उन्होंने जड़ पकड़ ली है और उनका बड़ा महत्व है। इस बार ऐसा मालूम हुआ कि पहली बार यूनिवर्सिटी के अन्दर सरकारी अधिकारी बगैर वाइस चांसलर की इजाजत के गए यानी अंग्रेजी जमाने में सन् १९४२ तक में बनारस यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा गढ़ थी राष्ट्रीय आन्दोलन का और वहां के विद्यार्थी सारे शहरों में, आसपास के जिलों में आन्दोलन को लीड करते थे। आन्दोलन की बड़ी गतिविधि को चलाते थे, लेकिन वहां उस जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी अधिकारी बगैर वाइस चांसलर की इजाजत के वहां गए हों। एक माननीय सदस्य ने डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जमाने की चर्चा की लेकिन उन्हें शायद वाक्यात नहीं मालूम थे या वह दिमागी परेशानी में गलत वाक्यात को ठीक ढंग से पेश कर गए। माननीय सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में या चन्द्रभानु गुप्त के जमाने में कई बार पुलिस यूनिवर्सिटी कैम्पस में गई, वहां जाना कोई मना नहीं है, न वह कोई ऐसा क्षेत्र है कि उसमें कोई भी गलत बात होती रहे और वहां कोई सरकारी अधिकारी न जा सके लेकिन वहां की एक मान्य परम्परा है कि जरूरत होने पर यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर सरकार को लिखते हैं या उस से मदद मांगते हैं तभी पुलिस वहां गई है अब तक। मुझे याद नहीं है कि कभी भी डा० सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में इस ढंग से पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसी हो। जो हुआ, वह हुआ लेकिन ऐसे मामलों में हमारे दिमाग साफ होने चाहिए और यह न समझना चाहिए कि इस में कोई किसी के प्रेस्टीज की बात है।

मैं बहस में नहीं जाऊंगा लेकिन ब्यूरोक्रेसी बड़ी नाजुक तबीयत होती है, उसका प्रेस्टीज बड़ा ऊंचा होता है। और आप हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो यकायक खयाल होता है कि इसका समूचे प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा और ऐसा सोचने का ढंग आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के प्रेस्टीज से हटा देता है। अब हमें इन दोनों में से एक को चुनना है कि किस के प्रेस्टीज को बरकरार रखना है। दोनों के प्रेस्टीज शासन के सामने रहते हैं, एक सेवाओं का और दूसरा सदन की आवाज का; लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सदन की आवाज को ऊपर रखना चाहिये, उसकी वकअत करना चाहिये। हम देख रहे हैं कि यहां रोज बहस होती है और रोज-रोज उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सहाय]

गृह मंत्री जी का नाम आ जाता है, यह जरा मुनासिब नहीं मालूम होता। इधर से और उधर से रोज कहा जाता है लेकिन अगर कोई गलत बात है तो माननीय मुख्य मंत्री को कहना चाहिये साफ तौर से कि गलत है लेकिन किसी गृह मंत्री पर इस तरह से आक्रमण हो तो वह अपने ऊपर भी आक्रमण समझें इस तरह की पोजीशन को बदल दिया जाय तो अच्छा है। इस तरह की बात हो तो कोई भी मंत्री हो उसके काम करने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि रोज-रोज ऐसे नारे न लगाये जायं लेकिन अगर ऐसा समझा जाता है कि कोई ऐसी स्थिति आ गई है तो वह बात मालूम होना चाहिये और अगर नहीं है तो रोज-रोज यह चीज मुनासिब नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस रुखको अपनाया है उससे बल मिलेगा। अगर कोई बात गलत साबित हो गई है तो उसके ऊपर मजबूती से एलान होना ही चाहिये और उसके बाद बाकी इन्क्वायरी होती रहनी चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ३ तारीख को बनारस यूनिवर्सिटी में वहां की पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने अपने ढंग से जिस प्रकार का अवांछनीय और अशोभन आचरण किया, उस विषय को लेकर हमारी प्रान्तीय सरकार यहां, लखनऊ में, अपने ढंग से कुछ कम अशोभन कार्य नहीं कर रही है। जब यहां पर लखनऊ में अखबारों द्वारा मालूम हुआ कि बनारस में इस प्रकार की घटना हो गयी है तो विरोधी पक्ष के नेताओं ने यहां मंत्रणा की और दूसरे ही दिन वे बनारस पहुंच गये। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब वे दूसरे ही दिन पहुंच सकते थे और एक ही दिन में अपनी रिपोर्ट लखनऊ आकर दे सकते थे तो क्या हमारी मुख्य मंत्री और गृह मंत्री को जिनको टेलीफोन द्वारा इस घटना के बारे में और पहले ही खबर मिल गयी थी, बनारस जाकर अपनी आंखों से सही घटना की जांच करने की अक्ल नहीं आ सकती थी? तो श्रीमन्, इससे बढ़कर और अशोभन कार्य क्या हो सकता है। यदि हमारे गृह मंत्री जी विरोधी दलों के नेताओं की अक्ल के साथ अक्लदार बन कर वहां गये होते और जांच पड़ताल की होती तो उनकी तरफ से इस काम में अधिक खूबसूरती आ गयी होती लेकिन शायद भगवान ने उनकी तकदीर में नहीं लिखा है कि वे कोई काम खूबसूरत ढंग से कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात आपको नहीं कहना चाहिये।

श्री रघुनाथसिंह—

जब अखबारों से मालूम हुआ कि विरोधी दल के लोग वहां पहुंच गये तो हमारी मुख्य मंत्री ने माननीय हुकुम सिंह जी को सोमवार को वहां पर भेजा क्योंकि वे बड़े मजाकिया व्यक्ति हैं। शायद वे वाइस चान्सलर से भी मजाक पूर्ण ढंग से बात करके थोड़ा उनके घाव पर मल्हम रख सकें किन्तु वे आज तक नहीं लौटे हैं। मान्यवर, आज इस घटना को हुए ७ दिन हो गये हैं। हमारे माननीय रियासत हुसैन जी ने बहुत सी धाराओं का जिक्र किया है कि पुलिस का अत्याचार इन धाराओं की तहत में हुआ अगर उन धाराओं का साधारण मनुष्य उल्लंघन करता, अपराध करता तो तुरन्त पकड़ा गया होता। जमानत करते-करते महीनों लग जाते लेकिन हमारे अधिकारियों को नहीं पकड़ा जा सकता। यहां पर बहस करायी जा रही है और इसके लिय मुख्य मंत्री के प्रति कुछ एक सदस्यों ने कृतज्ञता प्रकट की है। क्या यही आपका समाजवाद है? समाजवाद का नारा लगाया जाता है परन्तु नौकरशाही को जुल्म करने का विशेष अवसर और पूंजीपतिओं को धन कमाने का विशेष अवसर इस समाजवादी शासन में है। यह बड़ी लज्जा और कलंक की बात है। भगवान जाने इस अभिशाप से कब हमारा उद्धार होगा?

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी...

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय मैं, बोलने के लिये कई बार खड़ा हुआ क्योंकि मेरे क्षेत्र के रुद्रपुर कस्बे का महान तेजस्वी छात्र कुचला गया है। लेकिन आपने जानबूझ कर मुझे मौका नहीं दिया। इसके लिये लिख कर दिया था अस्तु इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चन्द्रबलीसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

*श्री मैनेजरसिंह—

इस विश्वविद्यालय की घटना के ब्योरे में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इसके सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ३ तारीख को २ घटनायें वहां पर घटीं। एक तो दुर्घटना में लड़के की मृत्यु होना और दूसरा सरकारी गाड़ी का जलाया जाना। मैं ऐसा मानता हूं कि यह घटना कैसे भी घटी लेकिन सबसे तकलीफ देह बात यह है कि इस घटना के बाद जो वहां के जिलाधीश थे, वे गैस्ट हाउस में ४५ मिनट तक रिहर्सल कराते रहे। मैं माननीय गृह मंत्री और माननीया मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिलाधीश और एस० एस० पी० ने घटना का निरीक्षण क्यों नहीं किया? लड़के के प्रति क्यों नहीं सहानुभूति की? आप भी जानते हैं कि जब कहीं कोई ऐसी घटना हो जाती है तो गाड़ी वाले को पीट देते हैं लेकिन ३ बजे आक्रमण करके चढ़ना, दरवाजा तोड़कर अन्दर घुसना यह एक ऐसी घटना है जिसका कोई औचित्य नहीं है। जिलाधीश और अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं है। लड़कों में कोई उत्तेजना नहीं थी। न कहीं वहां पर ला ऐन्ड आर्डर का सवाल था, अकारण जा करके, पुलिस ने घुस कर के जो कुछ कृत्य किया है वह शर्मनाक है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये घटनायें हो क्यों रही हैं? हमारे दो मित्रों ने कहा कि नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है। क्या माननीय गोविन्द साहय या माननीय कमलापति त्रिपाठी नये मुसलमान हैं। नये मुसलमान वह हो सकते हैं जिन्होंने यह बात कही थी या माननीय बेचनराम जी हो सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का शासन जो भ्रष्ट हो गया है, निकम्मा हो गया है उसी का प्रतिफल है जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ऐसी घटना हुई। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा मेमोरेन्डम, १०० पेज का आप को दिया गया, माननीय राज्यपाल को दिया गया, हमारे राष्ट्रपति की सेवा में दिया गया, माननीय नन्दा जी की सेवा में दिया गया., जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा/मैं कहना चाहता हूं कि आप में ईमानदारी है तो आप कहिये कि सारी बातें गलत हैं। यदि आप ऐसा ऐलान करें तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे शौक नहीं है यहां पर बैठने का। मुझे शौक नहीं है आप के खिलाफ बात करने का। लेकिन आप कहिये कि ये सारी बातें गलत हैं, एक भी बात आप कहें कि गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं।

(श्री मैनेजरसिंह द्वारा सदन में कागज फेंकने पर)

श्री अध्यक्ष—

यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—

लेकिन यदि यह बातें सही हैं, तो आप इनको हटाइये। नहीं हटातीं, तो आप कुर्सी छोड़ दें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक बात मैं कहना चाहता हूं। बनारस के जितने विधायक रहे हैं, सबको आपने कुछ न कुछ मौका दिया। लेकिन माननीय ऊदल को आपने नहीं दिया इस का मुझे दुख है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मेरी हार्दिक इच्छा थी कि उनको समय देता । लेकिन समयाभाव के कारण नहीं दे पाया ।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल और आज से माननीय सदस्यों की बातें सुनती रही । कुछ इलेश भी दिया गया कि माननीया मुख्य मंत्री हमें प्रजातंत्र का सबक पढ़ाती हैं और खुद डिक्टेटोरियल तरीके से चलती हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे भाई जो विरोधी दल में बैठते हैं, जो जिम्मेदार हैं, अलग-अलग दलों के नेता हैं उन को मैंने परसों बुलाया था और कहा था कि सदन की कायवाही इस तरीके से चलायें ताकि कार्यवाही सुचारु रुप से चल सके । यह मैंने कोई दूसरी मंशा से नहीं किया था बल्कि इसीलिये कहा था ताकि वे भी अच्छी तरह से काम कर सकें । परसों और कल जो बात हुई थी, उस में काफी अन्तर है । मैं कृतज्ञ हूं जो मेरी अपील पर विरोधी दल के नेतागण ने यह फैसला किया कि इस हाउस में शान्ति से काम चलायेंगे, उस का नतीजा क्या हुआ ? पहले दिन तो सब लोग बाहर चले गये जो डिस्कस करना चाहते थे वह हो नहीं पाया और जब शान्ति से काम शुरू हुआ तो मैं समझती हूं कि विरोधी दल के नेतागण भी नहीं समझते थे कि ४ घंटे तक इस को डिस्कस करने का मौका मिलेगा, वह ऐसा नहीं सोचते थे । जब आप की तरफ से ऐसा अस्वर होता है तो हम भी आप की इच्छा के आगे झुकते हैं । मैंने जो अपील की थी, उस में मेरे मन में कोई और मोटिव नहीं था बल्कि मैं चाहती थी कि हाउस ऐसे चले, जिस परपज के लिये हम यहां बैठे हुये हैं, वह कर सकें । चार घंटे का समय इसीलिये दिया ताकि जो आप कहना चाहें कह सकें । आप ही लोग नहीं बल्कि हमारी तरफ से भी लोगों को जो कहना हो वह कहें और आप ने देखा इस में हमारी तरफ के लोगों ने भी अपने विचार स्वतंत्रता से प्रकट किये । अगर मैं चाहती कि नहीं ऐसा न हो तो मैं उस को शट अप करती । मैं चाहती हूं कि अगर कोई बात हो गई, अच्छी या बुरी, तो उस के विषय में जो लोगों के प्रतिनिधियों की भावनायें हैं वे जरूर सुननी चाहिये और वही सुनने के लिये मैं ४ घंटे तक सुनती रही। मुझे कोई अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं सुनती रही । और मैं आशा करती हूं कि देश में जो समस्या उठे, उस समस्या का समाधान कैसे करना है, उस के लिये सब लोग मिल कर चेष्टा करें और समाधान करें ।

हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो बातें हुई हैं वे अत्यन्त दुखदाई हैं, सारी बातें दुखदाई हैं चाहे वे विद्यार्थियों की तरफ से हों या पुलिस की तरफ से। मेरा गहरा सम्पर्क हिन्दू यूनिवर्सिटी से रहा है। मैं वहां की विद्यार्थी तो नहीं हूं मगर ८, १० साल अपने जीवन के वहां मैंने बिताए हैं। उस समय मदन मोहन मालवीय और ध्रुव जी वहां थे। सारा वातावरण वहां दूसरा था। आजादी के लिये जंग का जमाना था । एक उच्च भावना विश्वविद्यालय के लिये होती थी और हमारा भी यह ध्येय है कि जिस आदर्श और उद्देश्य को लेकर मालवीय जी ने यूनिवर्सिटी खोली थी, उसकी पूर्ति होती रहे। इसीलिये बनारस में मेरे समय में ऐसी बात हो, यह आपके लिये जितना चिन्ता का विषय है उससे ज्यादा मेरे लिये चिन्ता का विषय है। ऐसी बातें क्यों होती हैं, यह हमको देखना होगा ? मैं पुलिस की सफाई नहीं देना चाहती। मैं आशा करती हूं कि आप धीरज से मुझे सुनेंगे। हिन्दू यूनिवर्सिटी में गोविन्द मालवीय के बाद बदकिस्मती से वहां की परम्परा बिगड़ने लगी और वहां अशान्ति होने लगी। उसका सारा इतिहास देने की जरुरत नहीं है। बदकिस्मती से जो इंक्वायरी कमीशन हिन्दू यूनिवर्सिटी कमीशन के लिये बैठाया गया था, उसकी मैं भी मेम्बर थी। एक अनुशासनहीनता का वातावरण वहां बना हुआ है। इसके लिये स्टेट जिम्मेदार है, यूनिवर्सिटी अथारिटीज जिम्मेदार हैं, यह मैं मानती हूं और उसे कैसे संभाला जाय। एक एक्सीडेंट हो जाता है। कोई भी मोटर चलाता है, हिफाजत के साथ चलाते हुए भी एक्सीडेन्ट हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है। यहां किसी ने यह नहीं कहा कि जान कर मारा, एक्सीडेन्ट हो गया, एक्सीडेन्ट होने के बाद लड़के विचलित हों यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन जो बात उसके बाद हुई वह नहीं होनी चाहिये थी यह मैं मानती हूं। तो यह कांफरेंटेशन पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में बार बार आता है। ये दोनों ऐसे एलीमेन्टस हैं जो इन्फलेमेबिल एलीमेन्ट्स हैं। इनका कांफरेंटेशन जितना कम हो उतना ही अच्छा है लेकिन बदकिस्मती है कि पिछले दिनों बार बार पुलिस और स्टूडेंट्स का काफरेंटेशन करना पड़ रहा है हमारी इच्छा के बावजूद भी जो कुछ हुआ है उसकी जांच होगी और सजा भी हो सकती है।

मैं यूनिवर्सिटी में रह चुकी हूं और विद्यार्थियों को हेंडिल कर चुकी हूं। पुराने जमाने में विद्यार्थियों की संख्या कम होती थी। टीचर और विद्यार्थी का निकट का संबंध होता था, व्यक्तिगत सम्पर्क होता था। आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, पढाई की समस्या है वह टीचर के सामने आती थीं। प्राक्टर जो होता था होस्टल संभालने वाला उसका विद्यार्थियों से निकट का संबंध होता था। मेरे जमाने में शाम को कोई भी विद्यार्थी आकर हमसे पढ़ सकता था। किसी को कोई दिक्कत होती थी तो मेरे विषय के अलावा पढ़ सकते थे क्योंकि निकट का सम्पर्क होता था। उस समय किसी नौजवान को कोई बेचैनी होती थी तो टीचर्स उसे संभाल सकते थे। लेकिन दिनों दिन यूनिवर्सिटी में ऐसा वातावरण हो गया है कि आज विद्यार्थियों को कोई संभालने वाला नहीं है। मैं कहती हूं कि कई जगह हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी को न छुआ जाय क्योंकि यूनिवर्सिटी की आटोना यदि जैसा कल कमलापति जी तथा बहुगुणा जी ने कहा कि बहुत प्रेशस होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी अथारिटीज को भी समझना चाहिये कि यह जो देन है इस देन को शांति के साथ स्थापित रखें, वैसी कंडीशंस स्थापित करिये और जिस परपज के लिये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है यह सारी उन पर जिम्मेदारी की बात है लेकिन यूनिवर्सिटी अथारिटीज जब गड़बड़ी हो, लड़के कोई काम कर डालें तो हाथ पैर ढीले कर के बैठ जायं और जब पुलिस डंडा चलाये...

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

माननीय मुख्य मंत्री यूनिवर्सिटीज के संबंध में बोल रही हैं। उनको घटना पर बुलवाइये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर सुनिये

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अगर आप लोगों को धीरज नहीं है, तो मैं बैठ जाऊं।

श्री उग्रसेन—

अगर लैक्चर सुनवाना है तो हरगोविन्द सिंह जी को बुलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन—

आप उनको तो टोकते नहीं हैं, हम लोगों को ही टोकते हैं

श्री अध्यक्ष—

अभी उन्होंने कोई बात नहीं कही। वह कह रही हैं कि यूनिवर्सिटीज में ऐसी बातें क्यों होती हैं? इसका विश्लेषण कर रही हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक बजे तक का इसके लिये समय है और एक बजने में केवल ५–७ मिनट बाकी रह गये हैं और असली घटना को मुख्य मंत्री जी छिपाना चाहती हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं असल घटना पर ही बोल रही हूं। अगर मेरे भाई समझ रहे हों कि मुझे आराम मिल रहा था तो यह बात नहीं है। मैं वेदना से बोल रही हूं। तकलीफ से बोल रही हूं और कम से कम इतना पेशेंस आपसे एक्सेप्ट कर सकती हूं कि जैसे हम लोगों ने आपको सुना वैसे ही आप लोग भी सुनने की कृपा करें। मैं यह कहना चाहती हूं कि इक्का दुक्का एक्सीडेन्ट का सवाल नहीं है बल्कि जो बीमारी स्टूडेन्ट्स में फैली हुई है, उसको समझें कि उसका कैसे सुधारा जाये। (व्यवधान) अगर आप सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं भी सुनाना नहीं चाहूंगी और मैं जाने के लिये तैयार हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

जुल्म को खत्म करने के लिये जालिम को खत्म करना चाहिये। जब तक जालिम को खत्म नहीं करेंगे तब तक जुल्म खत्म नहीं हो सकते हैं इसलिये माननीय मुख्य मंत्री को डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को सस्पेन्ड करना चाहिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि उधर से जितनी प्रोवोकेटिव बातें हुई हैं, उनको कांग्रेस के लोगों ने बड़े धीरज के साथ सुना है। मैं भी आपसे वही उम्मीद करती हूं। यह जो बात हुई है, इसको कैसे सुधारा जाये। यह डीपर कारण है इसमें सबको जाना चाहिये। पुलिस का इंस्ट्रूमेन्ट एक अपनी चीज है। यह तो एक रफ एन्ड रेडी इंस्ट्रूमेन्ट है। कल माननीय बहुगुणा जी और कमलापति त्रिपाठी जी ने बहुत सी बातें बताई। वे बहुत अच्छी हैं और उनकी भावना से हम लोग सहमत हैं। जो इंस्ट्रूमेन्ट कोआर्सिव बेसिस के लिये हैं अगर उसको इस्तेमाल किया जाये तो उसमें बुनियादी ढंग से खतरा रहता है कि जितना वायलेंस यूज करना चाहिये उससे ज्यादा हो सकता है। मुझे गांधी जी की बात याद दिलाई गई, मैं भी उनकी बात याद दिलाना चाहती हूं। गांधी जी नान वायलेंस चाहते थे और उनका लोगों के ऊपर कंट्रोल भी बहुत ज्यादा था लेकिन बावजूद इसके चौरी-चौरा कांड हुआ और उनको कहना पड़ा कि इसको बन्द कर देना चाहिये। वायलेंस का इंस्ट्रूमेन्ट तो मजबूरन इस्तेमाल करना होता है और उसमें खतरा रहता है कि वह हमारे हाथ से निकल न जाये। इसलिये इससे जितना कम काम लें उतना ही अच्छा है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि पुलिस यूनिवर्सिटी में हर्गिज नहीं घुसेगी लेकिन इतना कोआपरेशन यूनिवर्सिटी अथारिटीज से भी मिलनी चाहिये कि वे पुलिस को बुलायेंगे नहीं और वे इस बात के लिये तैयार हो जायें कि पुलिस को स्टूडेन्ट्स के सामने आना न पड़े और दोनों का कंफ्रंटेशन न हो। जब तक इनका कंफ्रंटेशन होगा तब तक इन बातों का खतरा है। इसको बचाने के लिये देखना होगा कि कैसे इसको बचाया जाये।

अब बनारस की घटना के बारे में आइये। मुझे बड़ा खेद है और मैं बड़ा सफर कर रही हूं क्योंकि जितनी बातें वाक्यात के बारे में कही गयी हैं, वह सब गैर कानूनी हैं, क्योंकि इन्क्वायरी शुरु हो गयी है। इस वक्त मेरे पास जो वर्जन आये हैं वह मेरे पास हैं, जो आपने भेजे हैं वह भी मेरे पास हैं। मैं उसके बारे में इस समय कुछ भी कहना नहीं चाहती हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि जो वर्जन आये हैं, उसमें कई बातें हैं, जिसमें कुछ रोशनी डालने की जरुरत है। जैसे कि जो एक्सीडेन्ट हुआ वह जानकर हुआ या अनजान में, हालांकि यह किसी मेम्बर ने नहीं कहा कि यह जानकर किया गया, एक्सीडेन्ट के बाद ड्राईवर भाग गया, उसके बारे में इमीडिएट क्या कार्यवाही हुई, उसको जेल भेज दिया गया।

या वह वहीं छोड़ दिया गया। जिस छात्र की मृत्यु हुई वह कितने समय बाद हुई और छात्र की मृत्यु की खबर कैसे और किस के द्वारा फैली। बहुत सी बातें इस पर मैनेजर सिंह जी ने कहीं और उन्होंने जोश में आकर अपने कागज फेंक दिये जो मैं समझता हूं...

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मुझे बहुत ही दुख है, अब मैं इस्तीफा दे देने वाला हूं, आप मुख्य मंत्री रहें और मनमाना शासन करें, ब्यूरोक्रेसी को खूब ज्यादती और मनमानी कर लेने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा प्रदर्शन आपको नहीं करना चाहिये। विधान सभा भवन प्रदर्शन का स्थान नहीं है, यह गलत तरीका है, यह आपसे गलती हो गयी।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैनेजर सिंह जी ने सही बात कही, मैं तो उनकी तारीफ ही कर रही थी, लेकिन वह रोष में आ गए। उन्होंने सही बात की तरफ मेरा ध्यान दिलाया कि पुलिस जब आई उसके बारे से देखना चाहिये आया कि वह पुलिस रेवेन्ज की भावना से आयी? इजाजत से आई या गैर इजाजत से आयी? यह सारी बातें देखने की हैं। इसमें भी जो दर्शन मेरे पास आया है, उसमें अन्तर है, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहती हूं। इसमें जितना यूनिवर्सिटी की तरफ से, विरोधी सदस्यों की तरफ से बताया जाता है उतना मेरे पास नहीं आया है, यह सब जांच करने की बात है। मेरे मन में कोई मंशा नहीं है....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मैं जानना चाहता हूं कि सारे अधिकारियों की क्या रिपोर्ट है? क्या कुलपति ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम अपनी सारी फोर्स के साथ यूनिवर्सिटी में घुस आइये?

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि जो माननीय मुख्य मंत्री के पास सूचना आई है वह आपकी सूचना के अनरूप न हो, तो विवाद पैदा हो सकता है। इसलिये आप सिर्फ सुनें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

इसमें कौन सी नई बात है, यह तो स्पष्ट ही है कि मुख्य मंत्री के पास जो अधिकारियों द्वारा सूचना आयी होगी वह हमारी सूचना के विरोध में ही होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं जानना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस संबंध में क्या लिखा है? क्या वाइस चांसलर ने हुक्म दिया था ताला तोड़कर अन्दर आने का? यदि ऐसा आदेश नहीं दिया था तो वे अधिकारी किस हालत में अन्दर गये?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसा आदेश कोई भी नहीं दे सकता है।

श्री उग्रसेन—

तो आपने सिंघल डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० और कलेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह वर्जन अलग अलग हैं, यदि इन्क्वायरी न हो तो मैं उनको सामने रख सकता था। मैं यह कदापि नहीं चाहती कि गलत आदमी को बचाया जाए। माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसी इन्क्वायरी होती हैं तो इन्क्वायरी के बाद दोषी लोगों को कोई सजा नहीं दी जाती हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे अनेक केसेज हैं, जिनमें आफिसरों को सजा हुई हैं, किन्तु उसे बताकर मैं आपका समय नहीं नष्ट करना चाहती हूं।

श्री झारखंडे राय—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हम लोगों से यह साफ स्वीकार किया कि यूनीवर्सिटी अथारिटीज नहीं चाहती थी कि पुलिस अन्दर घुसे, तब उन्होंने प्लेन कोर्स में आने की बात कही, तो वह भी मंजूर नहीं की गयी। उन्होंने यह भी कहा कि वाइस चांसलर ने हमसे ४ बजे आने को कहा तो हमें वह भी मान्य नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि अच्छा आप आइये हम गेट पर आप से मिलेंगे। किन्तु उन्होंने गेट पर मिलना भी मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती ताला तोड़कर ३ बजे अन्दर घुस गये। तो यह सब उन्होंने आप को लिखा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात निवेदन कर दूं। अगर हम सारे विषय में चले जायेंगे जो कि उस घटना से संबंधित है, तो बीत ठीक नहीं होगी। यह कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार से विवाद पैदा हो जायगा।

श्री उग्रसेन —

सब लोगों ने जो यह मांग की है कि वर्तमान जज बैठाइये तो इस विषय में क्या राय है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं फैक्टस में जाना नहीं चाहती हूं। इस समय लोगों में पूर्ण आवेश है और मेरे लिये बोलना भी कठिन है। मैं यह कहना चाहती हूं कि उस दिन जब मैं शाम को घर गई तो मेरे पास वायस चान्सलर का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि फौरन आप एलान कीजिये कि जुडीशल इन्क्वायरी बैठा रहे हैं और इसी वक्त मुझे आप फौरन टेलीफोन पर इत्तिला कीजिये, लड़के बहुत ही आन्दोलित हैं, अगर ऐसा हो सके तो मैं लड़कों को समझा सकता हूं। मैंने उनसे कहा कि आप लड़कों को शान्त कीजिये। मैंने अपने ला विभाग के अफसरों को बुलवाया और इस पर बात की। यह बात सही है कि जुडिशल इन्क्वायरी को वह रेजिस्ट करते हैं। तो यह हुआ कि जुडिशल मेम्बर, जो रेविन्यु बोर्ड के मातहत काम करते हैं, वही इन्क्वायरी कमीशन के वही पावर, वही अधिकार के साथ काम करें। ऐसा कर दिया जाय। जब यह तय हुआ तो जल्दी में मैंने छागला साहब को टेलीफोन किया और टेलीफोन पर भगवती जी से बात की और यह कहा कि आप लड़कों को सम्भालने की कोशिश कीजिये। उसके बाद सुबह को मेरा हुकुम चला गया। उसके अनुसार नोटिफिकेशन वगैरह का ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद यहां हाउस की भावना देखी और लोगो की बातें सुनी। यहां पर आग्रह था कि हाईकोर्ट का जज अप्वाइन्ट किया जाय। यहां पर वकीलों की बहुत चर्चा होती हैं, मैं वकील नहीं हूं। मैंने ला डिपार्टमेन्ट के लोगों से बुलाकर कोशिश की कि इसमें अन्तर क्या है। जुडिशल इन्क्वायरी और दूसरी इन्क्वायरी में अन्तर क्या है, इन्क्वायरी कमीशन ऐक्ट के अनुसार। हमको पता चला कि कमीशन के अन्दर पावर और राइट तो वही होते हैं, सिर्फ अन्तर इतना है कि जुडिशल उसको कहते हैं जिसका चेयरमैन एक जज होता है। इतना अन्तर उन्होंने बताया। जब आप लोग मेरे कमरे से चले आये तो मैंने यह समझने की कोशिश की कि इसको कैसे करें। इसके बाद यहां आई। यहां आकर देखा कि लोगों की डिमांड बहुत बढ़ गई। मैं उस वक्त इस स्थिति में नहीं थी कि फौरन

डिक्लेयर करती कि हम जुडिशियल इन्क्वायरी करना चाहते हैं। सब यह कह रहे थे कि जुडि-शल इंक्वायरी की जाय। अगर सिटिंग जज को करें तो वह इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। सिटिंग जज के लिये चीफ जस्टिस से इजाजत लेनी पड़ती है और फिर उनकी कई कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन यह है कि उन लोगों का कुछ भी फैसला हो, उसको हाउस के अन्दर डिसकस नहीं किया जा सकता है। जल्दी करना था इसलिये मिटठनलाल जी का नाम दे दिया। मेरा उनसे कोई सम्पर्क नहीं रहा है। वह हाई कोर्ट के जज सम्पूर्णानन्द जी की सरकार में हुए थे। अच्छा काम उन्होंने किया है। मगर यहां पर तो हालत यह है कि जो भी काम किया जाय उसमें मोटिव इम्प्यूट किया जाता है। इसका मुझे बड़ा दुख होता है। अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों से अपील करती हूं कि मेरे पास मेम्बरों की तरफ से जो लिखकर आया है, उसको मैंने पढ़ा है कई उन्होंने सुझाव दिये। एक तो यह कि जो विद्यार्थी मर गया उसके माता पिता को कंम्पेसेट करें। जिसकी संतान की मृत्यु हो गयी उसको कौन कम्पेंसेट कर सकता है। अगर कोई करने की बात करता है तो वह मजाक है। मगर उनके आंसू पोंछने के लिये जो कुछ हम कर सकते हैं, वह करेंगे। वह कोई कसूरवार नहीं था। ऐक्सीडेन्ट हो गया।

एक यह सुझाव था कि बाहरी विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। हमें ऐसा यत्न करना चाहिये जिससे उनके मन से क्षोभ निकल जाय। यह सही है, यह सब बातें करनी चाहिये। जहां तक मेरे करने की बात है, इस विषय में बड़ी उत्तेजनापूर्ण बातें हुई हैं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय गेंदा सिंह जी से भी सुना और समझा और जो हमारी केबिनेट के सीनियर मेम्बर श्री हुकुम सिंह हैं, उनको मैंने बनारस भेजा है। वह सुबह आने वाले थे और हम चाहते थे कि जबाब में उनका वर्जन बता सकें, मगर वह और थोड़ी देर ठहर गये हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से, यूनियन से बातचीत की, प्रोफेसर्स से बात-चीत की, वाइस-चांसलर से और अन्य लोगों से बातचीत की। आज दोपहर को वह आ जायेंगे। तो मैंने आलरेडी एक सीनियर कोलीग को भेजा है। उनका वर्शन मेरे सामने होगा। उधर से जो डिमांड हैं वह भी मेरे सामने हैं। दोनों वर्जन मेरे सामने हैं। इन सब बातों पर सोच-विचार करके जो बेस्ट हो सकेगा और जो ईमानदारी की पोजीशन होगी वह हम लेंगे। गवर्नमेन्ट की ओर से कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा कि कोई बात छिपाई जाय। मैं मानती हूं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से अगर कोई गलती हो जाय तो वह सुधरनी चाहिये। पुलिस के बारे में और विद्यार्थियों के बारे में भी कुछ बतलाना चाहती हूं। विद्यार्थी जिस काम के लिये यूनिवर्सिटी में गये हैं उनको उसी में ज्यादा लगना चाहिये, वह ज्यादा विद्वान हों और उनमें अनुशासन भी होना चाहिये। अनुशासनहीनता से हम विद्यार्थियों को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम जो नयी जनरेशन तैयार कर रहे हैं उसमें अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। और पुलिस कौन है? आज कोई एलियन रूल नहीं है, विदेशी राज्य नहीं है। अगर एक भाई यहां बैठा हुआ है तो दूसरा पुलिस में है और तीसरा जजी में है। पुलिस में लोग गरीब खानदानों से ज्यादातर आते हैं और अर्द्ध शिक्षित और अशिक्षित ज्यादा हैं। यह भी सही है कि बिट्रिश जमाने से जो पुलिस की परम्परा बिगड़ गयी है वह बिगड़ी चली आती है। उसको सुधारने में समय लगता है। परम्परा पुलिस की पुरानी यही थी कि वर्दी पहिन लिया तो मूछों पर ताव लगाकर हाकिम बनकर बैठेंगे। यह उस परम्परा का परिणाम है। इस परम्परा को हमें बदलना है और पुलिस को बताना है कि तुम पब्लिक सर्वेन्ट हो। किसी को हम बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर गड़बड़ी होगी तो ठाकुरसाहब के आने के बाद में देखेंगे। लेकिन साथ-साथ में यह कहना चाहती हूं कि अगर कोई इंस्ट्रूमेन्ट है उसको सिर्फ मारो और उसकी गलती देखो तो वह सुधर नहीं सकता है। लोग अपने बच्चे को पालते हैं तो अगर हम हमेशा उसको डंडे से चलायें तो चलता नहीं है। गलती करे तो जरुर डंडा लगाओ, लेकिन अगर काम ठीक करे तो भी डंडा लगाना उचित नहीं होगा। हां, अगर पुलिस के बिना काम चल सकता है तो बड़ा अच्छा है। मेरे वरिष्ठ मित्रों ने इस बारे में भी कहा है। मैं भी चाहती हूं कि बिना पुलिस के और कोअर्सिव इंस्ट्रूमेन्ट के हम काम चलायें। विनोबा साहब भी इसी तरह का

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

एक आदर्श स्टेट, 'स्टेटलेस स्टेट' बनाना चाहते हैं जिसमें हम बिना वायलेंस के काम चला सकें, आर्मी के बिना काम चला सकें, पुलिस के बिना काम चला सकें। मगर यह तभी सम्भव है जब समाज के अन्दर ऐसा आदर्श डिसिप्लिन आ जाय। जब अन्दर इंटरनली ऐसी चीज आती है तो बाहर जरूरत नहीं होती है वायलेंस की। लेकिन वह आइडियल कंडीशंस हममें नहीं हैं। जब हममें अनुशासन होगा, हम सेल्फ रेगुलेट अपने को करें तो समाज बहुत सुन्दर भाव से रहेगा। लेकिन जब तक ऐसा आदर्श न हो तब तक हमको ऐसा कोअर्सिव इंस्ट्रूमेन्ट रखना पड़ता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव हो सकता है और उससे सही काम करने में दिक्कत पड़ सकती है। लेकिन मैं बहुत विनम्रतापूर्वक सदन से आग्रह करती हूं कि जो कुछ आप लोगों ने सुझाव दिया है, उस पर सोच विचार करेंगे और जो कुछ विद्यार्थियों के हित में है वही बात करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मैं माननीया मुख्य मन्त्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वे कृपया बतलायें कि क्या यह सही है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन १२ बजे और ३ बजे के बीच बनारस के जिलाधिकारी और माननीय गृह मन्त्री के मध्य कोई बात हुई और उन्होंने गृह मन्त्री से कोई निर्देश लिया? क्या वे इसकी जांच करायेंगी?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं इस सदन को इत्तिला दे दूं कि उस दिन १२ और ३ या ६ बजे के बीच वहां के अधिकारियों से मेरी कोई बात नहीं हुई और मेरी कभी भी वहां के अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कल और आज ४ घंटे तक लगातार बनारस विश्वविद्यालय में घटित घटना के सम्बन्ध में बहस हुई और सदन के सामने बहुत से तथ्य आए। लेकिन मुझे हार्दिक तकलीफ है कि माननीया मुख्य मन्त्री ने सदन के अधिकांश सदस्यों की मांग की उपेक्षा एवं अवहेलना की है और प्रजातन्त्र के ऊपर कुठाराघात किया है। इसलिए मैं इसके विरोध में ५ मिनट के लिए अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री झारखण्डेराय—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह विश्वास था कि माननीया मुख्य मन्त्री इस सम्बन्ध में जो कुछ श्री गोविन्द सहाय, श्री बहुगुणा जी, श्री कमला पति त्रिपाठी, श्री गिरधारी लाल और नवल किशोर जी ने कहा है, कि पुलिस बिना उप कुलपति की अनुमति के यूनिवर्सिटी गेट का ताला तोड़ कर अन्दर घुसी, इसके लिए तत्काल कोई साहसपूर्ण और उचित कदम उठायेंगी लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उनकी स्पीच बिलकुल एक बकवास थी। इसलिए इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ दिन भर के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, हमने जो अधिकारियों के लिए सस्पेन्शन की बात कही थी, अगर माननीया मुख्य मन्त्री अपने भाषण के अन्त में कम से कम इतना भी कह देतीं कि हमने उन अधिकारियों को वहां से हटा दिया है तो मुझे सन्तोष होता लेकिन उन्होंने इसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा। इसलिए इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, माननीया मुख्य मन्त्री ने सदन की भावनाओं की अवहेलना की है, इसलिए मैं भी इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मेरा भी ऐसा विचार है कि इस सरकार के ऊपर ब्यूरोक्रेसी हावी है नहीं तो माननीया मुख्य मन्त्री को कम से कम आज से ही उन सम्बन्धित अधिकारियों को सस्पेन्ड कर देना चाहिये था, जो उन्होंने नहीं किया। इसके विरोध में मैं अपने दल (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

जैसा मैंने कहा था कि बनारस में यह बड़ी ही दुखद घटना हुई और अभी तक किसी आदमी के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे सारी जनता में बहुत असन्तोष व्याप्त है। यह जानते हुए कि कौन आफेंडर है, उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। सरकार के इस रवैये पर मुझे बहुत दुख है और इसके विरोध में मैं भी सदन छोड़ रहा हूं।

(स्वतन्त्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

विशेषाधिकार की अवहेलना एवं नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ की सर्वश्री राम किशोर, बैजनाथसिंह, काशीनाथ, गयाप्रसाद जी, राधेश्याम शर्मा, शिवनाथसिंह, उग्रसेन की सूचनायें सब अस्वीकृत हुई। माननीय रघुवीर का एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव है। चूंकि वे नहीं हैं, इसलिए यह समाप्त होता है।

हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६†

स्वायत्त शासन मन्त्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मण्डल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

मैं श्रीमन्, यह संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप का नाम इसमें नहीं है। आप संशोधन नहीं रख सकते जब तक कि आप को लिखित रूप में प्राधिकृत न किया गया हो।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

हां, वह आप कर सकते हैं।

---

†२ फरवरी १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

*श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं उसका विरोध इसलिए कर रहा हूं कि इस को लाने वाली यह हुकूमत आज आर्डिनेन्सों की हुकूमत बन गयी है। आज कानून की हुकूमत इस प्रदेश से उठ गयी है....

श्री अध्यक्ष—

संशोधन क्या है, इसे आपने देखा है? एक लाइन का संशोधन है।

श्री कमलासिंह यादव—

संशोधन यह है कि इसकी सन् मियाद सन् १९६८ तक बढ़ा दी जाय और मैं इसी पर आ रहा हूं। इस प्रदेश में आज कानूनी राज्य नहीं, अध्यादेशों का राज्य है। सन् १९४७ में सब से पहले विस्थापित लोग इस प्रदेश में आए थे, लेकिन सन् १९५४ तक उन के लिये कोई कानून नहीं बनाया गया। सन् १९५४ में यह विधेयक यहां पास किया गया और तब से आज तक यह परिपाटी चली आ रही है कि इस की मियाद हर बार दो या तीन साल के लिए बढ़ा ली जाय।

(इस समय १ बजकर २४मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बराबर इस बात को देख रहा हूं कि कभी मियाद बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किया जाता है, कभी अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी सरकार ने सदन को बतलाया कि केन्द्रीय सरकार से कितना रुपया उनको मिला और उसको कैसे खर्च किया जा रहा है? जहां तक इस के उद्देश्य और कारण का सम्बन्ध है, मैं उस का विरोध नहीं करता। विस्थापितों को काम धंधे दिए जाने चाहिए, मैंने रुद्रपुर में जा कर देखा है और यह विधेयक रुद्रपुर और हस्तिनापुर से ही सम्बन्धित है। इस सरकार को ५,००० विस्थापित व्यक्तियों को बसाना था जिसमें से २,००० रुद्रपुर में और ८०० हस्तिनापुर में बसाए गए हैं। लेकिन इसमें से केवल १७० परिवारों को सरकार वास्तव में बसा सकी है। इससे ही पता चलता है कि इस सरकार ने क्या किया है। रूद्रपुर से मुझे बड़ी-बड़ी शिकायतें मिली हैं। वहां एक स्त्री फांसी लगा कर मर गयी और उसकी कोई जांच नहीं हो पायी। वहां के लोगों ने बतलाया कि वह स्थान व्यभिचार का अड्डा बना हुआ है और उसके परिणामस्वरूप ही उस स्त्री को फांसी लगा कर मरना पड़ा। इस के अतिरिक्त वहां औरतें शिक्षण कार्य के लिए रखी गयी हैं। उनकी मशीनें पुलिस वालों ने चुरा ली हैं और उनको बराबर धमकियां दी जाती हैं और वे उन से व्यभिचार करना चाहते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर रहने वाले अधिकारियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन इस सरकार के कान बन्द ही हैं। इसके अतिरिक्त इस विधेयक के अन्तर्गत जो स्कीमें बनायी जाती हैं वह केन्द्रीय सरकार के पास सैंक्शन के लिए भेजी जाती हैं जिनमें दो, तीन साल तक लग जाते हैं और नतीजा उसका यह होता है कि विस्थापितों को समय पर कोई सहायता नहीं मिल पाती और वह मारे-मारे फिरते हैं, उन के पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, उनको दवाइयां नहीं मिलतीं, यहां तक कि उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता। इस परिस्थिति में तो इस विधेयक की मियाद नहीं बढ़ायी जानी चाहिए। एक समिति है जो देखती है जो कि कौन-सा रोजगार किसको दिया जाय। वहां सभी लोग चाहते हैं कि उनको खेती करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन जो वास्तविक रूप में खेती करना चाहते हैं उन को जमीन नहीं मिलती और जो गलत तरीके से अफसरों को खुश कर लेते हैं उनको जमीन मिल जाती है। इस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर है। मेरे सामने चार केसेज आए हैं जिनमें ४२० का मुकदमा चलाया गया। इनमें से एक रुद्रपुर थाने का केस है जिसमें मैजिस्ट्रेट ने अपनी फाइंडिग में ही लिखा है कि कैसे निरपराध व्यक्ति का ट्रायल किया गया है। तो वहां गलत-गलत तरीकों से मुकदमें चला कर विस्थापितों को परेशान किया जा रहा है। इसकी रोक होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, बड़ी डींग यह सरकार मारती है कि हम उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। श्रीमन्, १६७ आदमियों को प्रशिक्षण देने की सरकार की योजना है। लेकिन प्रशिक्षण पाने के बाद जो डिप्लोमा उनको मिलता है न तो यू० पी० की सरकार उसको कोई मान्यता देती है और न ही केन्द्रीय सरकार उसको कोई मान्यता देती है। इसलिए प्रशिक्षण पाने तथा डिप्लोमा लेने के बाद भी आदमी मारा-मारा फिरता है। इसलिए माननीय मन्त्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और उस डिप्लोमा को रिकगनाइज करना चाहिए, वरना आपके प्रशिक्षण देने का कोई महत्व नहीं रह जाता।

इसी तरह से श्रीमन्, उनको ऋण देने की जो योजना है वह भी उनके लिए लाभदयाक नहीं है। ऋण देने के लिए जो कन्डीशन्स सरकार ने रखी हैं वे ऐसी हैं कि उनके कारण विस्थापितों को ऋण नहीं मिल पाता क्योंकि वे उन कन्डीशन्स को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जिससे कि उनको ऋण आसानी से मिल सके और वे उससे कुछ लाभ उठा सकें।

इसके अलावा, श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। वहां पर ५ हजार परिवार बसाने की सरकार की योजना है, किन्तु सरकार प्रशिक्षण केवल १६७ आदमियों को दे रही है। इससे जो बाकी लोग हैं उनको क्या लाभ होगा। बाकी लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पायेंगे। उनके लिए जरूरी यह है कि सरकार कोई रोजगार दिलाए, उसकी व्यवस्था सरकार करे तो उनका लाभ हो सकेगा। अगर धीरे-धीरे उनको भी प्रशिक्षित किया जाय तो उनमें से अच्छे और योग्य व्यक्ति निकल सकते हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

श्रीमन्, उनके लिए बिल्डिंग्स बनाने की जो योजना सरकार की है, उसके अन्तर्गत पी० डब्ल्यू० डी० को यह काम सौंपा गया है। उनके द्वारा जो इमारतें बनी हैं वे एक साल में ही गिर जाती हैं। ५० फीसदी रुपया उनके बनाने में खर्च नहीं किया जाता। जिस इमारत के बनाने में ८–१० हजार रुपया खर्च किया दिखाया जाता है, वह मुश्किल से २–३ हजार में बन कर तैयार की जाती है। वसूल उनसे सब किया जाता है। इससे उन लोगों में बड़ा असन्तोष है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन सब बातों की ओर ध्यान दें।

श्रीमन्, एक सुझाव मैंने यह दिया था कि बीड़ी उद्योग का काम वहां लाया जाय जिससे छोटे-छोटे बच्चे उसके जरिए परिश्रम करके चौदह आने या एक रुपए तक कमा सकें जिससे वे अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसे काम को भी हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर रिजेक्ट करवा दिया। इसके अलावा सरकारी महकमों द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उनसे लाभान्वित होने वाले जो लोग हैं वह लाभ उनको नहीं हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि जहां तक इन महकमों के एक्सपेन्शन का सवाल है मुझे खुशी होती है कि आप केन्द्रीय सरकार से बहुत-सा रुपया मांगने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जिनको विस्थापित कर रहे हैं, उनके लिए भी हम ऐसे साधन बढ़ावें जिससे कि वे उत्तर प्रदेश में आने के बाद महसूस करें कि एक घर छूटा पर यहां आकर हमें दूसरा घर मिल गया। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि नानक सागर एक स्थान है। वहां बिल्डिंग खाली पड़ी हुई हैं। वहां पर विस्थापितों को बसाने की योजना है। पता यह लगा है कि वहां सिंचाई विभाग के लोग इसलिए नहीं रहते कि वहां रहने पर उनको टी०ए० और डी० ए० नहीं मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि इन चीजों को बन्द करने की व्यवस्था की जाय और इन विस्थापितों के साथ हर प्रकार की रियायत बरती जाय जिससे वे लाभान्वित हो सकें।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वे जितनी बातें कह गए हैं वे रुद्रपुर से सम्बन्धित हैं। यह तो हस्तिनापुर विकास मण्डल का अधिनियम पेश है। इससे उनकी योजनाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य सोचकर बात करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं माननीया सभासचिव का आभारी हूं। लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह तो विस्थापि लोगों से सम्बन्धित हस्तिनापुर विधेयक है और उनकी जो रिपोर्ट मिली थी अगर वे चाहें तो मैं बता दूंगा। उस रिपोर्ट में जो दिया था उसमें हस्तिनापुर और रुद्रपुर दोनों के बारे में बतलाया था।

श्री उपाध्यक्ष—

इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

यह विस्थापित लोगों से सम्बन्धित है और मैं उनकी समस्यायें बता दूं। जो व्यवस्थाएं मैं चाहता हूं, वे इस बिल में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उसके लिए आप अलग से बिल ला सकते हैं। जो व्यवस्थाएं हैं, उन्हें आप जारी रखना चाहते हैं या नहीं, इतनी सी बात है।

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय मंत्री जी से कम से कम इतनी उम्मीद मैं करता था और अब भी करूंगा कि वह यह बता दें कि कितना रुपया मिला और कैसे खर्च किया और इस समय वहां की दशा क्या है। इनको चाहिए था कि विधेयक प्रस्तुत करते समय ये बातें बतातीं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। अगर ६८ के बजाय हमेशा के लिए, २–४ हजार वर्ष के लिए रख दें तो ज्यादा अच्छा होता ताकि केन्द्रीय सरकार से ज्यादा रुपया खींच कर उन विस्थापितों को अच्छी तरह से बसाया जा सकता।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता....

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव का सवाल अब नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

प्रस्ताव के बाद ही तो संशोधन का अवसर आवेगा। उन्हें अवसर मिलना चाहिए प्रस्ताव रखने का।

श्री उपाध्यक्ष—

संशोधन के लिए जब पुकारा गया, उस समय कोई साहब नहीं थे।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, इस विधेयक में ६५ से ६८ करने की बात है, यानी ५ का ८ करने की। जो छोटी मालूम होती है। सन् ४७ में विस्थापितों को बसाने की समस्या पैदा हुई। ७ साल तक केंद्रीय सरकार की ओर से इनका हस्तिनापुर में प्रबन्ध किया गया। ५४ से लेकर ५ साल के लिये यह विधेयक सदन में लाया गया। ५ साल में सरकार समझती थी कि तब विस्थापितों का प्रबन्ध कर लेंगे। यह अब तीसरी बार समय बढ़ाने का संशोधन है। यह हमारे ऊपर कितना बड़ा कलंक होगा कि हम दूसरे प्रदेश से आये हुए बंधुओं को एक स्थान पर बसाकर योजना पूरी करने में असमर्थ रहे हैं। समय बढ़ाते हुए कहा गया है कि वहां का व्यक्ति आज भी सम्मानित नागरिक की हैसियत से नहीं रह रहा है कि स्वयं का निर्माण करके

नगरपालिका के रूप में कार्य कर सके। उसमें २,४ बात निश्चय रूप से ऐसी हैं, जिससे वहां की वर्किंग ठीक नहीं हो पा रही है। कोई बात हम कहते हैं तो केन्द्रीय सरकार से राय लेने की बात कही जाती है। कमरे और मकान वहां बने हुए हैं, लेकिन उनमें सुविधायें न होने से कोई रहना पसन्द नहीं करता है। वे खाली पड़े हैं। सरकार की मौजूदा नीति से यह नहीं हो सकता कि बाहर से आये हुए लोगों को ऋण दिया जा सके और श्रद्धापूर्वक उन्हें बसाया जा सके। जब तक सरकार अपनी कार्य-पद्धति नहीं बदलेगी तब तक हर बार समय बढ़ाने का अवसर उपस्थित होता रहेगा। लेकिन विस्थापित लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी अपेक्षा करता हूं कि उसके रूल्स और रेग्यूलेशंस में पूर्णतया परिवर्तन करें। ६ बार इसमें संशोधन आये हैं लेकिन ६५ से ६८ करने से कोई विशेष लाभ नहीं है जब तक आमूल परिवर्तन नहीं किये जावेंगे। सरकार के बनाये हुए मकानों को नीलाम कर दिया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्र रूप से विकसित होकर वे अपनी समस्यायें हल कर सकें और नगरपालिका बना सकें।

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अभी विचार व्यक्त किये हैं, मैं समझती हूं कि यदि उन्होंने इसके आशय और उद्देश्य तथा कारणों को पढ़ लिया होता तो इतना श्रम नहीं किया होता। यह हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक सन् ५४ में बना। सन् ५० में भारत सरकार के पास नगर के विकास का कार्य था। सन् १९५४ में विधेयक के अन्तर्गत प्रदेशीय सरकार को भारत सरकार ने यह कार्यभार हस्तान्तरित किया। तजवीज यह थी कि वरिष्ठ सदस्यों के एक मंडल के द्वारा इस नगर का विकास हो। इस नगर के अन्दर अनेक उद्योग लगे हुए हैं, बिजली की व्यवस्था बहुत ही सुन्दर है। पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। मंडल के माननीय सदस्य लगातार इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि इस विधेयक में जो समय दिया हुआ था, उसकी अवधि के अन्दर ही स्थानीय निकायों के चुनाव करा दें चाहे वह नगरपालिका हो, टाउन एरिया हो या नोटीफाइड एरिया हो। इसकी आबादी लगभग ५–६ हजार के है जिनमें कुछ पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी भी हैं। इसमें अनेक उद्योग लगाकर उसको स्वावलंबी बनाने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है। ३१ दिसम्बर, १९६५ तक तीन वर्ष का जो कार्यकाल रहा गया था उसकी अवधि समाप्त हो गयी है। अतः जिलाधीश और मंडल के सदस्यों की सलाह पर इसका कार्यकाल ३ वर्ष और बढ़ाया जा रहा है। यदि ६८ तक इस नगर का विकास ठीक हो गया तो इसको किसी न किसी निकाय में परिवर्तित कर दिया जायगा। इसके विकास के कार्यों का सारा भार भारत सरकार पर पड़ता है। प्रादेशिक सरकार केवल रोड ग्रांट और महंगाई भत्ता सब्सीडी ही देती है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रुद्रपुर के बारे में दिये हैं, अगर उनको लिख कर देंगे तो उन पर भी हम विचार कर लेंगे। आशा है माननीय सदस्य इस विधेयक पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ तथा ३

२—हस्तिनापुर नगर विकास अधिनियम, १९५४ की धारा १ की उपधारा (३) में अंक "१९६५" के स्थान पर अंक "१९६८" रख दिये जायें।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४ १९५५ की धारा १ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १०, १९६५

निरसन तथा अपवाद

३—(१) हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) अध्यादेश, १९६५ को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २८ दिसम्बर, १९६५ को प्रारम्भ हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४, १९५५

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १९५४ के चालू रहने के लिये विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक १९६६ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (चालू रहने का) विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९६६ का अननुमोदन करता है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगला प्रस्ताव भी पेश हो जाय तो दोनों पर मिला कर बहस हो जाय।

---

†४ फरवरी, १९६६ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, यह तय हो रहा है कि जहां तक अध्यादेश का संबंध है उसे मैं प्रस्तुत करूंगा और जहां तक विधेयक का संबंध है उसे त्रिपाठी जी रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अननुमोदन का प्रस्ताव आप ने रख दिया। विचार का दूसरा प्रस्ताव उधर से आ जायगा और साथ-साथ दोनों पर चर्चा हो जायगी।

*स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जिस समय नगरमहापालिका अधिनियम बना था सन् ५९ में उसके बाद सन् ६० में महापालिकाओं ने निर्वाचित होने के बाद अपना कार्य शुरू किया। महापालिका ऐक्ट के अन्तर्गत ५ वर्ष तक चुने गये सभासदों को काम करने का अधिकार था। अतः सन् ६५ तक सन् ६० से लगातार इन महापालिकाओं ने अपने अधिकार के अन्तर्गत कार्य किया। लेकिन चूंकि सन् ६५ में महापालिकाओं के परिसीमन का काम पूरा नहीं हुआ था और करीब करीब सभी महापालिकाओं की तरफ से प्रदेशीय सरकार से मांग की गई कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाय और महापालिका अधिनियम में एक वर्ष के लिये राज्य सरकार को अवधि बढ़ाने का अधिकार प्राप्त था अतः पहली बार में उनका कार्यकाल ५ मास के लिये बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने विचार किया कि इस बीच में महापालिकायें परिसीमन का काम पूरा कर लेंगी और उन का निर्वाचन करा दिया जायगा। लेकिन किन्हीं कारणों से ५ मास गुजर गये किन्तु कुछ महापालिकाओं ने अपना वह काम समाप्त नहीं किया और केवल बहुमत वाली महापालिकाओं में ही वह काम पूरा हो सका। उसके बाद पुनः उन्होंने मांग की कि हमारा शेष ७ मास का जो कार्यकाल बढ़वाने का अधिकार है वह पुनः बढ़ा दिया जाय और इस पर सरकार ने पुनः ७ मास का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी कर दिये। अब जिस समय वह ७ मास भी समाप्त होने को थे, उसके पहले ही अक्तूबर, नवम्बर में प्रादेशिक सरकार ने अपने निर्वाचन विभाग से तत्परता के साथ काम करा के चुनाव कराने के लिये तिथियां घोषित कीं। इधर तिथियां घोषित हो रही थीं जैसा कि सदन को मालूम है और कई बार स्वायत्त मंत्री जी ने भी यहां उत्तर दिया था कि हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसी के बाद यकायक भारत की संकटकालीन स्थिति आई और उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री से प्रार्थना की कि ऐसे समय में चुनाव करायें या नहीं और उन से परामर्श किया गया। साथ ही प्रधान मंत्री जी के पास अनेकों विपक्षी नेताओं के भी सुझाव आये कि जब हम संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं तो देश की एकता की बनी हुई ताकत में बाधा पड़ेगी और चुनाव कराना उचित न होगा। अतः इन परिस्थितियों में ताकत को बनाये रखने के ख्याल से निर्वाचन का काम नहीं हो सका और समय टलता गया। जिस समय जनवरी का मास आरम्भ हुआ। तब राज्य सरकार ने विचार किया कि अब ऐसी स्थिति में यह चुनाव नहीं हो सकते और समय बढ़ाने का जो सरकार का अधिकार था, वह भी समाप्त हो गया है तो क्या किया जाय।

कार्पोरेशन ऐक्ट में राज्य सरकार को एक वर्ष का समय अतिरिक्त बढ़ाने के लिए अधिकार मिला हुआ था किन्तु उसके साथ-साथ जो कार्पोरेशन ऐक्ट माननीय सदस्यों ने दोनों सदनों से पारित किया था, उसमें एक वर्ष के अतिरिक्त समय का जो प्रतिबन्ध रखा था उस पर "प्रेव एमरजेंसी" लिखा हुआ था। ५ जनवरी को ताशकन्द सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री जा रहे थे। उसके पश्चात् वहां पर ताशकन्द वार्ता प्रारंभ हो जाती है। आशा की जाती थी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

कि यह वार्ता शायद विफल हो और यह जो प्रेव एमरजेंसी है, उसको बढ़ाने की जरूरत पड़े सौभाग्य से यह वार्ता ताशकन्द में ९ तारीख को सफल हो गयी। पर दुर्भाग्य से देश पर एक बज्रपात हुआ। १० तारीख से २० तारीख तक लगातार प्रदेशीय सरकार विचार करती रही और सोचती रही कि एक तरफ तो ऐक्ट के अन्दर "प्रेव एमरजेंसी" के आधार पर समय बढ़ाने की आज्ञा है और दूसरी तरफ महापालिकाओं में चुनाव कराने में कुछ शंकायें हैं। ऐसी स्थिति में यह निर्णय नहीं किया जा सका कि हम आगे के लिए क्या निर्णय लें। ३१ जनवरी को जब दोनों देशों के कर्नल मिलते हैं और अपनी-अपनी फौजों को हटाने के लिए बातें करते तो यह एक समस्या उत्पन्न हो गयी कि "प्रेव एमरजेंसी" जो देश के अन्दर उत्पन्न हो गयी थी, वह समाप्त होती है और केवल एमरजेंसी रह जाती है। ऐसी स्थिति में वह जो मिला हुआ अधिकार है, उसका किस भांति प्रयोग किया जाय? उधर ३१ जनवरी, १९६६ को हमारी महापालिकाओं की अवधि समाप्त हो रही थी और इधर २७ जनवरी, १९६६, को दोनों सदनों को बुलाने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा आवाहन किया जा चुका था किन्तु २७ तारीख के पश्चात् यदि महापालिका की अवधि बढ़ाने को या कोई भी अध्यादेश के बजाय कार्य-काल बढ़ाने के संबंध में कोई विधेयक प्रस्तुत होता तो संभव नहीं था कि हम ३१ जनवरी तक वह विधेयक दोनों सदनों से पारित कराकर राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर करा लेते। इसलिए प्रदेशीय सरकार ने विवश होकर एक अध्यादेश के द्वारा २ वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने का निश्चय किया और २५ जनवरी को वह अध्यादेश जारी हुआ। जिस समय से यह अध्यादेश जारी हुआ है उस समय से माननीय सदस्यों में और प्रदेश की जनता में कुछ भ्रम पैदा हो गया। और ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद यह महापालिका में २ वर्ष का जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, वह इनको सुपरसीड करने का आदेश जारी किया गया है।

श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि वह सुपरसीड का आदेश नहीं है बल्कि एक्सटेंशन दिया गया है जो कि वे चाहते थे। सुपरसीड होने में उनके ऊपर हम चार्ज करते और कोई निर्णय होता, जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान हो सकता था किन्तु माननीया मुख्य मंत्री ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि जो टाइम समाप्त हो रहा था वह न देने का निश्चय किया लेकिन साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो २ वर्ष का समय उन्हें दिया गया है, उससे ऐसा भी अर्थ न लगाया जाय कि जन-तांत्रिक युग में जनता के अधिकारों का हनन हो। और २ वर्षों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का शासन हो रहा है बल्कि आप को विश्वास दिलाती हूं कि जितनी जल्दी से जल्दी महापालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी और उन की व्यवस्था अच्छी हो जायगी और देश की यह एमरजेंसी.....

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात मैं पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक हो जायगी। इस से क्या मतलब है और जो गड़बड़ी है उसके बारे में बतायें क्योंकि आपके मुंह से यह शब्द निकला है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय सदस्य को मालूम है कि इन ५ महानगरियों में से एक महानगरी ऋणी घोषित कर दी गई है, जिसका कि प्रदेश को नहीं संपूर्ण भारत को ज्ञान है। इसलिये मैंने इस शब्द का प्रयोग किया।

तो यह जो स्थिति है, जिसको उन महानगरियों में रहने वाले सदस्य स्वतः जानते हैं, वहां के कार्य से परिचित हैं, मुझे उस के अन्दर जाना नहीं है, मैं तो आप को केवल इतना ही आश्वासन देना चाहती हूं कि जिस तरीके से भी होगा प्रशासक का कार्य काल शीघ्र ही समाप्त करके

पुनः चुनाव कराने के लिये माननीय मुख्य मंत्री प्रयास करेंगी । आशा है कि इस विवशता में आप इस विधेयक पर, जो सदन के समक्ष पेश किया गया है, गंभीरता से विचार करने की कृपा करेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । जो आपने यह कहा कि एक नगरपालिका के पर ऋण है तो वह आप बतला दें कौन-सा महपालिक है जिसको ऋण दिया गया था, कितने का दिया गया था कब और उस वक्त आमदनी क्या थी और इस वक्त उस की आमदनी क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप जब भाषण देंगे तो कह दीजियेगा और उसका जवाब आ जायगा ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ को तीन मास तक जनमत जानने के लिये जनता में परिचालित किया जाय ।

श्रीमन्, पहले तो मुझे इस का दुःख है कि एक शब्द की दुहाई यहां दी जाती है कि जनतंत्र, जनतंत्र, जनतंत्र । यह जनतांत्रिक प्रणाली का प्रथम चरण है कि एक दिन में तीन-तीन और दो-दो विधेयक पास हों और उन पर विचार करने के लिये हमें अवसर न मिले । एक उचित रीति से विचार करने का अवसर, पर्याप्त समय हमें न मिले जो हम अपनी भावना को व्यक्त कर सकें । यह तो पहला हमारा आरोप है.....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें तो दोनों दलों की सम्मति से समय निश्चित होता है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यही तो गड़बड़ है । जरा पूछ लें किसने सम्मति दी कि तीन विधेयक एक दिन में रख दिये जायं ।

श्री कमलासिंह यादव—

असल में यह तो हमारी कमजोरी है जो आप बुलाते हैं और हम गैरहाजिर होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में जो तय होता है आप की राय से तय होता है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे यह बताया गया कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी जो सलाह देती है उस सलाह पर कहां तक ऐक्ट करें यह सरकार के विवेक पर है । इन के लिये जरूरी नहीं है कि जो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी कह दे उसी पर काम करें । मुझे जो सूचना है वह यह है कि यह समय जो निर्धारित किया गया है वह बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की सलाह से नहीं किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस में नहीं किया गया है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

तो यह इसीलिये किया गया ताकि हम बोल न सकें । आज आखिरी दिन है लोग ट्रेन से अपने-अपने घर जाना चाहेंगे .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दूसरी बात है कि आप उठ जायं ।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

मैंने माधव प्रसाद त्रिपाठी जी से दरख्वास्त की है कि ८ हफ्ते में पास करना है और बजट के दौरान ५ बजे के बाद बैठना होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर विचार नहीं हुआ। हाउस फिर भी सक्षम है और उससे दरख्वास्त कर चुका हूं कि वह इसको पास करने में सहयोग दे और अपनी बात तो वह कहेंगे ही ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे दुख है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की सलाह से यह हुआ ऐसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो यह कहा है कि बिना आपकी सलाह के नहीं हो सकता। यह मैंने सब विधेयकों के लिये कहा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आखिरी दिन जो इसे लाया गया है, वह इसी वजह से कि इस पर पर्याप्त विचार न हो सके वर्ना इसका कोई कारण नहीं था कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में यह निश्चित न हो सके। आपका तर्क स्वयं सिद्ध हो जाता है कि गलत है ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब इस विधेयक पर कोई समय निश्चित नहीं और आज आया है तो यह ४,५ दिन भी चल सकता है और महीने भर भी चल सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके सहयोग से खत्म हो सकता है ।

श्री कमलासिंह यादव—

स्वीकृति तो आपकी और नेता विरोधी दल की है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक सदन नहीं करेगा, तब तक कोई बात नहीं होगी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हमारे कमला सिंह जी आज ने जाने किस मुगालते में हैं । मैंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। मेरा निवेदन है कि इस सेशन का सचमुच यह एक ब्लेक बिल है। हमारी सरकार को अब कुछ ऐसी परिपाटी चली आ रही है कि लेजिस्लेशन न करके आर्डिनेन्स के द्वारा वह प्रशासन करे। उसके बाद सरकार के लिये आवश्यक हो जाता है विधेयक को ले आना और वह उसे ले आई है। उन्होंने एक साल तक इसकी अवधि बढ़ाई है और ग्रेव एमरजेंसी हो तो दूसरे वर्ष तक बढ़ा सकते हैं यह अधिकार जो दिया गया है, इसका कारण क्या है? इसके पीछे एक इतिहास है १५ वर्षों का। जहां तक मुझे स्मरण है, अगर गलत कहता हूं तो माननीय मंत्री जी मुझे ठीक कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन लगभग १५ वर्ष तक नहीं हुआ। यही उनका जनतंत्र है ? क्यों नहीं कराये ? जब उनको इतमीनान हो गया कि चूना से चूना बिठा ली है और उसको इतमीनान कर लिया कि इलेक्टोरेट को अपने माफिक कर लिया है तो नई व्यवस्था बना ली जिससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा

जिला परिषद्, जो उस समय नहीं थीं उनके हाथ में हो सकेगीं। यह इतमीनान होने पर उन्होंने इलेक्शन कराये। जब उनको खामी महसूस हुई तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को नामिनेट कर दिया और सारे अधिकार उसे दे दिये जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को होते हैं। तो पहले १५ वर्ष तक ग्राउंड तैयार करती रही यह सरकार ताकि वह इलेक्शन में जीत जाय और तीन इलेक्शन ५, ५ साल वाले पार हो जायं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी उसके हाथ में आ जाय ताकि जिला स्तर की संस्था भी उसके हाथ में आने से कोई डर न रह जाय। यह सरकार की कुदृष्टि थी और इस कुदृष्टि को हम लेजिस्लेटर्स जानते थे। जिला परिषद् के अध्यक्ष को जब सरकार ने मनोनीत किया तो हाई कोर्ट में रिट दायर की गयी और वहां से यह कार्य गलत साबित हुआ। ये सब चीजें इस बात की द्योतक हैं कि ये मनमानी करना चाहते थे, जनतंत्र प्रणाली का गला घोंटना चाहते थे। यह अपने बहुमत के आधार पर करना चाहते थे और किसी की राय की ज्यादा आवश्यकता नहीं समझते थे। उनको भ्रम था कि अगर यह करेंगे तो वोटिंग वाली परिस्थिति मजबूत हो जायेगी और जिला बोर्ड में हमारे आदमी आयेंगे।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि म्युनिसिपैलिटीज के इन्होंने ७/८ साल तक इलेक्शन नहीं कराये। कांग्रेस के टिकट पर मेरे एक भाई को चेयरमैन बनाया गया था। उनका कार्यकाल बराबर बढ़ाया गया जब कि सब लोग कहते थे कि इनको हटाया जाये। कांग्रेस के जमाने में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता था। जब यही बात चलानी थी तो यह सब क्यों किया? कल एक वक्तव्य निकला कि जनतंत्र की रक्षा कीजिये और यह समझते हैं कि जनतंत्र को सब अंग पोषक बना रहे हैं और एक अंग जिसको आप कहते हैं कि रोष प्रकट करने वाला है वही इसकी जड़ें काट रहा है। लेकिन आप इलेक्शन नहीं करायेंगे यह जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध नहीं है, मनोनीत करेंगे यह जनतंत्र प्रणाली के विरुद्ध नहीं है। आज भी ऐसी म्युनिसपैलिटीज हैं जहां इलेक्शन नहीं कराया गया। मैं इटावा का उदाहरण देता हूं। माननीय राजेन्द्र सिंह आदि लोगों के कहने पर चेयरमैन के चुने जाने की तारीख मुकर्रर की है। वहां जिला परिषद् का चेयरमैन उनका आदमी था, उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ और यह जानते हैं कि विरोधी दल वहां पर बहुमत में है इसलिये आज तक उसका इलेक्शन नहीं हुआ। जहां इनको सूट करता है वहां इलेक्शन नहीं करायेंगे। उनके हाथ में एक चीज है कि नामीनेशन। इसको यह सब जगह करेंगे चाहे कोई भी संस्था हो। इन्होंने जनतंत्रीय संस्थाओं में भी नामीनेशन को पहुंचा दिया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री के क्षेत्र में एक ब्लाक प्रमुख हैं। मैं जनतंत्र प्रणाली का प्रमाण दे रहा हूं। २० जुलाई, ६४ नियुक्त की गई कि उस दिन उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आयेगा। डिप्टी कलक्टर बस्ती से चले और इधर भी एक सभा सचिव, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं, वहां किसी दूसरे बहाने से पहुंचे वे डिप्टी साहब के पास गये। वहां बताया नहीं कि आज वोटिंग नहीं करायेंगे। वह जाते हैं ३२ मील दूरी पर.....

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसकी भी कोई मर्यादा है कि कब तक कोरम की घंटी बजती रहेगी। इस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम की घंटी का कोई टाइम तो नहीं दिया है, फिर भी मर्यादा रहेगी।

(व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इन्होंने चाहा कि आज पास हो जाये, इस लिये बिना सूचना के बिल लाये, इसके लिये हम बिलकुल तैयार होकर नहीं आये थे, यह सोचते हैं कि घंटी बजती रहे और मैं प्रारम्भ न करूं, मैं अन्त न करूं और जब कोरम हो जाये तब यह पास करा लें, यह तो हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम की घंटी बज रही है, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अगर कोरम नहीं है, तो कितनी देर तक प्रतीक्षा की जाए, ५ मिनट तो हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, यह गलत बात है, अभी ढाई मिनट हुए हैं, २–३ मिनट और प्रतीक्षा कर लें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसको भी याद रखिये कि वोटिंग के लिये भी खोलना पड़ेगा जब तक सब न आ जाएं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

नियम यह है कि तब तक घंटी बजती रहेगी जब तक कोरम न हो जायं ।

श्री बनारसीदास—

कोरम की तो आपकी जिम्मेदारी है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हमें बिना बताये ही बिल ले आए । एक दम से बिल झोंक दिया । आप सोचते थे कि विरोधी दल के लोग चले आएंगे और आप बिल पास करा लेंगे, लेकिन तलवार अब दूसरी तरफ जब पड़ने लगी तो आप इतनी देर तक कोरम का इन्तजार कर रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव—

देखिये, श्रीमन्, यह सरकार कितनी जिम्मेदार है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

अब तो दो मिनट हो गये, अब आप अपनी बात को पूरा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी कहां हुआ ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

आपका तो मिनट मौके के अनुसार घटता बढ़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब दो मिनट हो गये, टाइम के अन्दर कोरम हो गया, अब आप बोलिये ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

देखिए, जरा मैं ठहर-ठहर कर पढ़ रहा हूं इस पर व्यवस्था न दी जाए । श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि एक स्थान मेहदावल, बस्ती से ३५ मील की दूरी पर है । वह स्थान

माननीया मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में पड़ता है। वहां मेंहदावल ब्लाक में एक ब्लाक प्रमुख हैं। उन ब्लाक प्रमुख ने बहुमत के अधार पर समय समय पर इनके बल के आधार पर ऐसी ज्यादतियां की हैं कि वहां की जनता और वहां के सदस्यगण उनसे ऊब गये थे। उनके खिलाफ जितने सदस्य अप्रसन्न थे वे सब उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ले आये। उस अविश्वास के प्रस्ताव के लिये कदाचित् २० जुलाई तारीख पड़ी। उस २० तारीख के लिये डिप्टी साहब, खलीलाबाद मुकर्रर हुए। १९ तारीख को यहां से एक सभासचिव वहां पहुंच गये। क्या बात करते हैं, इसको हमने अपने से नहीं देखा, इसलिये कुछ नहीं कह सकते हैं। वह डिप्टी साहब जब वहां के लिये चलते हैं तो रास्ते में उनके पेट में दर्द होने लगता है। १० बजे का समय मुकर्रर है और ८ बजे उनके दर्द पेट मे हो जाता है। एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी मोटर रोक दी। उस स्थान के पास ही एक दूसरा ब्लाक था वह से कोई डाक्टर उनके लिये नहीं भेज सके। वहां से वह कहीं दवा के लिये नहीं जा सके और सायंकाल तक लोग वहां उनकी प्रतीक्षा करते रहे। दवा वह ले नहीं जा सके और यह भी नहीं बता सके कि बीमार क्यों हो गये? इस वहज से उस अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट नहीं ले सके। ४ बजे का समय मुकर्रर था, वे लोग ७ बजे तक पड़े रहे। उनके पास मोटर था लेकिन उनके पेट में इतना दर्द था कि वह कहीं जा नहीं सके और न किसी अस्पताल तक जा सके। वहां सदस्यगण दिन भर बैठे रहे। ८२ मेम्बर थे जिनमें ७५ फीसदी मेम्बर अविश्वास के प्रस्ताव के पक्ष में खड़े थे जो उनको निकालना चाहते थे। जब वहां पर सवाल किया गया तो बताया गया कि कार्यवाही हो रही है। कलेक्टर से पूछा गया तो उसने बताया कि हां, उनकी तबियत खराब हो गई थी और अब कार्यवाही हो रही है, दोबारा कोई तारीख मुकर्रर की जायगी। उस बात को दो साल हो गयें लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनसे पूछा गया कि डिप्टी साहब ने कोई दवा की थी तो पता चला कि दवा उन्होंने किसी की नहीं ली थी। यह इस कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रजातन्त्र की प्रणाली है? यह उस क्षेत्र की बात है जिससे हमारी मुख्य मंत्री जी आती हैं। मैं कहता हूं कि आप इस संदर्भ में सोचें कि आपके जनतंत्र की क्या स्थिति है?

यह नगरमहापालिका विधेयक क्यों पास किया जा रहा है? श्रीमन्, आप अपने सामने एक फेहरिस्त रख लें तो आपको मालूम हो जायगा कि जो नगर महापालिका कांग्रेस की हैं, उनको पैसा भी मिलता है और उनको अनुदान भी मिलता है। उनको हर प्रकार से सहायता मिलती है। अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत भी आये तो उनको सुपरसीड नहीं किया जाता है। गोरखपुर को अनुदान दिया गया है। ऐसी म्युनिसिपैलिटी हैं जिन्होंने जल कर नहीं लगाया है लेकिन कांग्रेस सरकार उनको भी अनुदान देती है। मैंने चैलेन्ज किया है और लिखकर भी दूंगा कि गलत तरीके से चलाने पर भी सहायता मिलती रहती है। लेकिन मुझे जो सूचना मिली है, उस आधार पर मैं कह रहा हूं। बस्ती जिले में गड़बड़ी है। मेरा भाई प्रेसीडेन्ट था, उसे आपने क्यों नहीं निकाला? ऐसे अनेक कांग्रेसी हैं, जिनको नहीं निकाला गया। मिर्जापुर के चेयरमैन को आपने दो बार जेल भिजवा दिया जब कि हाई कोर्ट ने सुपरसेशन के आर्डर को कैंसिल भी कर दिया था। यह आपका जनतंत्र है। उसमें आपकी आस्था है क्या? यह सारी भावनायें आपके मस्तिष्क में आयीं और इसलिये नगरमहापालिका में आपने अपने हथकन्डे लगाने शुरू कर दिये। उसके लिये आप ने सोचा कि अगर हमने चुनाव करा दिया तो हम हार जायेंगे। हमारी इतनी बड़ी बदनामी होती है कि अपनी राजधानी में ही हम नगरमहापालिका में जीत नहीं पाये बल्कि उसके साथ ही बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा आदि में भी अपनी पालिका नहीं बना सके। इसके लिये आप यह बिल लाये।

अब इस बिल का औचित्य क्या था? पहले आपने कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड्स का इन्तजाम गड़बड़ है। आप ठीक प्रबन्ध करना चाहते हैं इसलिये यह बिल लाये हैं। यह ठीक है कि इसके लिये ही आप आर्डिनेन्स लाये और दो वर्ष की अवधि ली। लेकिन अगर यही सिद्धान्त है तो जनतंत्र का यह जो मापदन्ड आपका है उसे इस छोटी इकायी पर ही क्यों

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

लगाया गया। उसे एक बड़ी इकाई, स्टेट पर आपने क्यों नहीं लगाया। एक एक मुहकमें में करोड़ों रुपये का स्टाक स्टोर में पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया सेंट्रल गवर्नमेन्ट से लेकर लैप्स किया जा रहा है, उसे पर्सनल लेजर एकाउन्ट में डाल दिया जाता है जब कि हाई कोर्ट की क्लियर रूलिंग है कि जिस काम के लिये रुपया मिला हो अगर वह उस काम में नहीं लाया जाता और किसी दूसरी मद में सुरक्षित रखा है। तो वह ४०९ और ४०८ का केस बनता है कि उस रुपये का गलत इस्तेमाल हुआ है। इसी प्रकार लाखों रुपयों की दवा बर्बाद हो गयी इसलिये कि वह डयू तारीख के अन्दर बांटी नहीं जा सकी। तारीख निकल जाने के बाद उसे बांटने के लिये दिया गया तो डाक्टरों ने वापस कर दी इसीलिये कि उससे डेथ भी हो सकती है। उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा ? इसलिये अगर वही मापदन्ड सरकार पर भी लगाया जाय जो कि लगना चाहिये, तो इसी वक्त इस सरकार को चला जाना चाहिये। अगर ईमानदारी है तो आप लिख कर बतलायें कि हमारी सरकार इतने रुपयों का सदुपयोग नहीं कर पायी, इतने रुपये का मिसयूज हुआ है। लेकिन आपने अपने को नहीं देखा, आपने महापालिका का इन्तजाम करना शुरू कर दिया। यह जनतंत्र में आपकी आस्था है। इस भावना से आंकें तो आप को सब से पहले पद त्याग करना चाहिये। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि ७ करोड़ जनता का भाग्य जिनके हाथ में है वह जा रहा है, इसलिये इन संस्थाओं को भी, जिनमें गड़बड़ी होती है, इसी मापदन्ड से नापा जाना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी की बात मानता हूं कि जनतंत्र की रक्षा करनी चाहिये, अपने शब्द और बिचारधारा से जनतंत्र की मान्यताओं का आदर करना चाहिये। लेकिन उसको डिफाइन कौन करेगा ? विरोधी दल के लोग कहते हैं कि जनतंत्र मिट गया। जब आप हमारी बात नहीं मानते हैं और हम अगर कुछ नहीं कर पायेंगे तो थोड़ी सी लाइन अलग लांघ दी हो, थोड़ा सा दोष कर दिया हो तो वह सिर्फ इसलिये कि सच्ची चीज को प्रेस करने के लिये, उस औचित्य को सामने लाने के लिये। अगर ऐसा किया तो हमने तो जनतंत्र की हत्या कर दी और चारों तरफ से एडीटोरियल्स निकले और परेशानी हो। खैर, हमारे तो सब ही पथ प्रदर्शक हैं और हम सबके सामने नत मस्तक हैं। आपने समझ नहीं पाया कि हम प्रजातंत्र की हत्या करते हैं या रक्षा करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछता हूं कि यही प्रजातंत्र है कि हल्ला गुल्ला न हो ? उसकी क्या मर्यादाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं इस ओर भी कभी ध्यान दिया ? इन मर्यादाओं की सबसे बड़ी रस्सी टूटती है जब ये महापालिकाएं सुपरसीड की जाती हैं।

आपने बयान दिया कि बड़ा रुपये का गोलमाल हो गया। जिस समय लखनऊ नगरपालिका बनी थी, तो लाभ में चल रही थी और सन् ५६ में लाभ में रही। उसके बाद से मैं आ रहा हूं अलीजहीर साहब के समय तक, प्रति वर्ष, ८ लाख रुपये का घाटा हुआ जब कि इनका ऐडमिनिस्ट्रेटर था, और प्रतिवर्ष सरकारी ऋणों का ८ लाख रुपया मिसयूज हुआ, प्रापर्ली इस्तेमाल नहीं हुआ। यह प्रशासक काल था। इस प्रजातंत्र के पोषक बनने वालों के लिये जनतंत्र की डींग हांकना ही काफी नहीं है, बल्कि आवश्यकता यह है कि इन मान्यताओं को अपने कर्त्तव्य में भी उतारा जाय। उन्होंने क्या किया ? इलेक्शन प्रोपैगेंडा बढ़ाने के लिये, क्षेत्रों को प्रसन्न रखने के लिये जो समाज के छोटे छोटे मुड्ढ थे, उनको खुश करने के लिये, वोट जीतने के लिये सन् ५६ से आगे उन्होंने सारा रुपया खर्च किया। आज तक उसका आडिट नहीं हुआ है, "गोविन्दं समर्पयामि", फिर क्या पूछना है ? स्टेट गवर्नमेन्ट में भी कड़ियां हैं, मुख्य मंत्री, मंत्री, उप मंत्री पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी। ये अलग अलग रहकर जो कुछ काम करेंगे तो इनके लिये कोई दोष नहीं है, हम करेंगे तो दोष है। तो आपने क्या किया ? सन् १९५७ के आम चुनाव में जिस क्षेत्र से हमारे वर्तमान न्याय मंत्री खड़े थे मीलों सिवर लाइन लगायी गयी, न जाने कितने इलेक्ट्रिसिटी के खंभे डाले गये जब कि ४ खम्भों पर हजारों रुपया खर्च होता है, नल लगाये गये और जो कारपोरेशन में डिस्ट्रेस एरिया कहलाता है, जहां कि अत्यन्त आवश्यकता थी इन चीजों की और जब कि म्युनिसिपैलिटी का कर्त्तव्य था कि उनका प्रबन्ध करती,

सिवेज, नल बिजली लगाती; वहां कुछ नहीं किया गया। वहां यह सब चीजें ले गये जहां वोटर कैश होता है। श्रीमन्, हम देखा करते हैं इसलिये इनकी सारी बातों को जानते हैं। यहां लखनऊ में ही मीलों तक शहर के बाहरी क्षेत्र में सीवर लाइन खोद दी गयी। माननीय न्याय मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं वरना मेरी इच्छा थी कि उनको ये सारी बातें मैं सुनाता क्योंकि उन्होंने ही पहला वार किया था कि हमने आर्डिनेंस क्यों लगाया।

दूसरी बात यह है कि ११ लाख रु० ऋण की वापसी की किस्त जो प्रशासक को सन् ५६–५७ में देनी थी, उसके लिये मोरिटोरियम प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि सरकार अपनी, मंत्री अपना, ऐडमिनिस्ट्रेटर अपना, राज्य अपना, रुपया पैसा अपना, देना अपना लेना अपना, फिर डर किसका एलेक्शन आ रहा था इसलिये उस रुपये का पूरा दुरुपयोग किया गया और प्रति वर्ष ८ लाख रु० के घाटे की नयी व्यवस्था की गयी। आज पुनः सरकार म्युनिसिपैलिटियों को उस जगह पर पहुंचाना चाहती है, जिस जगह वे सन् ५६ के समय थीं। क्या यही जनतंत्र हैं? जनतंत्र की इकाई तो नीचे से शुरू होती है, फिर उससे एक बड़ी इकाई होती है, फिर उससे बड़ी इकाई होती है और सब से बड़ी इकाई यह सरकार है और वह ऐडमिनिस्टेटर का राज्यकाल हमारे सामने लाना चाहती है।

एक बात मैं और बतला दूं, अगर नहीं बतलाऊंगा तो दुनिया कैसे समझेगी कि हमारी सरकार जो कारपोरेशन बिल ला रही है, उसकी क्या स्थिति है?

जहां तक लखनऊ का संबंध है, इनके आदमी एलेक्शन लड़े और हार गये। यह भी बड़े महत्व की बात है कि वे लड़कर एलेक्शन क्यों हारे? जनता ने जब देखा कि आप जब शासन में थे तब ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा सारे रुपये पैसे को आपने बर्बाद कर दिया, फिर वे कैसे विश्वास करें कि आगे चुन कर जब आप आयेंगे तो उनका सदुपयोग कर सकेंगे? इसी का दुष्परिणाम हुआ कि वे बुरी तरह से हारे। दूसरी बात यह कि अगर किसी मुख्य नगर अधिकारी ने आपकी बात कोई नहीं मानी तो आपने उसको उस स्थान से हटाना ही प्रारम्भ कर दिया। इसलिये कि वे उनके मन की बात नहीं करते थे। जैसा कि मैंने पहले कहा---माननीया तारा जी अभी-अभी एक बात कह कर पार हो गयीं, शायद वे सोच रही थीं कि कौन जाने हम दूसरी बात भी न जान जायं। लेकिन मैं जानता हूं कि कितनी म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जो कर्ज से लदी हैं अगर आप कहेंगी तो मैं लिख कर दे दूंगा–न वहां समय के अनुसार एलेक्शन कराया और न उनको कर्जा लदे होने पर भी कर्जदार डिक्लेयर किया और न उनको कर्जा देना ही बन्द किया क्योंकि वे सब पालतू थीं। जितनी पालतू म्युनिसिपैलिटियां थीं उनको अनुदान दिया, रुपया दिया और मुझे सूचना है कि आज तक उनके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं प्राप्त हैं लेकिन फिर भी उनको रुपया दिये जा रहे हैं लेकिन जिनके खिलाफ यह सरकार रही उनके लिये क्या किया? उनके लिये वही कहावत चरितार्थ की गयी कि "तुमने नहीं तो तुम्हारे बाप ने पानी को गन्दा किया" तो यह रीति है इनके कार्य करने की।

इसी तरह से लखनऊ कारपोरेशन को मार्च में ३० लाख रु० ऋण के रूप में देना था, मान लिया कि यहां की म्युनिसिपैलिटी भ्रष्ट हो गयी, इनडेटेड हो गयी तो जिस समय आपने चुनाव कराने की घोषणा की थी, उसी समय आपने क्यों नहीं इसको सुपरसीड कर दिया। ३० लाख रुपये का ऋण तो आपने उसे इसलिये नहीं दिया ताकि उसका कार्य चलने न पावे और वह धास से बैठ जाय। अगर आपका यही व्यवहार इन नगरपालिकाओं की तरफ रहा तो सचमुच जनतंत्र नहीं चल सकता। यह वही इकाइयां हैं जहां से जनतंत्र की सही मानी में रक्षा हो सकती है। वहां लोग जनतंत्र के सिद्धांत को समझते हैं, जनतंत्र की प्रणाली को समझते हैं और उसके अनुसार सही रूप में कार्य करते हैं। बहुमत के बल पर आप इसे पास कर लेंगे, आपके हौसले बुलन्द हो जायंगे, मगर श्रीमन् यह जनतंत्र पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा।

श्रीमन्, आप देखें कि जनतंत्र की हत्या किसके हाथों हुई? जब आप उनको अनुदान देंगी नहीं, सहायता देंगी नहीं, तो वे कैसे अपना काम चलायेंगी, कहां से सड़कें बनेंगी, कहां से अस्पतालों

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

में दवायें आयेंगी, कैसे शिक्षा का प्रबन्ध होगा। सरकार से कहा जाता है कि आधा इनकम टैक्स दे दो, सरकार नहीं देती, सरकार से कहा जाता है आधा विहिकिल्स टैक्स दे दो, सरकार उसको भी नहीं देती, और अपना टैक्स, भूमि भवन कर, जनता पर लादती जा रही है। फिर होगा क्या ? कैसे वे अपना काम चलायेंगी ? इनके तो श्रीमन्, सरकारी कर्मचारी होते हैं, यह सरकार तो अपना भूमि भवन कर वसूल कर लेती है, इसका नतीजा यह होता है कि नगर-पालिकाएं अपना टैक्स वसूल नहीं कर पातीं। तो श्रीमन्, जनतंत्र का इस सरकार के द्वारा गला घोटा जा रहा है।

श्री कृष्णानन्द राय---

उपाध्यक्ष महोदय, बराबर एक ही जनतंत्र की बात कही जा रही है, वह तो हम कई बार सुन चुके हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। आप तो एकदम इस बिल को ले आये। हम इसके लिये तैयार भी नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपसे यह अपील करता हूं कि आप कृपया एक इन्सटान्स दे दें, वह काफी है, बार-बार रिपीट न करें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

आप श्रीमन्, वकील हैं, किसी केस में यदि एक उदाहरण दे दिया जाता है तो यह समझा जाता है कि इतना बड़ा प्रदेश है, यदि एक दो उदाहरण ऐसे हो जाते हैं तो उसको महत्व नहीं दिया जाता। उसका असर नहीं होता।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज की आर्थिक स्थिति संभल नहीं सकती है। आप को चाहिये कि आप इस विषय पर विवाद के लिये कोई स्पेशल डिबेट करायें। जिस तरह से आप ग्राम पंचायतों का गला घोटते चले आ रहे हैं, इसी तरह से आप इनका भी गला घोट रहे हैं, आपको जनता की सुख सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं है।

अब दूसरी बात यह कहना चाहता था कि इन्हों ने तीस लाख रुपया नहीं दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि महापालिकाओं के पास पैसा नहीं रहा और वे कर्जदार हो गईं। तिस पर भी इन्होंने नहीं सोचा कि क्या इनके असैट्स हैं क्या लाईबिलिटीज हैं। इन्होंने लेखाजोखा समाज के सामने नहीं रखा, हमारी रिपोर्ट आडिट नहीं कराई। किसी को पता नहीं कि पानी गन्दा कर रहा है तो कौन, इनका तो बस यह कहना है कि हमारे बाप ने पानी गन्दा किया था। उर्दू का शेर, इस समय नहीं कहूंगा श्रीमन्, क्योंकि समय कम है। मैं यह कह रहा था कि जब उन्होंने उससे भी पार नहीं पाया तो आपने कह दिया कि वे सब नियुक्ति के आदेश जो नवम्बर, १९५५ के आदेश थे, रद्द कर दिये। एकदम प्रहार नहीं करते, पर ऐसी घुट्टी पिलाते हैं, जिससे तपेदिक हो जाय। ६ नवम्बर, को आदेश निकला कि दो घंटे के अन्दर मुख्य नगरअधिकारी से चार्ज ले लिया जाय। फिर यह सोचा कि कौन जाने उसको पता चल जाय कि कारपोरेशन उस के हाथ में आ रहा है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बन जायेगा वह सुधार कर सके और जिस उद्देश्य को सोच रहे हैं वह डिफीट हो जाय।

अब हम आते हैं अध्यादेश पर। इससे भी पार नहीं चला। तो २० जनवरी को एक अध्यादेश जारी किया। अब इसकी कहानी सुन लीजिये। आपने दो मरतबा कहा यहां माननीय चतुर्भुज शर्मा खड़े होते थे उन्होंने कहा कि कांस्टीट्वेन्सी बन चुकी है और मई

या जून के महीने में एक चुनाव करा देंगे। माननीया मुख्य मंत्री बैठी हुई हैं। मुझे याद है कि वह कांस्टीटयुएंसी बन चुकी है। अब क्या एतराज प्राप्त हुये हैं? उन्होंने कहा कि नये एतराज प्राप्त हो रहे हैं, वे ठीक हो जायेंगे तो कारपोरेशन का इलेक्शन ३१ मई तक अवश्य हो जायेगा। मैं कहता हूं कि आप अपने को जनतंत्रवादी और प्रजातंत्रवादी कहते हैं, दुनिया क्या कहेगी, आपके आश्वासनों का क्या भरोसा रह गया। आप समझते थे कि हम कांस्टीट्युएंसी अपने माफिक बना लेंगे। इन सब चीजों को आप आंकें? जब यह देखा कि मामला गड़बड़ है तो आपने साल भर के लिये समय बढ़ाया। आप कहते हैं कि जिस वक्त साल भर का समय बढ़ाया, उस वक्त दफा ८४ का अंश गायब नहीं हो गया। लेजिस्लेटर्स भी यही सोचकर जाते हैं कि पंद्रह वर्ष तक जिला परिषद् का इलेक्शन नहीं कराया, म्युनिसिपैलिटीज का आठ वर्ष तक नहीं कराया इसलिये हम इनको दूसरे अधिकार नहीं देंगे। केवल एक वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिए अवसर दिया। जब एक वर्ष की अवधि आपको मिली और आपने ३१ मई को कहा था कि इलेक्शन करा देंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि ८ अगस्त को हमला हुआ तो ३१ मई से ८ अगस्त तक आपको कांस्टीट्युएंसी क्यों नहीं बनी? इसलिये नहीं बनी कि आपकी इच्छा नहीं थी, इसलिये नहीं बनी कि पर्याप्त अनुकूल वातावरण नहीं था, इसलिये नहीं बनी कि आपको शक था कि कहीं हमारा अन्दाजा गलत न हो जाय। अगर आप यह कहें कि हमने साल भर की अवधि बढ़ाई थी तो वह इमरजेंसी तो सितम्बर में खत्म हो गयी। लड़ाई बन्द हो गयी थी। अगर वे इलेक्शन करवाना चाहते तो अवश्य ही हो जाते। मगर एक बहाना वे तो ढूंढ रहे थे। क्या और कोई काम भी आपके लड़ाई के कारण बन्द हुए थे, क्या इन ५ कबाल टाउन्स में ही हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई आ रही थी? जिससे आपके अधिकारियों को चुनाव कराने की फुरसत नहीं थी और जिसके कारण उन्होंने कांस्टीटुएंसी बनाना छोड़ दिया। किसी माननीय सदस्य ने ठीक ही उस दिन कहा था कि यह एक सुनियोजित प्लान था कि दिसम्बर में असेम्बली नहीं बुलाई गयी। अगर नवम्बर में ही बुलवा लेते तो आपको क्या बाधा थी? लेकिन जिस प्रकार से यहां बहाना लगाया गया कि बरामदा बन रहा था उसी प्रकार से वहां बहाना लगाया गया। और इसीलिये दिसम्बर में असेम्बली नहीं बुलाई गयी कि फिर ये आर्डिनेंस कैसे ला सकेंगे? आप इसी के लिये तो प्रतीक्षा कर रहे थे। सचमुच आपकी नेकनीयती थी, सचमुच अगर आप प्रजातंत्र और जनतंत्र के प्रेमी थे तो आपको चुनाव करा देना चाहिये था। क्या यह अध्यादेश किस कानूनी माहिर के दिमाग से निकला था? क्या उन्होंने आपको नहीं कहा था कि बड़ा गजब हो जायगा, संसार क्या कहेगा, दुनियां के सामने क्या मुंह दिखायेंगे? क्या वे जानते नहीं थे कि वही लोग पढ़े लिखे नहीं हैं दूसरे भी पढ़े लिखे हैं? विधि परामर्शी ने अवश्य ही ऐसी सलाह आपको दी होगी लेकिन इसका तो सीधा संबंध आपसे था। २७ तारीख को गवर्नर महोदय, इस सदन को एड्रेस करते हैं और २५ तारीख को आप अध्यादेश जारी करते हैं। यह भी आवश्यक नहीं था, अगर आप चाहते कि उस पर बहस होते ही, आप उन पर चर्चा करा सकते थे और इनके बारे में विधेयक ला सकते थे। ३–४ दिन उसको रोक कर विधेयक को पास करा सकते थे। लेकिन आप तो आर्डिनेंस से राज्य करना चाहते थे।

बात यह थी कि जिधर आप जाते थे उधर ही शह लग जाती थी, इसलिये इसको ही आपने रामबाण समझा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या साल भर तक उसके बारे में सोचने का आपको समय नहीं मिला था? क्या विधि परामर्शी ने आपको यह नहीं बताया था कि २ वर्ष का समय ग्रेव इमरजेंसी में ही बढ़ाया जा सकता है। जहां तक इमरजेंसी की बात है, उसके बारे में यहीं एक मंत्री महोदय ने कह दिया था कि अब वह नहीं है और अगर वह इमरजेंसी थी भी तो क्या वह इन्हीं क्षेत्रों में आने वाली थी। अब आप ताशकंद की चर्चा कर रहे हैं। जब देश भर से वह संकट हट गया तो आपको भगवान ने ताशकंद का बहाना दे दिया। जब संकट आया तो उन का सारा प्रजातंत्र लड़खड़ा गया। एक बार सन् ६२ के चीन के

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

हमले के बाद संकट आया तो लड़खड़ा गया, अब की बार पाकिस्तान का हमला हुआ तो फिर लड़खड़ा गया और जब वह भी खत्म हो गया तो ताशकंद आ गया। उन्होंने कहा कि हम ताशकंद का इन्तजार कर रहे थे लेकिन सोचने की बात है कि ताशकंद से महापालिकाओं के चुनाव से क्या मतलब, उस का असेम्बली के चलने न चलने से क्या मतलब ? वह कौन सी ऐसी परिस्थिति थी कि जिस ने ताशकंद का रोडा अटका दिया। इतनी थोथी दलीलें दिल के शीशे में लेकर रखते हैं आप समझ सकते हैं कि उन का दिल प्रजातंत्र के लिये कैसा है ? उन्होंने इल्जाम लगाया था कि सस्पेंशन का कारण यह है कि एनक्रोचमेंट बहुत था, अपने फायदे किये गये हैं और रुपया बनाया गया अपने लोगों के लिये। एनक्रोचमेंट की बात में मैं बता दूं कि अमीनाबाद में यहीं पर एक पावर हाउस है उसके पास ही एक इमारत है जिस का छज्जा ४ फुट बढ़ा हुआ है और वह नक्शे के खिलाफ बनाया गया है। सारे अमीनाबाद में एक ही मिसाल है। इस कारपोरेशन के जमाने में भी इमारतें बनीं, लेकिन कहीं भी एनक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन उस जमाने के मंत्री जो आज के न्याय मंत्री हैं उन्होंने यह गड़बड़ किया लेकिन सारे शहर की आंखों में धूल झोंककर मंत्री जी ने कारपोरेशन बनने से पहले ही प्रशासक से कम्पाउन्ड करा लिया जैसे ३१ मार्च खत्म होती है तो बैंक्स में किसी को सांस नहीं आती और सब काम उस दिन ही पूरे किये जाते हैं इसी तरह से अपना काम पक्का कर लिया और जिस तरह से कि सारी फाइलें मंत्री जी के पास जमा रहती हैं और डिसपोजल नोट करा दिया जाता है। चाहे वह डिसपोजल होता है ६ वर्ष के बाद, लेकिन कागजी कार्यवही हो जाती है। यह सब जगह होता है। आप की ब्यूरोक्रेसी में भी होता है, आप का ही इस में दोष नहीं है। तो वह कम्पाउन्ड इसीलिये कराया गया आखिरी दिन कि नगरपालिका आयेगी तो वह तो खाली करा लेगी। यह एन्क्रोचमेंट का उदाहरण मैंने दिया।

एक बात मैं और कहूंगा कि आप २ साल तक एलेक्शन नहीं करायेंगे यह सारे अधिकार किस को प्राप्त हैं, जो अधिकार ६४–६५ चुने हुए सभासदों को प्राप्त थे उन को आप एक मुख्य नगराधिकारी को सौंप रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट पर आप जो चाहें कर सकते हैं। अभी माननीय नवल किशोर जी ने और दूसरे सदस्यों ने जो विचार रखे इस बिल पर, सब को ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है और मेरा ख्याल है कि अगर मुख्य मंत्री जी को भी असलियत मालूम होती तो वह ऐसा न करतीं। मालूम नहीं क्यों उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा फैसला लिया। किस आधार पर डिसीजन लिया ? आप स्वविवेक से करतीं तो सारे फैक्ट्स को देखतीं। मेरी यह भी प्रार्थना है कि आप अपने दल को धोका न दें, पब्लिक को धोका न दें, यदि आप प्रजातंत्र को कायम करना चाहते हैं। जैसे भगवान की पूजा के लिये स्नान किया जाता है, कपड़े धोये जाते हैं और यह सोचा जाता है कि कोई ऐसा कार्य न हो जिससे गन्दगी रह जाय, तो ऐसे ही प्रजातंत्र के भगवान के लिये स्वयं को सच्चरित्र बनाना पड़ेगा, व्यवहार में प्रजातांत्रिक विचार रखने होंगे, आपको अपने अधिकारियों पर कंट्रोल रखना होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपने किस उसूल को माना है जिसके आधार पर यह निर्णय लिया है। इन सब बातों को जानते हुए भी उन्होंने आर्डिनेंस को निकाला और इस अध्यादेश को निकाला।

श्रीमन्, अगर इनकी नेकनियती होती तो कोई ऐसा विधेयक अपने कुशल अधिकारियों के द्वारा यह सरकार न लाती। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास क्या जवाब है सारी दुनिया की जनता को देने के लिये, जिन्हें कारपोरेशन और प्रदेश का हित है, कि यह अवधि २ वर्ष के लिये क्यों बढायी गयी है ? सरकार ने नहीं सोचा है कि जनतंत्र में विश्वास करने वाले हमें क्या कहेंगे ? आज जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके समाधान के लिये उनके पास क्या जवाब है ? २ वर्ष की जो अवधि बढ़ायी गयी है, वह केवल इसलिये बढ़ायी गयी है कि वे अपनी स्थिति मजबूत कर लें।

एक दिन यहां पर विचार व्यक्त करते समय मैंने कहा था कि हमारी सरकार इसमें निपुण है कि जिन व्यक्तियों को प्रसन्न करना चाहती है, उनको किसी न किसी कमेटी में नामिनेट कर देती है। एक आदमी ने बड़े सत्य की बात कही और यह कहा था कि अगर सरकार में कोई खाली जगह होती है या कोई कमेटी होती है, या कहीं पर नामिनेशन होता है या नियुक्ति होती है तो फौरन मन में यह बात आ जाती है कि अमुक व्यक्ति इस स्थान पर रखा जायगा और होता भी वही है। इसलिये जब कोई चाल यह सरकार चलती है तो फौरन दिमाग में आता है कि एडवाइजर कौन सा होगा और ये होते कौन हैं, केवल वे जो सरकार के पिट्ठू होते हैं।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

वे सरकार के दुश्मन तो नहीं होते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

तो मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आप एडवाइजर्स को मुकर्रर करते हैं। जो अभी तक चुने हुए व्यक्ति थे उनका अनुपात होल बाडी में क्या है ? जब मैंने यह कहा था कि उसी अनुपात से आपके एडवाइजर भी रहेंगे तो कोई जवाब नहीं दिया गया और गोल कर दिया। तो आज उन पिट्ठुओं द्वारा काम होगा। अगर मुख्य नगराधिकारी तगड़ा रहा तो वह सरकार की बात मानेगा और अपना उल्लू सीधा करेगा और जनता का काम अलग रह जायगा। प्रदेश के कोने-कोने में राजनीति आ गई। यदि आप ने अपनी पार्टी के सिद्धान्तों के आधार पर, अपने इलेक्शन मैनीफेसटो के आधार पर इसकी रचना की होती तो बड़ा अच्छा था। लेकिन ऐसा नहीं। फिर हम कैसे विश्वास करें। नगरमहापालिकाओं के बारे में जो हमारी सरकार ने आपके सामने विधेयक रखा है यह बहुत ही लज्जाजनक विधेयक है। म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हम पूछते हैं आप क्यों नहीं कराते हैं ? क्या कारण है कि दो वर्ष तक टाला जाय ? क्या अब भी इमरजेंसी आप लाना चाहते हैं, या कोई पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का कांड हो जायगा ? क्या जवाब है सरकार के पास ? इसका जवाब केवल यह है कि प्रजातंत्र में आपकी आस्था नहीं है। अगर प्रजातंत्र में आस्था होती तो यह सरकार दो वर्ष के लिए इनकी अवधि न बढ़ाती। सरकार के ऐसे ही काम दिखाते हैं कि सरकार का गुडफेथ कैसा है ? ऐसे ही काम व्यक्ति करते हैं कि सरकार का प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। रोज दुहाई दी जाती है, कान पाक गए कि प्रजातंत्र में बाधक केवल विरोधी दल हैं। अगर हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है तो हम जरूर खड़े रहेंगे आप जो चाहें सो करें। मैं मानता हूं कि किसी समय वैसा करना उचित नहीं है, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में विवश होकर हमको वह करना पड़ता है जो उचित ही है। सन १९४१ तक महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि अहिंसा और सत्य के आधार पर लड़ेंगे। लेकिन १९४२ में जब तोड़ फोड़ होने लगी तब लोगों ने कहा। लेकिन जब देखा कि लाभ है तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है। स्वतंत्रता मिली हम को उसके फल स्वरूप। जो काम किन्हीं परिस्थितियों में समझा जाता है कि ठीक नहीं है, वही काम दूसरी जगह, दूसरी परिस्थितियों में उचित समझते हैं। तो नगर महापालिकाओं के बारे में हम क्या सोचें ? हमारे हाथ काट दिये गये।

सरकार कहती है इन लोगों ने बड़ा खराब काम किया। लेकिन जब उप चुनाव हुआ था तो वार्डों में १९६३-६४ में, वहां पहले जनसंघ नहीं होता था, लेकिन उप चुनाव में कांग्रेस दोनों जगह हारी।

हमारी सरकार प्रसन्नता और नाराजगी, दोनों ही बनाती है। जब जैसी स्थिति हुई अपने हित के लिए वैसा ही काम करती है। यह इनकी स्थिति है। यह जो विधेयक आया है, आज जन समाज इधर ताक रहा है, उसके हाथ बंधे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एजीटेशन अगर इस पर हो जाय कि महापालिकाओं के चुनाव होने चाहियें, तो आश्चर्य नहीं समझना चाहिये, मैं नहीं कहता कि होने जा रहा है, लेकिन होना चाहिये।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

आज हमको यहां शिक्षा मिलती है कि हर चीज कानून से होनी चाहिए, नियमानुसार होनी चाहिए, यह हमको रोज शिक्षा दी जाती है कि सब चीज नियम के अनुसार करनी चाहिए, श्रीमन, वकील होने के नाते मन में यह बात आती है कि बात मुनासिब है जब प्रक्रिया नियमावली में प्रजातंत्र की रक्षा के लिये नियमों का पालन करने की, कानून के मुताबिक काम करने की डींग हांकी जाती है विरोधी दल बहुत अल्पमत में है, इंग्लैंड वाली बात नहीं है जहां पलड़ा बराबर है। एक गरीब आदमी पर राजा ने दावा कर दिया मिर्जापुर और सहारनपुर में। गरीब आदमी रहने वाला है बस्ती का। उससे कहा जाता है कि झगड़ा हम नहीं करना चाहते। कानून बना है। अब मिर्जापुर और सहारनपुर जा कर लड़ो। घर बेच दो। उसके पास लड़ने के लिये साधन नहीं है। लड़ेगा तो बरबाद हो जायगा। सरकार इसी प्रकार समझती है कि नियम बने हुए हैं। कानून के मुताबिक चलो। डंडे से मार कर सरकार सब को रखना चाहती है। यह अध्यादेश इसी तरह का उदाहरण है। हमारी सरकार दो वर्ष के लिये महापालिकाओं को खत्म करने जा रही है इससे ज्यादा निन्दनीय कार्य और क्या हो सकता है ? (व्यवधान) मैं जानता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जो डिसिप्लिन की वजह से, व्हिप के कारण नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई हृदय की बात कहना चाहता है तो आप उसे डिमारेलाइज क्यों करते हैं ? व्हिप क्यों इश्यू करते हैं ? नाराज क्यों हो जाते हैं ? कैसे आप प्रजातंत्र की रक्षा कर रहे हैं ? आप अपने ही आदमी का यकीन नहीं करते आप में बहुतों का दिल शुद्ध है लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की वजह से कुछ नहीं कहते। एक मर्तबा युधिष्ठिर भीष्म पितामह से शिक्षा लेने जा रहे थे तो द्रोपदी ने कहा कि वह बड़े भारी ब्रह्मचारी हैं, बड़ा उन को ज्ञान है, जरा मेरा भी एक प्रश्न पूछते आना कि जब भरी सभा में उसके साथ अन्याय हो रहा था तो उनके ज्ञान चक्षु कहां गये थे ? जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के सामने गये तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ा गूढ़ सवाल करने आये हो। युधिष्ठिर चुप रहे। फिर भीष्म पितामह ने कहा कि द्रोपदी ने कोई सवाल पूछा है लेकिन युधिष्ठिर चुप रहे। भीष्म पितामह ने कहा कि जा कर जवाब देना कि मैं उसका नमक खा रहा था। इसी तरह उधर न जाने कितने हृदय ऐसे होंगे जो हमारे पक्ष के होंगे। हम तो इधर के हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज यह स्थिति है कि अगर फ्री वोटिंग ले लिया जाय और व्हिप का अनुशासन न रहे तो ९० प्रतिशत लोग हमारी तरफ होंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। सरकार ने यह परिस्थिति पैदा कर दी है और चाहती है कि यह विधेयक पारित हो।

श्रीमन्, इसकी प्रतिक्रिया बड़ी जबर्दस्त लोगों में होने जा रही है। आज सब की निगाह इनके ऊपर लगी हुई है कि दो साल में न जाने क्या परिस्थिति होगी। अगर कोई कह दे कि कौआ सफेद है तो थोड़ी देर के लिये हम सोचेंगे कि शायद इसने कहीं देख लिया हो, और अगर नहीं देखा तो समझेंगे कि मजाक कर रहा है। इसी प्रकार सुपरसेशन होने पर अखबारों में निकला 'वी आर हैविंग ए साई आफ रिलीफ' तो मुझे एक मदारी की बात याद आती है जो लोगों को तमाशा दिखाय है और उसका गाला देख कर हम लोग चकित रह जाते हैं। हां कि हमारी आंखों ने, बुद्धि और ज्ञान ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन बात यही है मदारी के गिरोह के लोगों की तरह से इनके लोग भी पहुंच जाते हैं। कानपुर की नगरमहापालिका के सुपरसीड होने पर इन्होंने अखबार में निकाल दिया कि लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। इससे मालूम होता है कि लिखने वाले को कुछ ज्ञान नहीं है। अगर म्युनिसिपैलिटीज को इन्होंने भस्म कर दिया तो आप तुरन्त इलेक्शन कराइये और देखिये कि जनता किसे जिता कर भेजती है। कांग्रेस के लोगों से हमें क्या दुश्मनी है ? जनता चाहे किसी भी पार्टी के लोगों को जिता कर भेजें। यह जनता का अधिकार है फिर इसको छीनने का क्या अधिकार है ?

आज जनता समझती है कि इन नगर महापालिकाओं को सुपरसीड करने से गजब हो गया है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उस को तो चुनाव लड़ना नहीं है और उस को जनता के साथ हमदर्दी नहीं है, चाहे जनता उससे खुश हो या नाखुश हो, लेकिन अगर उसने कांग्रेस गवर्नमेन्ट को खुश कर दिया तो उसकी तरक्की हो जायेगी। प्रजातंत्र के हामियों ने इनको सुपरसीड कर के प्रजातंत्र का गला घोटा दिया है। अगर उनका विश्वास है अपनी पार्टी

के ऊपर तो चुनाव कराकर उसे ले आयें, और अगर सरकार को आशा नहीं है तो कह दे कि हमें अपनी पार्टी पर विश्वास नहीं है, सब मामला गंदा हो गया है। अगर आप अपने दल के लोगों को जनता से चुनवाकर भिजवायेंगे तो वे जनता के प्रतिनिधि कहलायेंगे। लेकिन इस तरह से आप इसका गला न घोटिये। भविष्य के लिये यह आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। हमारे मंत्रिगण न जाने क्या समझ कर आश्वासन देते हैं, हम जानना चाहते हैं। यह करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और समझते कुछ हैं। यह इन्होंने इस अध्यादेश और विधेयक को लाकर प्रमाणित कर दिया है। बहुत से लोग बोलने वाले हैं। मैं एक बात और कह दूं कि लोकल बाडीज में तो मैं जानता हूं कि बोलना ही हमारा अधिकार है और शक्ति आप के हाथ में है। मैं तो यही जानता हूं कि ज्ञानी और बुद्धिमान् पुरुष वही है जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करे। क्योंकि शक्ति तो निर्बलों की रक्षा के लिए होती है, बुद्धि दूसरों को सत्परामर्श देने के लिये होती है और धन दान देने के लिये होता है। लेकिन यहां तो तीनों ही गायब है। आप कारपोरेशनों को धन भी नहीं देंगे, सलाह भी नहीं देंगे और तीसरी बात क्या कहूं। आप तो धीरे धीरे अधिनायकवाद की तरफ जा रहे हैं और आप के कदम इस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह हमने नगर महापालिकाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त किये।

मैं अब अपने आखिरी प्वाइन्ट पर आता हूं। अखबार में निकला और उस दिन माननीय तारा जी ने तो यह बात नहीं कही और यदि कही तो मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की बगल में बैठे न्याय मंत्री ने एक बार कही, यदि उनकी बात गलत होती तो बगल में बैठे मुख्य मंत्री ने उन्हें रोका होता। उन्होंने कहा कि नगरमहापालिकाओं का प्रशासन नष्ट हो गया था, किन्तु एक बार भी उसका नोटीफिकेशन नहीं हुआ। उन्होंने कहा उनका प्रशासन भ्रष्ट हो गया है, वे इन्डेटेड हो गई थीं। लखनऊ के बारे में तो इन्डेटेडनेस की कुछ बात कही गयी किन्तु बाकी चार जो नगरमहापालिकाएं थीं, उनके बारे में कोई विज्ञप्ति नहीं निकली, उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया कि उनका प्रशासन भ्रष्ट है, उनका प्रबन्ध खराब है और यहां पर लोगों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। कभी भी तो इल्जामात नहीं लगे लेकिन एक दम से उन पर बिजली गिर पड़ती है। आप प्रजातंत्र के युग में किसी मामूली से मामूली सरकारी नौकर को भी यदि डिसमिस करते हो तो उसको एक मौका देते हो। मेरा पूरा इशारा प्रजातंत्र की ओर है, जिसकी सूखी हड्डी पर यह लोग बैठे हैं। ५०–५५ रुपये पाने वाला पटवारी या अर्दली जिसको भी आप डिसमिस करते हैं उसके बारे में कान्सिट्यूशन में लिखा है कि उसको डिसमिसल का कारण बताया जायगा और उस को अपने ऊपर लगाये गये इल्जाम का एक्सप्लेनेशन देने का एक उचित अवसर दिया जायेगा और उस का एक्सप्लेनेशन लेकर उस पर विचार करने के बाद, उसको सन्तोषजनक न पाने की अवस्था में ही उसे डिसमिस किया जायेगा। इस सब के बाद भी उसके लिये न्यायालय का द्वार खुला रहता है। लेकिन आप ने किसी कारपोरेशन पर इल्जाम लगाया। आंकड़े या तथ्य सहित? आपने तो केवल एमरजेंसी का सहारा लिया। पहले तो आप हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिये महात्मा गांधी की पवित्रात्मा को खींचते रहे। मुझे कहना नहीं चाहिये किन्तु यदि कोई मर भी जाता है तो उसकी भी यह लोग दुरवस्था करते हैं। इसी प्रकार यह लोग नगरमहापालिकाओं की दुर्गति करते हैं। तो मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि कौन सा अवसर आपने उनको दिया यहां के सभासदों को सुनने का आपने उनको कौन सा मौका दिया। वह भी कोर्ट में नहीं जा सकते इसलिये आप ने ऐसा किया। तो जो वोटों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुन कर अपने हित के लिए भेजना चाहते थे, उन लोगों को आप ने उनके हितों से वंचित किया, इस सरकार ने किया, इस विधेयक के द्वारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विधेयक भी प्रजातान्त्रिक सरकार द्वारा लाया गया है। इन विचारों के साथ मैं अपनी बात प्रस्तुत करता हूं और बाद में आप लोग जो कहेंगे, उसका उत्तर मैं अपने उत्तर देने के समय में दूंगा।

(श्री ए० सी० प्राइस का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रक्षपालसिंह—

मुझे भी बोलने का समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप को बोलने का समय मिलेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

सवाल यह है कि जहां तक अध्यादेश का सम्बन्ध है उसके लिये अननुमोदन का प्रस्ताव श्री रक्षपाल सिंह जी ने रखा। उसके बाद यह आदेश हुआ कि जो विधेयक पर प्रस्ताव पेश किया जायगा वह विरोधीदल के नेता रखेंगे। अभी तक आपने रक्षपाल सिंह जी को बोलने का मौका नहीं दिया। अब जब तक अननुमोदन के प्रस्ताव पर न बोलें तब तक दूसरा शख्स कैसे बोल सकताहै ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह पेश हो गया। अब डिबेट हो रही है। रक्षपाल सिंह जी को बोलने का मौका मिलेगा, यह मैंने कह दिया है।

श्री रक्षपालसिंह—

जब हम लोगों ने रखा तो यह आशा थी कि आप बोलने का मौका देंगे, लेकिन अब मैं यह समझ रहा हूं कि मेरा यह अधिकार रहेगा भी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि आप को बोलने का अधिकार बाकी रहेगा।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्लभारतीय)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस कारपोरेशन विधेयक पर तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस साल तक कानपुर में कारपोरेशन की जो हालत रही है उस को महापालिका और डेवलपमेंट बोर्ड में हम को देखने का मौका मिला और उनको बनते हुये देखा, जब हिस्ट्री लिखी जायगी तो इस कानपुर नगर महापालिका के मुतालिक पार्टीबाजी, नाउम्मीदी, तरफदारी और करप्शन की हिस्ट्री लिखी जायगी। वहां के लोगों का यही काम रहा है कि अपने लोगों को लाना और अपने आदमियों को फायदा पहुंचाना।

(इस समय ३ बज कर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद) पीठासीन हुए।)

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि हमारे लक्ष्मीपुरवा में इस बीच क्या हुआ है। आप को पता है कि सन् १९६१ में वहां पर बड़ी बड़ी ड्रेनेज की नालियां बनाई गईं तो उसमें क्या-क्या हुआ और कितने आदमी मरे। आप को मालूम नहीं होगा कि कई आदमियों के मरने के अलावा करोड़ों रुपया उसमें घुस गया। अब वह स्कीम कम्पलीट हो गई है लेकिन अभी उसका आउट लेट खुला नहीं है। गये साल बाढ़ आई तो उसमें १२ आदमी मर गये और हजारों रुपये का नुकसान हो गया। क्या यही कारपोरेशन का काम था ? इस जनता के काम को क्यों नहीं देखा गया ? हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने यहां बड़ा लम्बा भाषण दिया और कहा कि आप ने कोई चार्ज न नगरमहापालिकाओं के ऊपर नहीं लगाया। मैं कहता हूं कि खुदा के सामने अपने दिल पर हाथ रख कर कहिये कि क्या उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है ? जितना भी काम हुआ वह जनता का कोई काम हुआ है ? जनता के लिये कौड़ी का काम नहीं हुआ है। यह जो स्कीम बनाई गई। देखने और सुनने में अच्छी लगती थी लेकिन वह सब कागज के ऊपर ही रही। उस स्कीम को जो लोग चलाने वाले थे उनकी नीयत साफ नहीं थी। उनकी नीयत खराब थी और इसलिये खराब थी कि वह अपने ढंग से काम नहीं कर पाये। उनके ऊपर दबाव पड़ता था तो उस दबाव की वजह से अपने दल के लिये उनको काम करना पड़ता था। कानपुर में क्या हुआ। यह हुआ कि वहां पर जमीन

ली गई लेकिन वह जमीन अपने दोस्तों को सस्ते दाम पर दे दी गई। इस तरह का वहां पर काम हुआ है। आज जाकर वहां पर इस बात की जांच की जा सकती है कि वहां पर ऐसा हुआ है या नहीं। मुझे इस बात को कहने में बड़ा अफसोस है कि जो लो इन्कम ग्रुप स्कीम में काम हुआ है उसमें कितने लोग लो इन्कम ग्रुप वाले उसमें बसाये गये हैं? यह आप जाकर देख सकते हैं। इस पर भी हमारे विरोधीदल के भाई कहते हैं कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। आप अपने दिल पर हाथ रख कर कह दें कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मैं मान लूंगा। वह जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे हाथ में बात होती तो हम पहले ही इसको सुपरसीड कर लेते। ठेका दिया जाता है। उसमें क्या होता है हाइयेस्ट बिड और एस्टीमेट वाले को ठेका दिया जाता है। मैं उनकी नीयत को पूछूंगा कि क्यों दिया? और जब काम हुआ तो क्या हुआ? काम कम्पलीट हो नहीं पाता है, ओवर-स्पेंडिंग हो जाता है—सब सत्यानाश! शुरू से आखिर तक!! मैं लखनऊ के बारे में नहीं कह रहा हूं, कानपुर के बारे में कहता हूं जहां के कारपोरेशन में कांग्रेसी ज्यादा भरे हुए हैं। पहले इसीलिए उन्हीं के लिए कह रहा हूं। उनकी इन्कम क्या थी? प्रायर टू १९६१ टोटल इन्कम थी ढ़ाई करोड़। १९६२–६३ में ४–४ करोड़ इन्कम और एक्सपेंडीचर ५.६ करोड़। १९६३–६४ में ४.८२ एक्सपेंडीचर और इन्कम ५.२५ करोड़। १९६४–६५ में ७.३ करोड़ और इन्कम ८ करोड़। आखिरी दस साल में हमने कैलकुलेट किया है कि आबादी ६ लाख से १२ लाख हुई है और टैक्सेशन ४७ पर हेड आता है। कानपुर की मैं गली-गली घूम चुका हूं। आप कमेटी ले जाकर वहां देखिये गलियों में। सफाई कुछ नहीं। काम कुछ नहीं। और कितना पैसा बरबाद हुआ है, ऐवरेज इन्कम फ्राम ईच इंडिविज्वल ४७ रुपया है। जनता को क्या दिया है सिवाय तकलीफ के? कानपुर की जनता ज्यादातर मजदूर है जिसको पालिटिक्स से कुछ करना नहीं है। वह इतनी खुश कि वह अब परसाद बांट रही है कि वह कारपोरेशन सुपरसीड हो गया है।

जहां तक लखनऊ का ताल्लुक है तो लखनऊ के जितने मेन रोड्स हैं जहां से कि फारेन ऐम्बैसीज आते जाते हैं वह सब फर्स्ट क्लास। वह लोग कहें कि लखनऊ इज ए ब्यूटिफुल सिटी। अब मेन रोड्स को छोड़ कर भीतर जाइये तो पता लगेगा कि व्हेयर दि ब्यूटी बिगिन्स एन्ड व्हेयर इट एंड्स। तभी पता लगेगा कि ब्यूटी बड़ों के लिए है, छोटों के लिये उसका पता नहीं है—यह मुझे अफसोस है। जितना पैसा लगाया गया है वह छोटों से लिया और बड़ों को दिया। वाटरवर्क्स का यह हाल है कि पानी तो कतई है ही नहीं। मैं पुराने शहर, चौक, की तरफ गया तो वहां देखा कि पानी है ही नहीं, लोग नहाएं कहां?

यहां तो टट्टियां ही बन्द हैं, लेकिन जहां जनता की सेवा करने की बात करते हैं तो वहां सेवा तो करवाओ। वहां तो कुछ है ही नहीं। फाइनेंश्यल पोजीशन कानपुर, लखनऊ की देख लीजिये गा। पहले शुरू शुरू में १,७७३ एम्पलाइज थे १९५९–६० में और आबादी लखनऊ की २० परसेंट बढ़ी है ५ साल में और एम्पलाइज हो गये ४,००७, यानी ३०० परसेंट बढ़ गये। ऐसा क्यों हुआ? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं। ७५–७६ परसेंट आमदनी इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च की जा रही है। यह सोचने की बात है कि जब आप आमदनी का ७५ परसेंट इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च कर रहे हैं तो अब डेवलपमेंट के उपर क्या लगायें? गोमती के उस पार हमारे एक फ्रेंड ने एक जमीन ली जो १० हजार रुपये की थी। उसके रजिस्ट्रेशन के लिये जब उसे बैकडोर से ५ हजार रुपया घूस देना पड़ा तब जाकर उसका रजिस्ट्रेशन हो पाया। मैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हूं, जिसका न कोई आगे है, न पीछे है, म्युनिसिपैलिटी के अन्दर उसका कोई व्यक्ति नहीं है। स्टेशन रोड पर एक लैंड एक्वायर करने की कार्यवाही हो रही है जहां पर न कोई बस्ती है न कुछ, कारण यह है कि वह तो एक एंग्लो इंडियन का है जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। कहा यह जाता है कि उसका लीज खतम हो रहा है। मैं कहता हूं कि जब लीज खतम होगा तो कंट्रेक्ट के अनुसार उसे रिन्यू करायेगा लेकिन इसका कोई खयाल नहीं है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि मैं तो खुश हूं कि

[श्री ए० सी० ग्राइस]

यह सब खत्म हो गया है। जब फिर आगे कभी म्युनिसिपैलिटी का एलेक्शन हो तो उसमें या किसी ऐडवाइजरी कमेटी में लोगों को जाने के लिये कोई एजूकेशन स्टैंडर्ड तय कर दें ताकि उनके अन्दर कुछ सिविक सेंस हो और वे सारी बातों को समझते हों।

हाउस टैक्स का एरियर सन् १९६१ में लखनऊ के अन्दर करीब २५ लाख था जो आज ३८ लाख तक हो गया है। कानपुर में भी इसी तरह से लाखों की तादाद में एरियर पड़ा हुआ है। आखिर यह क्यों? जितने कवाल टाउन्स हैं उन सब की हालत एक सी है और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐडवाइजरी कमेटी में जो एप्वायंटमेंट्स हों, उनके लिये सोच समझ कर लोगों को रखा जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नवल किशोर, जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के सेक्रेटरी हैं, उनका एक स्टेटमेंट आज अखबारों में जा रहा है। वह अंग्रेजी में है, उसे मैं पढ़ देता हूं।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह तो हमारी पार्टी का इंटर्नल मामला है, इस पर प्वायंट आफ आर्डर कैसे आ सकता है?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जरा मेरी बात तो सुन लें अधिष्ठाता जी, इस स्टेटमेंट में साफ कहा गया है कि माननीया सुचेता जी की सरकार में बहुमत नहीं है। तो जब बहुमत नहीं है....

श्री अधिष्ठाता—

इस प्वायंट आफ आर्डर का क्या इस विधेयक से सम्बन्ध है?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

जी हां, विधेयक से ही इसका सम्बन्ध है। जब दल के अन्दर सरकार का बहुमत नहीं है तो फिर यह विधेयक यहां आ ही कैसे सकता है? यह बात स्पष्ट रूप से कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के सेक्रेटरी ने कही है। मुझे वह पढ़ लेने दीजिये, नहीं तो मेरे मित्रों को सुनने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता—

इसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

विधेयक पेश करने का अधिकार उसी सरकार को होगा जो हाउस या बहुमत दल का कंफिडेंस कमांड करती हो। जब इस सरकारी दल के सेक्रेटरी कहते हैं कि यह सरकार बहुमत में नहीं है तो यह बिल कैसे यहां प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप उसे पढ़िये मत, उसका विधेयक से कोई संबंध नहीं है।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

यह तोर्टी का मामला है, इससे इसका क्या संबंध?

श्री रामायण राय—

अब इस पर मतदान होगा तो पता चल जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

सरकार बाकायदा बनी हुई है और यह विधेयक यहां पेश है । उस पर मतदान भी होगा, इस पर बहस होने दीजिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

श्रीमन्, नया-नया मुसलमान प्याज ज्यादा खाता है और नमाज ज्यादा पढ़ता है ।

(व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा है—"राज्य में नगर महापालिकाओं का पिछला सामान्य निर्वाचन वर्ष १९५९-६० में हुआ था और महापालिकाओं का ६ वर्ष का कार्यकाल, जिसके अन्तर्गत बढ़ायी गयी अवधि भी है, ३१ जनवरी, १९६६ को पूरा होने को था । यह वांछनीय नहीं समझा गया कि उनका कार्यकाल निर्वाचकों का फिर से मत प्राप्त किये बिना और आगे बढ़ा दिया जाय ।" इस चीज के आधार पर सरकार यह बिल लायी है । इसी पर बहुत जोर सरकार की तरफ से दिया गया है । श्रीमन्, मैंने संविधान को पढ़ा है, मेरी समझ में नहीं आया कि उसके किस आर्टिकिल के अन्तर्गत सरकार यह विधेयक यहां लायी है । जो नगरमहापालिका ऐक्ट है उसकी धारायें मौजूद है—आप उसकी धारा ८ को देखें जो इस प्रकार है—

"Duration of Mahapalika : Except as provided in section 538 or 539 the Mahapalika shall continue for 5 years from the date of notification issued in pursuance of section 9 that the Mahapalika has been duly considered :

Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend from time to time the term of the Mahapalika so however that the extention does not in the aggregate exceed one year :

Provided further that the State Government may, in the case of some grave emergency or other similar cause, similarly extend the term of the Mahapalika for a further period or periods which in the aggregate do not exceed one year."

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, यह अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—

अभी तक यह परिपाटी रही है कि बीच में एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं होता था लेकिन मंत्रिपरिषद् की तरफ से यह कटाक्ष हो तो उनकी तरफ से होना चाहिये, जिससे हम जो कुछ कहना चाहते हैं वे भी भूल जांय ।

दो सरकमस्टान्सेज हैं श्रीमन्, जहां पीरियड हो एक्स्टेन्शन का । पहिला यह है कि जो एक साल का समय था उसको इस सरकार ने अपने इसविधेयक में दिया है एक साल का पीरियड । दो बार छः महीने का किया उससे कवर कर लिया । अब इसके बाद दो तरह की सरकमस्टान्सेज आ सकती हैं । एक तो इमरजेन्सी पीरियड और दूसरी और कोई काज हो ।

[श्री कमलासिंह यादव]

लेकिन श्रीमन्, जो विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गयाहै उसके अन्तर्गत हम देखेंगे कि दो साल का पीरियड एक्स्टैन्ड किया गया है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौन सा कानून है जिसके अन्तर्गत दो साल का पीरियड बढ़ाया है। इस विधेयक के अन्तर्गत और भी धारायें हैं जिसके अन्तर्गत देखेंगे कि सरकार के लिये प्राविजन ऐसी सर्कमस्टान्सेज के लिये क्या है। सबसे पहिले मैं इस सरकार का ध्यान इसकी धारा ८३ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें दिया गया है "रिमूवल आफ् मैम्बर शिप"। खंड २ के उपखंड (क) पढ़ता हूं तो उसमें यह दिया गया है कि उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी महापालिका के नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख, सभासद्, विशिष्ट सदस्य तथा नगर अधिकारी अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे—तो रिक्त करने का सवाल जहां तक है, जितने मैम्बर्स हैं उन सबका स्थान रिक्त करने का है। इसके लिये दो प्राविधान नगर महापालिका के अन्तर्गत हैं। जो ८३ तथा ८४ में है। जहां तक ८४ का सवाल है उनकी कन्डीशन्स दी हुई हैं। कन्डीशन्स यह हैं कि

"....The State Government may remove a member of the Mahapalika or of any Committee thereof on any grounds."

नगर प्रमुख जो है या उपनगर प्रमुख सभासद या नगर अधिकारी सब लोगों का है और उसी तरह से जो कमेटी के मेम्बर हैं वे भी अपना स्थान रिक्त कर दें। तो इसलिये मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ कन्डीशन्स हैं जिसके अन्तर्गत आप स्थान रिक्त करा सकते हैं। पहिली कन्डीशन यह है। सैक्शन २५(ई) में दिया गयाहै कि विशिष्ट सदस्य और सभासद् जो होंगे उसकी डिस्क्वालिफिकेशन्स हैं। अगर कोई भी आदमी जो कि ट्रस्टी हो किसी चीज का, या किसी कान्ट्रैक्ट के शेयर हो या इन्टैरेस्ट हो या वकील का क्लाईन्ट, इन मामलों में जो कान्ट्रेक्ट हो उस संबंध में पर्सनल या इन्डायरैक्ट इन्टैरेस्ट देखा जायेगा। अगर ऐसे आदमी का किसी कारण डायरैक्ट या इन्डायरैक्ट इन्टैरेस्ट हो तो उस मैम्बर को हम सस्पैन्ड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक के अन्तर्गत बातें दी हुई हैं उसके अन्तर्गत कोई ऐसी बात सरकार ने सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की है जिससे जानकारी हो सके कि जो ये पांच नगर महापालिकायें हैं उनके कौन कौन सदस्य ऐसी गड़बड़ी किये हैं। अगर श्रीमन्, को याद होगा, स्पीकर महोदय ने पहले ही दिन मुख्य मंत्री को आदेश दिया था कि अध्यादेश के कारण सदन की टेबिल पर रखें। लेकिन इस सदन का और विशेषकर अपोजीशन का दुर्भाग्य है कि आज तक हम इस बात की जानकारी सदन से नहीं पा सके कि इस अध्यादेश को लागू करने और इस विधेयक को लाने के क्या कारण हैं। सरकार ने केवल इतनी बात कही कि यह जानकारी हो जायगी।

मैं अभी धारा ८३ को डील करते समय यह बता रहा था कि मेम्बर्स वगैरह कैसे रिमूव किये जायेंगे। उसके अन्तर्गत यह भी दिया हुआ है कि जो फिजीकल या मैन्टली या प्रास मिसकान्डक्ट का गिल्टी होगा वह भी निकाला जा सकता है। इसके लिये यह दिया हुआ है कि रिमूवल किया जायगा आफीशल गजट में नोटीफाई करके और यह ऐसे पब्लीकेशन के डेट से इफैक्टिव होगा। इस विधेयक के खंड ३(२)में यह दिया हुआ है कि यह अधिनियम २५-१-६६ से प्रारम्भ हो जायगा। सरकार बताये कि वह कौनसा प्राविधान है जिसके अन्तर्गत सब सभासद और नगर प्रमुखों को निलम्बित किया गया है या उनके स्थान रिक्त कराये गये हैं? विधेयक में इसको कोई जगह नहीं है। अगर कोई इनफैक्शस बीमारी है तो भी आदेश दिया जा सकता है लेकिन अगर वह यह सैटिसफाई करदे कि हमको कोई बीमारी नहीं है तो यह डाइरैक्शन विदड्रा हो जायगा। लेकिन ऐसी भी बात इस विधेयक में नहीं है। इसमें यह भी है कि एक आदमी जो सब-सैक्शन(१) में रिमूव किया गया है मेम्बरशिप से, रिमूवल की डेट से ४ साल के लिये नगरमहापालिका का सदस्य निर्वाचित होने के लिये डिसक्वालीफाई हो जायगा। तो अगर २ साल के लिये सुपरसैशन होता है और तीसरे साल में अगर चुनाव हो गया तो जितने मेम्बर्स हैं, चाहे किसी भी रूप में हों, उनमें से कोई भी अगले चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। इसे बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये। यह राइट आफ सिटीजनशिप संविधान से हमको मिला है

कि हम चुनाव में हिस्सा ले सकें, उससे हम किसी को वंचित नहीं कर सकते। सरकार की ओर से कहा गया है कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं जितने चुनने वाले लोग हैं बगैर उनकी राय के यानी कि सामान्य चुनाव कराने के लिये प्रबन्ध हम नहीं कर सके, इसलिये हम इसको सुपरसीड करते हैं। आखिर निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? नगरमहापालिका की या सरकार की? इसके लिये सरकार का चुनाव का महकमा अलग है। उनका काम है कि वे वोटर्स लिस्ट तैयार करें, उन्हें पबलिश कराए और चुनाव का प्रबन्ध करें। जैसा कि सभा-सचिव जी ने कहा है नगर प्रमुख इन्तजाम नहीं करा सके, तो मैं नहीं समझ पाया कि सरकार अपने कामो के लिये कहां तक जिम्मेदार है। यह जिम्मेदारी तोसरकार के चुनाव विभाग की है। अगर वह समय से चुनाव का ठीक प्रबन्ध नहीं करा सकता है तो नगरप्रमुख या नगरमहापालिका की क्या जिम्मेदारी है? सरकार अपने दोष को छिपाने केलिये गलत ढंग से इस विधेयक की आड़ में लोगों का शिकार करना चाहती है।

श्रीमन्, इतना ही नहीं है। एक दूसरा बहुत बड़ा जाल इसके अन्तर्गत है। अगर धारा ८३ और ८४ के अन्तर्गत स्थानों की रिक्ति करा लें तो कोई भी ऐसी धारा इस विधेयक में नहीं है जिसके अन्तर्गत नगरप्रमुख को आप हटा दें। उनको ससपेंड करने का कोई अधिकार नहीं है। मिस्टर खान की नगरमहापालिका पर कमेंटरी में दिया हुआ है कि...

"Though the Act does not provide for no-confidence motion against Nagarpramukh, he may be suspended under this section by the State Government if the situation so requires."

इसमें है कि चूंकि नगरप्रमुख भी निकाला जा रहा है, इसलिये इस सैक्शन को छोड़कर कोई भी ऐसी धारा सरकार बतला दे, जिसके अन्तर्गत नगरप्रमुख को सरकार निकाल सकती है या ससपेंड कर सकती है। इसके बाद में लूंगा धारा ५३७, ५३८ और ५३९/५३८ और ५३९ में साफ दिया हुआ है कि अगर म्यूनीसीपैलिटी सुपरसीड होगी तो उस समय नगरप्रमुख अपना कार्य कंटीन्यू करेगा। लेकिन इस सरकार की गलतियों से और इनके कानून के जानकारों की वजह से इस सदन का हमेशा मखौल उड़ाया जाता है। हमेशा जो स्ट्रिक्चर्स हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अ र से पास होते हैं उसका कारण यह कि इस सरकार की परिपाटी हो गयी है कि सरकार चाहती है कि दो दिन के अन्दर सारे विधेयकों को पास करा ले। सरकार की तो यह कोशिश होती है कि किसी तरह से विरोधीदल बाहर चला जाय और उसको एक मिनट में ही सारे विधेयकों को पास करने का मौका मिल जाय। एक दिन मैं रेल से यात्रा कर रहा था कि फर्स्ट क्लास में मेरे पास एक उच्च अधिकारी बैठे हुए थे। उन्होंने यही कहा कि आज क्या होने वाला है, यह गलत गलत क नून बनते जारहे हैं। एक कानून को बने १० दिन भी नहीं होने पाते कि उसका अमेंडमेंन्ट आ जाता है। जमींदारी अबोलीशन को ही आप ले लीजिये। उसमें कम से कम ५० अमेंन्डमेंट हुए हैं। पीरियड के अमेंन्डमेंट तो बहुत से हुए हैं। पीरियड का कोई भी ऐसा विधेयक नहीं होगा जिसमेंसमय न बढ़ाया गया हो। इससे एक नतीजा भी और निकलता है कि आपके अधिकारी समय से कोई काम कर नहीं पाते हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसके बारे में मैंने कई लाइयर्स से सलाह ली, और मैंने भी उस पर बहुत विचार किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि कौन कानून के अन्तर्गत वह आर्डिनेंस जारी किया गया और कौन से कानून के अन्तर्गत यह विधेयक इस सदन में लाया गया है।

एक बहुत बड़ी एनामली भी इस विधेयक के द्वारा आने वाली है। इसी सदन में माननीया मुख्य मंत्री ने एक बार कहा था कि बहुत सी नगरपालिकाओं में जमीनें नीलाम की गयी हैं जो गलत तरीके से की गयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह विधेयक जिस रूप में इस सदन में लाया गया है क्या उसमें कोई ऐसी बात है कि जो भूमि किसी नगर प्रमुख ने गलत तरीके से नीलाम कर दी

[श्री कमलासिंह यादव]

है या लीज पर दे दी है, उसके लिये क्या इसमें कोई प्राविधान किया गया है ? उसको नल एन्ड वायड करने के बारे में क्या इसमें कोई चीज आप रखने जा रहे हैं ? सरकार को चाहिये कि वह इस पर कुछ रोशनी डाले। विश्वविद्यालय विधेयक में भी यह दिया हुआ है कि उपकुलपति जिसको कमेटी में बैठने का अधिकार नही था अगर उसके द्वारा कोई कार्य किया गया है, वह भी वैधानिक समझा जायगा। लेकिन क्या इसी प्रकार से नगर प्रमुख के कार्यों को नल एन्ड वायड करने के लिये इस विधेयक में कोई प्राविजन किया गया है ? सरकार को जब यह मालूम है कि ऐसे गलत काम हुए हैं तो फिर इस विधेयक में ऐसी धारा अवश्य आनी चाहिये कि गलत तरीके से जो जमीन उठायी गयी है अथवा जिनको नीलाम कर दिया गया है उनकी डीड्स को नल एन्ड वायड कर दिया जायगा। मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बिल में यह चीज आनी चाहिये। बाद में जरूर उन्होंने ससपेंशन की बात कही है लेकिन अगर कोई चीज इस तरह की हो गई, उस को रायज कर दिया गया है और कोई काम एक्चुअली होने लगा तो बाद में ससपेंड करने से कोई असर न होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री ऐसे कामों की तरफ जिस की कि एक बार उन्होंने चर्चा भी की थी, उसकी तिथि तो मुझे याद नहीं है, अगर नगरप्रमुख ने गलत ढंग से जमीनों को उठाया है या नीलाम किया है तो इस तरह की धारा का इस बिल में आना आवश्यक है।

जब हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो इस में एक बात हम पाते हैं कि जिस वक्त यह नगरप्रमुख और सदस्य अपने स्थान रिक्त कर देंगे उस वक्त इस बिल के द्वारा वह स्थान हम प्रशासक को दे रहे हैं। सेक्शन ८४ में दिया है "ससपेंशन आफ महापालिका अथारिटी"।

"If at any time the State Government is satisfied that a situation has arisen in which any Mahapalika authority cannot function or refuses to function in accordance with the provisions of this Act it may by notification in the official Gazette declare that the functions of such Mahapalika authority shall in whole or to such extent as may be specified in the notification be exercised by such officer or authority as may be named in the notification and any such notification may contain incidental and consequential provisions as may appear to the State government necessary or desirable for giving effect to the objects of the declaration."

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो अंग्रेजी में पढ़ा है, उस की हिन्दी भी कर दें।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो यह देख रहा हूं कि जो लोग इन्टरेस्टेड हैं वह अंग्रेजी जानते हैं और जो इंटरेस्टेड नहीं हैं वह चाहते हैं मैं समय कम लूं। उन को यह विश्वास होना चाहिये कि मैं अनुवाद कर सकता हूं। समय बचाने के लिये मैं नहीं कर रहा हूं। जहांतक खंड २ का सवाल है, उसमें यह दिया हुआ है कि ससपेंशन के बाद क्या प्रभाव होगा। नियम ८५ में दिया है कि ससपेंशन के बाद क्या होगा और वह अधिकारी नेम्ड होगा, जो कि बाद में स्थानीय संस्था के लिये जम्मेदार होगा। इसमें 'प्रशासक" शब्द दिया है और जब उस का नाम देते हैं और यह भी देते हैं कि कितना इस बिल का काम है या अध्यादेश का काम है उसके अन्दर जितने प्राविजन धारा ८३–८४ में दिये हैं उन्हीं का प्राविजन इसमें दिया है। जो नगर महापालिका ऐक्ट है, उसकी धारा ८३ रिमूवल आफ मैम्बर्स से संबंध रखती है और धारा ८४ का संबंध महा पालिका के सस्पैन्शन से है। नगर प्रमुख को सस्पैन्ड करने या उसके विरुद्ध नो कौन्फिडेन्स का मोशन लाने के लिये इस महापालिका ऐक्ट में कोई प्राविधान नहीं है। तो जहां पर ऐसा प्राविधान न हो तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल

होगा। मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि माननीय त्रिपाठी जी ने यह कहा कि नहीं कि किसी भी मैम्बर को या किसी नगर प्रमुख को हटाने के पूर्व उसे एक अपरचुनिटी देनी चाहिये। कोई भी आदमी जिसे सरकार हटाती है, उसे इस बात का अवसर दिया जाता है कि किन-किन कारण से उसे हटाया जाता है। लेकिन सदस्य को हटाने के लिये कि इन इन कारणों से, और इन इन वजूहात से हटाया जा रहा है नगर महापलिका की सदस्यता से, कोई मौका नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र का काम नहीं है। यदि किसी भी आदमी को हटाया जाता है या उसे दोषी करार दिया जाता है तो उसको एक्स लेन करने को एक अपरचुनिटी देनी चाहिये। जहां तक संविधान का संबंध है उसके अन्तर्गत भी आपको मौक देना चाहिये। यदि नहीं तो यह कौंस्टिट्युशनल ब्रीच है। कोई भी आदमी अगर पब्लिक सर्विस का डिस्मिस होता है तो डिस्मिसल का आदेश जब उसको कम्युनिकेट किया जायगा तो उसी दिन से वह प्रभावी होगा लेकिन समझ में नहीं आता कि नगर महापालिका के सदस्यों को तथा उनके प्रमुखों को, क न से पाप के कारण और कौन से आदेश का पालनकरने के कारण, कौन से मिस कन्डक्ट के कारण उन्होंने ब्रीच किया था। सरकार की ओर से कहा गया कि एक नगर प्रमुख ऐसा है जिन के ऊपर ऋण बाकी है। तो अगर एक नगर महापालिका का प्रमुख ऐसा है जो कर्जे की अदायगी नहीं कर सकता है तो जो और ४ नगरमहापालिकाएं हैं, उन्होंने क्या गलती की है कि वहां पर भी वे ही आदेश लागू कर दिये गये हैं। लखनऊ के अतिरिक्त दूसरी जो नगर महापालिकायें हैं, उनमें तो कांग्रेस के मैम्बर और प्रमुख थे पर उन्हें भी आपने कोई चान्स नहीं दिया है। श्रीमन् एक नहीं ५-५ नगर महापालिकाओं को सस्पेन्ड कर दिया गया है। यह समझ में नहीं आया है कि यह कहां तक प्रजातंत्र का घोतक है।

अब इस विधयक के अन्तर्गत यह दिया गया है कि जो भी प्रशासक होगा उसको पावर्स डेलीगेट की जायेंगी। जो पावर्स हम डेलीगेट करते हैं उनके रूल्स बनाने का काम हम स्टेट गवर्नमेंट को समर्पित करते हैं और स्टेट गवर्नमेन्ट कानून बनाती है उस के मुताल्लिक जो पावर्स डेलीगेट होती है। लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत हमारी समझ में नहीं आता वह पावर जो स्टेट गवर्नमेंन्ट नियमों के अन्तर्गत किसी नगर प्रमुख को या कमेटी को या सदस्यों को जो डेलीगेट करती है उस पा र को फरदर डेलीगेट करने की पावर इस सदन से ली जा रही है। यह समझ में नहीं आता। यह पावर स्टेट गर्नमेन्ट में रूल्स के जरिये डेलीगेट किया नगर प्रमुख को तो इतना तो मैंने मान लिया कि नगर प्रमुख और जितने मेम्बर्स है कमेटी के उन को जो पावर्स हैं वह प्रशासक में चली जायेंगी। लेकिन प्रशासक को कौन सा अधिकार है कि अपनी उस पावर को जो डेलीगेट की गई स्टेट गवर्नमेन्ट के द्वारा नियमों के जरिये उस को फरदर डेलीगेशन का क्या सवाल है। यह मेरी समझ में नहीं आता। और मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसी पावर्स नहीं लेनी चाहियें जो कि सदन के अधिकार की हों और इस तरीके पर मैं समझता हूं कि सदन के अधिकारों का हनन है।

अब मैं दफा ५३७ से ५३९ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक दफा ५३७ का संबंध है, चूंकि अभी मैंने मुख्य मंत्री के सभा सचिव से बात की तो उन्होंने यह कहा कि उस में जो है सिर्फ पावर के ऐक्सटेंशन का सवाल है उसको नहीं देना चाहते, यानी टाइम ऐक्सटेंड नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन असल में क्या किया। उन्होंने सस्पेंड किया है और जैसा कि ८३, ८४ में हमने जस्टीफाई किया हैकि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि ऐसा कानून बना सके। क्योंकि उस के लिये कंडीशन्स प्रेसीडेंट हैं। जब तक उन को अवहेलना नहीं होती तब तक किसी मेम्बर को नहीं निकाल सकते। दफा ५३८ में यह किया गया है कि "पावर आफ दी स्टेट गवर्नमेन्ट टु डिजाल्व महापालिका इन केस आफ इनकाम्पीटेंस, परसिस्टेंट डिफा ट आर ऐक्सेज और ऐब्यूज आफ पावर"। तो यही चार सर्कम्सटांसेज हैं जिनके अन्तर्गत यह सरकार किसी नगरपालिका को सस्पेंड कर सकती है। इस में दिया गया है, सब-क्लाज १ में, कि "इफ ऐट ऐनी टाइम अपान रिप्रेजेन्टेशन मेड, इट अपीयर्स टु दी स्टेट गवर्नमेंन्ट.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो माननीय सदस्य ने सुपरसेशन वाला सेक्शन पढ़ा, या रिमूवल वाला पढ़ा, और पता नहीं कौन कौन से सेक्शन्स पढ़ डाले ये बिल्कुल इर्रेलीवेंट हैं। सेक्शन ८ में जो टर्म बढ़ाया गया सको न पढ़कर इधर-उधर के सेक्शन पढ़ रहे हैं यह क्या उचित है। इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

यह बिल्कुल इर्रेलीवेंट तो नहीं हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैंने अपनी स्पीच बिगिन की सेक्शन ८ से, पता नहीं माननीय कृष्ण नन्द राय जी उस समय सो रहे थे। अगर वह मेरी स्पीच को सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि वह अच्छा प्रकाश डाल सकेंगे। लेकिन अगर वह भी डार्क में हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

तो जहां तक दफा ५३८ का संबंध है इस के अन्तर्गत कंडीशन्स दी हुई हैं। उस के सब क्लाज १ में दिया गया है कि.....

"इफ ऐट ऐनी टाइम अपान रिप्रेजेंटेशन मेड इट अपीयर्स टू दी स्टेट गवर्नमेंट दैट दि महापालिका इज नाट कम्पीटेंट टु परफार्म आर परसिस्टेंटली मेक्स डिफाल्ट...दि स्टेट गवर्नमेंट मे आफटर हैविंग गिविन दि महापालिका ऐन अपौर्चुनिटी टु शो काज व्हाई सच आर्डर शुड नाट बी मेड बाई ऐन आर्डर पब्लिश्ड विद रीजन्स देयर आफ इन दी, आफिशियल गजट डिक्लारिंग दी महापालिका" तो श्रीमन् सरकार ने महापालिकाओं का विघटन किया है, लेकिन सरकार उसके लिये पहले महापालिकाओं को नोटिस देगी कि इन इन कंडीशंस की महापालिकाओं ने पूर्ति नहीं की है, बराबर अवहेलना की है और जो पावर्स उनको दी गयीं थीं उनको एक्सर्साइज किया और इस तरह से शो काज देने का अवसर दिया जायगा। उसके बाद ही एक्शन लिया जायगा लेकिन एकायक आर्डिनेंस के जरिये किसी नगर महापालिका को विघटित करना यह प्रजातांत्रिक नहीं है। ८३ और ८४ में मैंने कहा था कि ४ साल तक नगर प्रमुख या कमेटी के सदस्य इलेक्शन के लिये खड़े नहीं हो सकते लेकिन खंड ३ में यह प्राविधान दिया गया है कि जो मेम्बर्स अपने आफिस को वेकेंट करते हैं वे रिइलेक्शन लड़ सकते हैं और सरकार को तय करना होगा कि किस धारा के अन्तर्गत नगरपालिकाओं को भंग किया गया? इस विधेयक के जरिये सरकार ने दो साल का पीरियड लिया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर चुनाव इससे पहले हो जायं तो वह पीरियड होगा। मैं सरकार का ध्यान ५३८ के खंड ३ के उपखंड बी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें चुनाव की अवधि के बारे में साफ तौर से दिया गया है। इस तरीके से जब रिजोल्यूशन होगा जैसा कि इस विधेयक से स्पष्ट है तो उस समय तीन महीने के अन्दर चुनाव हो जाना चाहिये और लेटेस्ट ६ महीने में तो हो ही जाना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार को इसका अनुकरण करना चाहिये जिसने यह विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया है। जैसे इस माननीय मैनेजर सिंह जी ने कागजात फेंक दिये थे उस तरह से इस सरकार को चाहिये इस विधेयक को बिस्फोटक पदार्थ लगाकर फूंक दे। लेकिन उसको उसका एक्शन देखना चाहिये। आपतो कानून बना देंगे लेकिन जब यह सदन के बाहर जायेगा और इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगा तो हमारी क्या हालत होगी। इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये जैसा कि धारा ५३८(३) के उपखंड (बी) में दिया हुआ है कि तीन महीने में या ६ महीने में चुनाव अवश्य हो जायेगा।

अब सरकार के पास ऐसा कोई बहाना भी नहीं है जिससे सरकार चैलेंज कर सके कि इमरजेंसी है इसलिये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब सरकार वह भी नहीं कर सकती

है। इसलिये दो साल के लिये सरकार को यह करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार इस कानून में किसी धारा के अन्तर्गत कोई नियम इस संबंध में नहीं बना सकती है जब तक कि इस ऐक्ट की और धारायें मौजूद हैं। इस ऐक्ट का कोई सैक्शन ससपेंड नहीं किया गया है इसलिये सरकार को इसे मानना चाहिये।

इसके बाद श्रीमन्, मैं ५३९ की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें यह है कि अगर कोई नगरपालिका मुअत्तिल की गई तो उसको रिकंस्टीट्यूट कर दिया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय कमलासिंह जी जिस धारा का उल्लेख कर रहे हैं और बिल का हवाला दिया और कहा कि टर्म एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं तो इससे और उससे क्या मतलब है? इसको सुनकर आप व्यवस्था दें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी यह संगत बोल रहे हैं या असंगत यह मेरे देखने का काम है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन, हमारे साथी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर बहस कर ली जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है उसको वह इनज्वाय कर सकते हैं अब संगत बोल रहे हैं या असंगत यह मेरे देखने का काम है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, अदालत वाली रेलेवेंट और इरेलेवेंट वाली बात यहां पर लागू नहीं होती है। इस दृष्टि से आप देखें ऐसी मेरी प्रार्थना है।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जब कृष्णानन्द राय जी इस कुर्सी पर बैठते हैं तो जो आदेश वे देते हैं गलत या सही हम उसका पालन करते हैं। इसलिये इस कुर्सी से जो आदेश होते हैं उसका उन्हें भी पालन करना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, हमें वह चीज नहीं आती जिस चीज का यहां पर आदान प्रदान होता है। इस मामले में थोड़ा सा ड्रा-बैक हममें है कि गाली गलौज नहीं आती है। मैं कानून से संबंधित बातें ही सदन में कह रहा हूं लोग हमारी बातों को सुनें। तो मैं ५३९ की तरफ आप लोगों का ध्यान दिला रहा था। जहां तक ८३ और ८४ का संबंध है, उसके अन्तर्गत यह विधेयक नहीं आता है, इसे तो आप देख ही चुके हैं। अब एक दफा रह जाती है ५३९ उसमें देखें श्रीमन् कि यह विधेयक उसके अन्तर्गत आता है या नहीं आता है। जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा विधेयक इस सदन में नहीं लाना चाहिये था। ५३९ में कुछ कारण दिये हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह विधेयक तो एक स्वतंत्र चीज है, वह तो आ सकता है।

श्री कमलासिंह यादव—

यह यह है कि नगरमहापालिका ऐक्ट के अन्तर्गत ही तो सरकार का एक्शन होगा। यदि सस्पेंशन करना है तो यह तो सरकार की पावर है, लेकिन इस विधेयक के अन्तर्गत यह कोई प्राविधान नहीं है कि किसी धारा को सस्पेंड किया हो। तो जब किसी धारा का सस्पेंशन नहीं है तो उस चीज का हमको विचार करना होगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह स्वतंत्र रूप से एक कानून आ रहा है, इसे आप देखें

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह—

इसी की तरफ तो मैंने पहले आपका ध्यान दिलाया था।

श्री खेमचन्द्र (जिला आगरा)—

यह स्वतंत्र विधेयक तो माना जाता है, लेकिन इस विधेयक के द्वारा मल अधिनियम, जो है, उसका निरसन नहीं हुआ है और जब तक उसका निरसन नहीं हुआ है तब तक स्वतंत्र कानून कहने की क्या बात है ?

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन यह तो संशोधित है।

श्री खेमचन्द—

संशोधित कहां है, स्वतंत्र है, जिसे आप कह रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं ५३९ के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि यदि आप उन्हें सुपरसीड भी करेंगे तो एक साल के लिये करेंगे, लेकिन विधेयक में दो साल के लिये है। तो दो साल की अवधि नहीं हो सकती है। क्योंकि उसमें भी आप देखेंगे कि एक साल से ज्यादा ५३९ के अन्तर्गत आप नहीं कर सकते हैं। किसी तरह से एक्स्टेंड करना भी माने तो अवधि १ साल की होगी, दो साल की नहीं।

दूसरी बात जो है, वह यह है कि यह विधेयक ३१ जनवरी, १९६६ के १२ बजे रात तक लागू था और जो कानून है उसके जरिये पहली फरवरी १९६६ से लागू करने जा रहे थे, तो यह देखेंगे कि यह लागू होगा पहली फरवरी १९६६ से। जब उसके खंड ३ के उपखंड (२) को हम पढते हैं, जिसमें लिखा है

"ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी। मानो यह अधिनियम २५ जनवरी, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो।" आपने वह उस दिन नोटीफाई कर दिया है गजट के अन्दर। तो जब वह लागू होगा तो पहली फरवरी से लागू होगा। तो फिर कौन सी चीज है जो लागू समझी जायगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक संबंध है कि विधेयक पहली फरवरी से या जिस रोज से उसकी तारीख समाप्त हो ३१ जनवरी, ६६ के बाद तो वह पहली फरवरी को ही लागू होने की बात होती है। जो इसके अन्दर २५ फरवरी दी गई है वह गलत चीज होगी।

अब जहां तक आर्डिनेंस का सवाल है इस संबंध में २,३ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात जो मैं कह चुका हूं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि २१३ के अन्दर जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक जब कोई गवर्नर आर्डिनेंस जारी करता है तो उसके लिये सर्कमस्टान्सेज होने चाहिए जिनसे वह सैटिस्फाई हो। तभी वह

जारी कर सकता है उसके बारे में हमें या इस सदन को अपनी राय व्यक्त करने का सवाल नहीं है क्योंकि आर्डिनेंस के बारे में वह अथारिटी है। राज्यपाल जब देखेगा कि आर्डिनेंस के लिये सरकम्सटेंसेज एक्जिस्ट करते हैं जिसमें आर्डिनेंस जारी होना चाहिये तो उसका फैसला वही कर सकता है। उसको कोई क्वैश्चन नहीं कर सकता है लेकिन इस बारे में एक बात देखनी होगी कि सरकम्सटेंसेज कौन से है जो एग्जिस्ट करते हैं। इस सदन के अन्दर वे बातें नहीं बताई गई या ऐसा काम नहीं किया गया जिनसे यह मालूम हो कि कौन से सरकम्सटेंसेज एग्जिस्ट करते हैं। उन प्वाइन्ट्स की तरफ जरूर इशारा करना चाहिये था कि इन कारणों से यह सरकार जरूरी समझते हैं। सरकार जब अपनी इच्छा इस प्रकार से प्रकट करती है तो वह उसका कारण देती है या राज्यपाल महोदय जब जारी करते हैं तो यह लिख देते हैं कि चूंकि इमरजेंसी पीरियड है इसलिये ऐसा आदेश जारी किया जाता है। इस तरह की बात मैं इस अध्यादेश के अन्दर नहीं पाता हूं कि कौन से ऐसे सरकम्सटेंसेज थे जिनकी वजह से यह जारी किया गया। हमारी जो नियमावली इस सदन की है उसमें यह दिया हुआ है कि सत्र का अवसान तभी हो जाता है जब इसको राज्यपाल महोदय आहूत करते हैं या उसके बारे में नोटिफिकेशन हो जाता है। तो चूंकि ७ जनवरी को नोटिफिकेशन हो गया और सदन को उन्होंने आहूत कर दिया इसलिये सत्र का अवसान हो गया। मीटिंग उस दिन से समझी जाती है जिस रोज से दोनों सदनों को वह एड्रेस करते हैं। इसलिये जहां तक सत्र का सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि सत्र चल रहा था और उसी दिन से बिगिन हुआ तो उसके पहले कोई अध्यादेश जारी करना उचित नहीं था।

अब जहां तक इस अध्यादेश की धाराओं का संबंध है उनमें जब हम जाते हैं तो एक चीज सामने आती है कि आया जो अध्यादेश राज्यपाल महोदय ने जारी किया है उसके जरिये से हम किसी सैक्शन में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। तो अभी तक जितनी बातें विधेयक के बारे में हुई उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। जो तर्क उपस्थित किये गये वह इस बात का सबूत है कि नगरमहापालिका की धाराओं में से किसी धारा का संशोधन इस अध्यादेश के जरिये से नहीं होता। तो फिर कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिससे हम भविष्य के लिये कोई कानून जारी करें या अध्यादेश जारी करें। नगरपामहापालिका विधेयक के अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गयी हैं कि जब सरकार चाहे तो उनका विघटन खुद कर सकती है, लेकिन इसमें यह दिया गया है कि विघटन करने के पहले कुछ कंडीशंस होती हैं।

(इस समय ४ बजकर ४५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जब तक उनका ब्रीच न हो तब तक किसी किस्म का अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। तो सरकार को अधिकार है कि किसी अध्यादेश के जारी करने के पहले गवर्नर महोदय को अपनी राय दे सकती है कि इस किस्म का अध्यादेश जारी किया जाय। लेकिन उसके पहले अगर वही पावर सरकार को हो तो राज्यपाल महोदय के हाथ में जो आर्डिनेंस की शक्ति है उसका हथियार सरकार को नहीं बनाना चाहिये। एक नगरमहापालिका विधेयक जिसके अन्तर्गत सही ढंग पर कोई नगरमहापालिका काम कर रही हो, उसको सस्पेंड करके निरंकुश राज्य अपने प्रशासक के जरिये से करें, यह भी प्रजातंत्र की हत्या होगी। क्योंकि यह देखा जाता है कि कोई कानून बनाया जाता है, तो कानून के अन्तर्गत देखना चाहिये कि जिसको सस्पेंड करना चाहते हैं या जैसा कि नारा महात्मा गांधी के जमाने से लगाते रहे हैं कि नगरपालिका के क्षेत्रों की हुकूमत हम कर सकते हैं, तो जब प्रजातंत्र प्रणाली यहां और भारतवर्ष में लागू है उसका हनन करना, मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित होगा? आजादी की लड़ाई हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और आजादी प्राप्त की। आज संविधान के जरिये से, जो प्रजातंत्र की प्रणाली हमको मिली है, उस राइट आफ सिटीजनशिप को खत्म करना मैं नहीं समझता कि किसी तरीके पर उचित होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

रेकार्ड तो कायम हो गया ।

श्री कमलासिंह यादव—

तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । मैं इस नगर महापालिका विधेयक का विरोध करता हूं और समझता हूं कि इसके जरिये जो एक निरंकुश राज्य प्रजातंत्र का हनन करके आप स्थापित करना चाहते हैं यह पास न हो, बल्कि इसको घुमाया जाय पब्लिक ओपीनियन के लिये ताकि सरकार ने जो चैलेंज किया है सदन को कि सरकार प्रजा के द्वारा चुनी गयी महापालिकाओं की राय के बगैर नहीं चाहती कि उस पीरियड को सस्पेंड करें, तो सबकी राय आने पर सरकार को सही तरीके पर जानकारी हो जायगी कि इस प्रदेश के रहने वालों की विचाराधारा क्या है । एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि अभी कौंसिल का चुनाव होने जा रहा है । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जितनी नगरमहापालिकायें हैं उनके जो विशिष्ट मेम्बर हैं वे वोटर होंगे । इन पांचों नगर महापालिकाओं का खात्मा कर देने से उनके अन्दर जितने भी ऐसे मेम्बर हैं वे कौंसिल की मेम्बरी के उम्मीदवार को अपना वोट नहीं दे सकेंगे । मैं तो समझता हूं कि यह रिट के लिये एक बहुत बढ़िया केस है । यह राइट आफ सिटिजेनशिप की बात है और हम जिस संविधान की शपथ लेकर यहां आये हैं, उसमें यह है कि हम संविधान की धाराओं के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे । श्रीमन्, इससे फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन होता है । तो कोई भी कानून बनाया जाय, जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो मैं समझता हूं कि वह कानून इस सदन द्वारा नहीं बनाया जा सकता । इसलिये मैं समझता हूं कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो यह कानून है, उसका ब्रीच है और ब्रीच करने का किसी को अधिकार नहीं है । श्रीमन्, इसी प्रकार का एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसमें एक जज साहब ने ओपेन कोर्ट में एक चीज पढ़ी जिसके लिये पत्रकारों से उन्होंने कहा कि प्रोसीडिंग्स को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है । हालांकि उन्होंने जबानी ही यह आदेश दिया था, उसके बाद भी वह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हमारे यहां भी एक प्रश्न है कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को भी यह अधिकार है कि वे पत्रकारों को रोक सकते हैं कि यहां की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश न करें, तो यह एक लीगल चीज है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है । मैं चा गा कि इन चीजों के ऊपर भी माननीया मुख्य मंत्री या सरकार की अ र से कोई भी आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकें तो उसे मैं एप्रोसिएट करूंगा । लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसके जरिये प्रजातंत्र का हनन हो ।

दूसरी चीज राइट आफ वोट की है । लोगों के इस राइट को कोई भी नहीं छीन सकता है । और किसी पार्टी के जरिये इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है जिसके जरिये अगर किसी ने कोई अपराध न किया हो, सरकारी आदेश के पालन करने में कोई गड़बड़ी न की हो, निर्दोष हो और उसके अधिकार को छीन लिया जाय । अगर सरकारी आदेश की नगरमहापालिका ने अवहेलना की है या कोई गलती की है तो सरकार को इस विधेयक के अन्तर्गत अधिकार है कि वह उसे निलम्बित कर सके लेकिन यदि कोई निर्दोष व्यक्ति है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है उसके राइट को सस्पेंड करने का अधिकार प्रज तंत्र में किसी को नहीं है । इस विधेयक के द्वारा यदि किसी को यह अधिकार दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जरा टाइम का भी खयाल रखें ।

श्री कमलासिंह यादव—

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मैं चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी का यह चैलेंज है तो वे पूरे प्रदेश में इसको प्रच लित करें ताकि प्रदेश के रहने वाले

भी इस पर अपनी राय दे सकें। इससे सब को संतोष भी हो जायगा। जो भी कानून हो उसको सदन की इच्छा के अनुकूल बनाया जाय।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर एक न्यायपूर्ण विचार के लिये हमको दो पहलुओं से इसे देखना है एक तो कानूनी पहलू तथा दूसरा क्या परिस्थितियां थीं उनको ध्यान में रखना। जहां तक कानूनी पहलू है उस पर जो कानूनी प्रवचन माननीय कमलासिंह जी ने किया उसके बाद मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगी, नम्र निवेदन करूंगी कि वे एल०एल०एम० की डिग्री हर सदस्यों को दे दें क्योंकि इतनी देर तक जो कानून का पाठ हम लोगों को माननीय कमलासिंह यादव ने पढ़ाया है वह बहुत काफी है।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह डिग्री देना इस सरकार के हाथ की चीज नहीं है, वह तो सेंट्रल विषय है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कानून का पाठ उन्होंने पढ़ाया वह कहां तक रेलीवेंट है कहां तक नहीं यह विचार करने की बात है। तो कानूनी पहलू के अलावा, क्या परिस्थितियां थीं उन पर भी हमें विचार करना है। कानपुर के बारे में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं और मैं वहां ६ वर्ष तक कानपुर महापालिका की सदस्या भी रही हूं, वहां की कमेटियों से भी मेरा साथ रहा है, वहां के नागरिकों की जो इच्छा थी, जो आशा थीं, वह पूरी हुई या नहीं यह विचारने की बात है। हम सब लोगों को मालूम है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाये और जो जनता को राहत पहुंचानी चाहिये वह नहीं पहुंचा पाये। वहां करीब २ लाख श्रमिक लोग रहते हैं। वहां पर हाउसिंग प्राब्लम भी अपनी जगह पर है। सरकार के सामने भी यह प्राब्लम कई बार आयी है। सरकार ने कुछ इसके नियम आदि भी बनाये हैं। नगरमहापालिकाओं की भी कुछ दिक्कतें रही हैं वह भी हमारे सामने हैं। जो नगरमहापालिकाओं के प्रमुखों को अधिकार मिलने चाहिये थे वे भी नहीं मिले यह भी दिक्कत थी। तो कुछ परिस्थितियां जरूर ऐसी हो गयीं जिनके कारण महापालिकायें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पायीं। इसके कारण यह भी सही है कि जनता में असंतोष की भावना रही। जैसा कि ग्राइस साहब ने कहा, जनता के लाभ के लिये वहां की नगरमहापालिका कोई कार्य नहीं कर पायीं, वह भी ठीक ही है।

श्रीमन्, वहां की नगरपालिका का क्षेत्र देखा जाय तो वह करीब ११० वर्ग मील को कवर करती है। वहां का प्रबन्ध करना कोई साधारण बात नहीं है। जैसा कि ग्राइस साहब ने कहा, प्लाटों के संबंध में वहां ओपिन गैम्बिलिंग सी हो गयी थी। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि वास्तव में सरकार यदि जनता को राहत पहुंचाना चाहती थी तो उसको इस अध्यादेश की जगह पर वहां के लिये एक जांच कमेटी बिठाना चाहिये थी। हमारे बीच में जो करप्शन है इसको हटाना है और एक स्वस्थ परम्परा के साथ इसको रोकना है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के हमारे लोग समाज वाद की ओर बढ़ रहे हैं। अबाड़ी में, भुवनेश्वर में और अब जयपुर में अधिवेशन देखने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बाद में बोलियेगा।

वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् । अभी जब माननीय कैलाश प्रकाश जी बीमार थे वित्त विभाग माननीय मुख्य मंत्री ने अपने हाथ में ले लिया था । आज वे आ गये हैं बजट प्रस्तुत करने के लिये । इस विभाग का निश्चय नहीं हुआ है कि माननीय कैलाश प्रकाश जी वित्त मंत्री होंगे । मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ही इसे प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

प्रेस विज्ञप्ति निकल गई है । आपकी गलत फहमी है । काम उनके पास चला गया है ।

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

मैं वित्तीय वर्ष १९६५–६६ के वित्तीय अनुपूरक अनुदानों का विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । १४ तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार, १४ फरवरी, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
८ फरवरी, १९६६ ।

बी० एस० यू० पी०—ए०पी० २०८ एल० ए०—१९६६—८६२ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा